मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 57 | अंक : 1 | जुलाई, 2016 | पृष्ठ : 56 (पञ्चाङ्ग सहित) | मूल्य : ₹15

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

चलने से पहले राही, राह की पहचान कर लें

ग्रीष्मावकाश 2016 पूर्ण होकर विद्यालय खुल चुके हैं, विद्यालय में बच्चों के हँसते मुस्कुराते चेहरे नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। प्रवेशोत्सव अभियान के अन्तर्गत बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षाप्रेमियों, भामाशाहों एवं शिक्षा अधिकारियों का उत्साह देखकर मन प्रसन्नता से सराबोर हो जाता है। नए शिक्षा सत्र 2016-17 के शुभारम्भ अवसर पर इन सबका अभिनन्दन एवं हार्दिक शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए मुझे अवर्णनीय प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष सभी परीक्षा परिणाम संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से उत्तम रहे हैं। हमारे शिक्षकों के अध्यापन, विद्यार्थियों के परिश्रम, अध्ययन एवं अभिभावकों की जागरुकता से राज्य के विद्यार्थियों ने योग्यता सूची में अपनी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है, इसके लिए मैं उन संकल्पशील शिक्षकों, प्रतिभावान-प्रगतिशील विद्यार्थियों एवं शिक्षा-अनुरागी अभिभावकों का अभिनन्दन करता हूँ।

जिस प्रकार एक लम्बी साधना के पश्चात् किसान खेतों में लहलहराती फसल को देखकर खुश होता है, ठीक उसी प्रकार हर वर्ष की तपस्या के बाद बोर्ड परीक्षाओं के श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। मा. मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरी शिक्षा टीम में शिक्षक, प्रबोधक और शिक्षाकर्मी सम्मिलित हैं। यह सफलता शिक्षा टीम के सद्प्रयासों और रात दिन किए कठिन परिश्रम के कारण मिली है। मैं इन सभी महानुभावों के प्रति साधुवाद अर्पित करते हुए आशा करता हूँ कि सत्र 2016-17 के लिए हम अतिरिक्त प्रतिबद्धता, निष्ठा एवं समर्पण भाव से सभी कार्य करते हुए आगामी परीक्षाओं में कीर्तिमानकारी परिणामों की भावभूमि अभी से तैयार करेंगे।

28 जून, 2016 के दिन राजधानी के बिड़ला ऑडीटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में हमने 62 भामाशाहों एवं 17 प्रेरकों को सम्मानित किया। इस वर्ष स्वनामधन्य भामाशाहों द्वारा **2740.45 लाख** रुपयों का सहयोग विद्यालयों को प्रदान किया गया है। शिक्षा रथ के सारथी बनकर भामाशाहों ने राजस्थान की **अर्जन से बड़ा विसर्जन** परम्परा को उजागर किया है। सच तो यह है कि विद्यालयों के भौतिक स्वरूप को समृद्ध करने तथा संसाधन जुटाने में दानदाताओं के अपूर्व सहयोग को कोई विस्मृत नहीं कर सकता हम सदैव उनके प्रति ऋणी रहेंगे।

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुलने की उषा वेला में, मैं कोई उपदेश न देकर केवल अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। साथियों! मुझे आपकी योग्यता एवं प्रबल इच्छाशक्ति पर कोई संदेह नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब शिक्षकों ने कुछ कर दिखाने की ठानी है सफलता उनके कदम चूमती नज़र आई है। कुछ कर दिखाने का मौका फिर से आपके सामने है।

आज शिक्षा में सुधार का जो दौर राजस्थान में चल रहा है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। विद्यालयों के एकीकरण, स्टाफिंग पैटर्न, शाला दर्पण जैसे नवाचारों को पूरे देश के लिए अंगीकार करने के लिए केन्द्र सरकार विचार कर रही है। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण तथा प्रसन्नतादायक है।

हम सब मिलकर शिक्षा के पावन यज्ञ में परिश्रम एवं निष्ठा की आहुति देकर एक ज्ञानवान समाज एवं गुणमयी संस्कृति का निर्माण करें जिसके अन्तस में प्रेम, करुणा, उपकार, सद्भावना, संवेदनशीलता, सहयोग, समन्वय एवं भाईचारे जैसे उदात्त मानवीय गुण भरे हों। आइये! हम शिक्षा सत्र 2016-17 की यात्रा इन्हीं गुणों की गाड़ी में सवार होकर करें, जिसमें ईंधन, परिश्रम, समर्पण एवं निष्ठा का भरोसा हो। हमें जिस मार्ग पर चलना है उसमें मेहनत करनी तो जरूरी है लेकिन मान-सम्मान की कमी नहीं हैं। आइए! न थकने, न रुकने के अटल संकल्प के साथ हम उस राह से परिचय कर लें जिस पर वर्षभर हमें चलना है।

चलने से पहले राही, राह की पहचान कर लें।

शुभकामनाओं के साथ,

(प्रो. वासुदेव देवनानी)

“हम सब मिलकर शिक्षा के पावन यज्ञ में परिश्रम एवं निष्ठा की आहुति देकर एक ज्ञानवान समाज एवं गुणमयी संस्कृति का निर्माण करें जिसके अन्तस में प्रेम, करुणा, उपकार, सद्भावना, संवेदनशीलता, सहयोग, समन्वय एवं भाईचारे जैसे उदात्त मानवीय गुण भरे हों। आइये! हम शिक्षा सत्र 2016-17 की यात्रा इन्हीं गुणों की गाड़ी में सवार होकर करें, जिसमें ईंधन, परिश्रम, समर्पण एवं निष्ठा का भरोसा हो।”

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते -श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 57 | अंक : 1 | आषाढ-श्रावण २०७३ | जुलाई, 2016

प्रधान सम्पादक
बी.एल. स्वर्णकार

वरिष्ठ सम्पादक
प्रकाश चन्द्र जाटोलिया

सम्पादक
गोमाराम जीनगर

सह सम्पादक
मुकेश व्यास

प्रकाशन सहायक
नारायण दास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 15

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएं।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 001
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **-वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- सर्वांगीण विकास : सर्वोच्च प्राथमिकता 5

आलेख

- व्यासो नारायणः साक्षात् 6
  शशिकांत द्विवेदी 'आमेटा'
- गुरु-शिष्य परंपरा, आदिगुरु एवं सप्तर्षि 7
  रमेश कुमार शर्मा
- राष्ट्रनायक : लोकमान्य तिलक 8
  देवीलाल राठौड़
- वे दिन और हम 12
  सालगराम परिहार
- बच्चों में अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करें 12
  सांवलाराम नामा
- कालांश समीक्षा 43
  विक्रम सिंह इन्दा
- अमर शहीद बीरबलसिंह जीनगर 44-45
  जानकी नारायण श्रीमाली
- विद्यार्थी जीवन के लक्षण 52
  विश्वप्रसाद पारीक

मासिक गीत

- चन्दन है इस देश की... 6
  संकलनकर्ता-**मुरलीधर सोलंकी**

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

- झालावाड़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल 46-48
  ललित शर्मा

रपट

- भामाशाह सम्मान समारोह-2016 9-11
  महावीर प्रसाद गर्ग

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- आदेश-परिपत्र 13-26, 31-42
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 42
- शाला प्रांगण से 51-52
- चतुर्दिक समाचार 53
- हमारे भामाशाह 54

पुस्तक समीक्षा 49-50

- कुण्डलिया छन्द के सात हस्ताक्षर : सम्पादक-त्रिलोक सिंह ठकुरेला
  समीक्षक-**संजय आचार्य 'वरुण'**
- इक्कीस पंखुड़ियों का गुलाब : सम्पादक-सावित्री चौधरी
  समीक्षक-**रामजीलाल घोड़ेला**

बहुरंगीय आकर्षक
शिविरा पञ्चाङ्ग
2016-17
मध्य पृष्ठ : 27-30

आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर
मो. 9414142641

▼ चिन्तन

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां
यथा खे पक्षिणां गतिः।
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां
जायते परमं पदम्।।

अर्थात्- जैसे पक्षी दोनों पंखों के बल पर आकाश में उड़ता है वैसे ही ज्ञान और कर्म इन दोनों के बल पर परम् श्रेय प्राप्त होता है।

- आवरण पृष्ठ पर महाराणा प्रताप एवं रवीन्द्र नाथ टैगोर के चित्र देखकर मन प्रफुल्लित किन्तु वीर सावरकर का चित्र न पाकर मन क्षुब्ध हुआ। नामांकन वृद्धि एवं योग पर कविताएं अंक की एकरसता को दूर कर रसमय बना रही है। नवोदित कवियों को प्रोत्साहित करना काबिले तारीफ है। स्वतंत्रता सेनानी शिक्षिका प्रीतिलता सम्बन्धी आलेख शिक्षक बंधुओं व बहिनों के लिए मशाल का काम करेगा। अमर शहीद कुंवर प्रतापसिंह बारहठ, वीर सावरकर का इतिवृत्त अंक की महत्ती विशिष्टता है। दिशाकल्प की पंक्तियां 'जो दृढ़ राखे धर्म को ताहे राखे करतार' अपना कर्त्तव्य निर्वहन ही धर्म है। यह व्याख्या ही सारतत्व है। अपनों से अपनी बात दोनों पक्षों से हो, एकपक्षीय नहीं। शिक्षामंत्री का यह सुझाव सार्थक व उपयोगी है। अन्त में कहना चाहूँगा कि-'निखर रही शिविरा छवि दिन दिन बढ़त उद्योत। यही कामना करत है सतत जले यह ज्योत।।' **-टेकचन्द्र शर्मा**, झुंझुनूं
- मई के अंक में आवरण पृष्ठ पर जो चित्र संकेत किए गए हैं, उनका प्रभावी विवरण अन्दर के लेखों में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस अंक में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, टैगोर, प्रीतिलता वाहेदार, कुंवरप्रतापसिंह आदि के कृतित्व व व्यक्तित्व पर सुधि विद्वानों के विचार, इन महान हस्तियों के जीवन परिचय को जानने का अहम माध्यम बने हैं। मानवता की भलाई को ही एकमात्र लक्ष्य मानकर अनवरत सेवा में लगे रहने वाले संगठन रेडक्रॉस सोसायटी के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली। योग,प्रवेशोत्सव लक्ष्य, विभिन्न आदेशों के सफल समावेश के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर रणथम्भौर दुर्ग का सजीव चित्रण इस अंक की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित करता है। **-प्रेम शर्मा**, टोंक
- शिविरा पत्रिका का मई-जून 2016 अंक का मुखावरण पृष्ठ की साज-सज्जा के साथ प्राप्त हुआ। सूर्य नमस्कार के समस्त 12 चित्रों का प्रदर्शन आकर्षक लगा। निजी विद्यालयों से अभिभावकों व बच्चों का मोह भंग हो रहा है। माननीय शिक्षामंत्री जी का मार्गदर्शन हमें गुणात्मक शिक्षा की ओर प्रेरित करेगा। 'दिशाकल्प' में विभाग में हुई बम्पर पदोन्नति व पारदर्शिता से शिक्षकों व संस्थाप्रधानों में बना विश्वास का वातावरण और निष्ठा से कार्य करने का आह्वान सकारात्मक परिणाम में सहायक होंगे। योगः अभ्यास का इतिहास में डॉ. के. के. पाठक ने योग के इतिहास ज्ञानवर्द्धक व पाठकोपयोगी है। वीरतापूर्ण योगदान को प्रतिबिम्बित करता महाराणा प्रताप का त्याग हमारे लिए प्रातः स्मरणीय व अनुकरणीय है। भामाशाह का महाराणा प्रताप को समर्पण मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। 'टैगोर का शिक्षा दर्शन एवं रचना संसार' शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर के योगदान की याद दिलाता है। 'अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहठ' का मातृभूमि के लिए योगदान पूजनीय है। प्रातः स्मरणीय वीरों की गाथाएं, जीवन दर्शन विद्यार्थियों को पढ़ाया ही जाना चाहिए। शिविरा का मई-जून का अंक पसन्द आया व समस्त साहित्यिक सामग्री व सभी स्थायी स्तंभ जानकारी पूर्ण हैं। शिविरा की टीम प्रत्येक माह शिविरा को नया रूप देने में निरन्तर परिश्रम कर रही है। साधुवाद व शुभकामनाएं।

-रामजीलाल घोड़ेला, बीकानेर

- मैं कक्षा पाँच से ही शिक्षा जगत् की प्रमुख पत्रिका शिविरा का नियमित पाठक हूँ। बचपन में पिताजी मंगवाया करते थे। अब मेरे नाम से शिविरा आती है तो पिताजी मेरे से ज्यादा खुश होते हैं। शिविरा को पढ़कर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। शिविरा का मई-जून का अंक आद्योपांत पढ़ा। 'चलो पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ' प्रेरणादायी लगा। महाराणा प्रताप महान स्वतंत्रता प्रेमी थे। भामाशाह ने उनके पावन कर्म में अपना भरपूर सहयोग दिया। स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता की जीवनी बलिदान का जीता जागता उदाहरण है। पाठक जी की कविता योगःअभ्यास का इतिहास योग से रूबरू करवाती है। आशा करता हूँ कि शिविरा में चिंतन मनन के लेख पढ़ने को मिलते रहेंगे। **-लक्ष्मीकांत शर्मा**, जयपुर
- शिविरा पत्रिका मई-जून का संयुक्तांक मिला। आकर्षक आवरण व कलेवर के कारण बड़े चाव से पढ़ा। डॉ. के.के. पाठक का 'योग इतिहास' बहुत ही रोचक एवं अन्य सामग्री भी प्रेरणादायी लगी। **-रामचंद्र संतवानी**, झालावाड़
- इस बार पत्रिका महापुरुषों के परिचय की रही जो बहुत ही रुचिकर रही। अपनों से अपनी बात के अन्तर्गत शिक्षा राज्यमंत्री जी ने अच्छा मंच तैयार किया है। दिशाकल्प में निदेशक महोदय द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति व नियुक्तियों की जानकारी अपने आप में कीर्तिमान है। योग अभ्यास, सावरकर, प्रताप आदि आलेख प्रेरणास्पद है। नवीन सत्र उच्च गुणवत्ता को पाए, ऐसी कामना है।

-राजेन्द्र प्रसाद सिंह डांगी, भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते

बी.एल. स्वर्णकार
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

सर्वांगीण विकास : सर्वोच्च प्राथमिकता

नवीन शिक्षा सत्र में ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालयों के पुनः खुलने पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और जागरूक अभिभावक समाज का हार्दिक अभिनन्दन।

नए शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों के नामांकन में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। इसका श्रेय प्रवेशोत्सव के प्रभावी संचालन को जाता है। प्रत्येक बच्चा विद्यालय में पढ़े, अच्छे संस्कार प्राप्त करे, इसी भाव ने शिक्षा के महत्व को स्पष्ट रेखांकित किया है। नवप्रवेशित विद्यार्थियों का उत्साह, उनके अभिभावकों की जागरूकता और उत्साही शिक्षकों के प्रयास का ही सुफल है कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। विद्यार्थियों से भरे पूरे विद्यालयों में कुशल संस्था प्रधानों और योग्य शिक्षकों के पदस्थापन ने राज्य में श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण बनाया है।

विद्यालयों में आधारभूत परिवर्तन लाने में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की प्रभावी भूमिका रही है। सक्रिय विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) में विद्यालय और जागरूक समाज का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। कुशल प्रबन्धन, विद्यालय को केवल सुसज्जित भवन और पुस्तकीय ज्ञान के लिए ही नहीं अपितु संस्कार केन्द्र के रूप में भी प्रतिष्ठापित करता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ और प्रोत्साहन योजनाएँ विभाग द्वारा संचालित हो रही हैं। उनकी जानकारी हर उस पात्र विद्यार्थी को होनी चाहिए जो इसे पाने का हकदार है। अतः संस्था प्रधानों, शिक्षकों और जागरूक अभिभावक समाज से अपील है कि योग्य विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के आवेदन पत्र यथासमय प्रस्तुत करवा कर उन्हें यथोचित लाभ दिलावें।

नवीन सत्र में सभी अपना श्रेष्ठतम देने का संकल्प लें।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

(बी.एल. स्वर्णकार)

"प्रत्येक बच्चा विद्यालय में पढ़े, अच्छे संस्कार प्राप्त करे, इसी भाव ने शिक्षा के महत्व को स्पष्ट रेखांकित किया है। नवप्रवेशित विद्यार्थियों का उत्साह, उनके अभिभावकों की जागरूकता और उत्साही शिक्षकों के प्रयास का ही सुफल है कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। विद्यार्थियों से भरे पूरे विद्यालयों में कुशल संस्था प्रधानों और योग्य शिक्षकों के पदस्थापन ने राज्य में श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण बनाया है।"

गुरु पूर्णिमा विशेष

व्यासो नारायणः साक्षात्

❒ शशिकांत द्विवेदी 'आमेटा'

गुरुर्नेत्र गुरुर्दीपं सूर्यचन्द्रमसौ गुरुः। गुरुर्देवो गुरुः पन्थाः दिव्यगुरुः सद्गतिर्गुरुः।।

वेद व्यास साक्षात् नारायण के अवतार हैं। भगवान वेदव्यास का अवतरण आषाढ़ी पूर्णिमा को है। यह तिथि महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन है। यह तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध है। यह श्रद्धा, आस्था और समर्पण का पर्व है। वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होंने चार वेदों की रचना की थी। इसी कारण उनका नाम वेदव्यास भी है उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। 'पुराणों' में प्रसिद्ध है कि यमुना नदी के द्वीप में उनका अवतरण हुआ। इसीलिए वे द्वैपायन कहलाए।

''विव्यास वेदान् यस्मात् स तस्माद् व्यास इति स्मृत।।'' वेद संहिता का उनके द्वारा विभाजन किया गया। इस कारण वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। बद्रिका आश्रम में बेर पर जीवन वापन करने के कारण उनका एक नाम 'बादरायण' भी पड़ा।

गुरु पूर्णिमा अर्थात् सद्गुरु के पूजन का पर्व। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा भारतीय सनातन संस्कृति का महापर्व है। इस दिन से साधु-सन्त चार माह तक एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। भारत की गुरु परम्परा एक आदर्श परम्परा है। भारतीय परम्परा में गुरु की तुलना पारसमणि से की गयी है। गुरु का महत्व सर्वाधिक प्रतिष्ठित किया गया है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं साक्षात् परब्रह्म माना गया है। गुरु समस्त विद्याओं की निधि है। सभी रोगों की औषधि है। वे साक्षात् ज्ञानमूर्ति है। गुरु प्रेरक है, सूचक है, वाचक है, दर्शक है, शिक्षक है, बोधक है और अंधकार का निरोधक है। वे सर्व सिद्धिदायक हैं, सर्व समर्थ हैं एवं गुरु ही धर्म है। गुरु में निष्ठा ही परम तप है। 'गुरु' नामक दो अक्षरों वाले मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। इसलिए गुरु से भले ही कितनी दूर क्यों न हों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की साक्षात् पूजा करनी चाहिए। शिष्य के लिए गुरु ही सच्चा हितैषी है। गुरु ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं। गुरु का परिचय सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होता है। संक्षेप में 'गुरु' शब्द गु+रु से बना है जिसका अर्थ क्रमशः 'अंधकार' और 'दूर करने वाला' है। ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक गुरु होते हैं। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पारंगत हो सकता है, चाहे वह अध्ययन हो या व्यावसायिकता से संबंधित कोई भी क्षेत्र। उनमें विश्वास करो, वही ईश्वर के करीब जाने का मार्ग बताएंगे। गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त करवा देते हैं। हमारा भारतवर्ष जगद्गुरु के पद को अलंकृत करता रहा है। 'गुरु तमसो मा ज्योतिर्गमय' का संदेशवाहक कहा गया है। हमारे नीति शास्त्रों में कहा गया है कि 'आचार्य देवो भव।' संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। वेदव्यास को गुरुओं का गुरु कहा गया है।

आज का सम्पूर्ण विश्व-विज्ञान भगवान वेदव्यासजी का ही उच्छिष्ट है। इसलिए 'व्यासोच्छिष्टं जगत् सर्वम्' की उक्ति सर्वथा सार्थक है। सच्चे अर्थों में वेदव्यास 'जीवन के एक शिक्षक थे।' उनकी शिक्षा का चरमोत्कर्ष है 'गीता'। इसीलिए व्यास जी के जन्म से गौरवान्वित एवं प्रतिष्ठित हुई आषाढ़ी पूर्णिमा 'गुरु पूर्णिमा' की महती संज्ञा में अभिभाषित हुई। दुर्भाग्य है कि 'गुरुओं के गुरु वेदव्यास की शिक्षा को हम भूलते जा रहे हैं। भारतीय जनमानस सदा उनका ऋणी रहेगा। **'नमोऽस्तु व्यास विशाल बुद्धे।'**

सेवानिवृत्त प्राध्यापक(हिन्दी)
फॉरेस्ट चौकी के पास, लोहारिया-बांसवाड़ा-327605
मो. 9460116012

इस माह का गीत

चन्दन है इस देश की...

चन्दन है इस देश की माटी,
तपोभूमि हर ग्राम है।
हर बाला देवी की प्रतिमा,
बच्चा-बच्चा राम है ।। ध्रु. ।।

हर शरीर मंदिर सा पावन,
हर मानव उपकारी है
जहाँ सिंह बन गये खिलौने,
गाय जहाँ माँ प्यारी है
जहाँ सवेरा शंख बजाता,
लोरी गाती शाम है।।1।।

जहाँ कर्म से भाग्य बदलते,
श्रमनिष्ठा कल्याणी है
त्याग और तप की गाथाएँ,
गाती कवि की वाणी है
ज्ञान जहाँ का गंगाजल-सा,
निर्मल है अविराम है।।2।।

इसके सैनिक समरभूमि में
गाया करते गीता हैं,
जहाँ खेत में हल के नीचे,
खेला करती सीता है,
जीवन का आदर्श यहाँ पर,
परमेश्वर का धाम है।।3।।

संकलनकर्ता-**मुरलीधर सोलंकी** शा.शि.
जवाहर स्कूल के पास, भीनासर, बीकानेर
मो. 9414012038

गुरु पूर्णिमा विशेष

गुरु-शिष्य परंपरा, आदिगुरु एवं सप्तर्षि

❒ रमेश कुमार शर्मा

प्राचीन काल की बात है। स्वायंभुव मन्वन्तर लगा ही था। स्वायंभुव मनु शासित पृथ्वी पर नगाधिराज हिमालय का ऊपरी भाग श्रेष्ठ तपस्वियों की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता रहा है। कहते हैं कि वहाँ एक दिव्य योगी प्रकट हुए जिनके दर्शनार्थ वहाँ निवास कर रहे तपस्वी एवं सामान्य जन एकत्र हुए। प्रकट हुए दिव्य योगी के शरीर पर जीवन का कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता था। दर्शनार्थ एकत्रित हुए लोग संभवतः उन्हें मृत समझ कर वहाँ से चल दिये। किन्तु सात तपस्वी वहीं ठहरे रहे। वे दिव्य योगी की सेवा-चिकित्सा में जुट गये और सिर, हथेलियाँ, पगथलियाँ सहलाने लगे। कुछ समय पश्चात दिव्य योगी ने आँखें खोलीं। सेवा में जुटे सातों तपस्वी आह्लादित हो उठे और उन्होंने दिव्य योगी की स्तुति करते हुए उनसे मार्गदर्शन की कामना की। दिव्य योगी ने उन सातों तपस्वियों को एक यौगिक क्रिया समझाई और फिर से आँखें मूंद लीं। यौगिक क्रिया दुहराते हुए सातों तपस्वी समाधिस्थ हो गये। उनकी चौरासी वर्षों की साधना पूर्ण होते हुए दिव्य योगी ने फिर से प्रकट होकर सातों तपस्वियों को सुपात्र शिष्य मानते हुए उन्हें मार्मिक जीवनोपदेश दिया। शिक्षा पूर्ण होने के साथ ही आदि गुरु (दिव्य योगी) ने सातों आदि शिष्यों (सात तपस्वियों) से गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु-शिष्य परंपरा को सिद्धांतनिष्ठा के साथ चलाये रखने की माँग की। वह आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। वे सातों आदि शिष्य क्रतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, भृगु एवं वशिष्ठ सप्तर्षि कहलाते हैं। सूर्यवंशी राजकुमारों को दीक्षित करने और कोसल प्रांत में गोनर्द (वह स्थान जहाँ गायें स्वतंत्रतापूर्वक विहार करती हैं।) स्थापित करने के कारण सप्तर्षियों में महर्षि वशिष्ठ का विशिष्ट स्थान है। अतः गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ पूर्णिमा) के दिन सूर्यवंशियों के गुरु वशिष्ठ की गोभक्ति का स्मरण हो आना स्वाभाविक है।

गोसेवक गुरु वशिष्ठ

महर्षि गौतम के ज्येष्ठ पुत्र, मिथिलानरेश जनक के कुलगुरु महातपस्वी शतानन्द ने जैसे ही सीता-स्वयंवर अवलोकन हेतु अयोध्या के राजकुमारों श्रीराम और लक्ष्मण के साथ पधारे मुनिप्रवर विश्वामित्र के श्रीमुख से सुना कि उनकी माता अहल्या श्रीराम के दर्शन के प्रभाव से शापमुक्त हो गईं तथा उनके पिता महर्षि गौतम से उसी प्रकार मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली हैं तो रोमांचित होकर उन्होंने श्रीराम का आभार व्यक्त किया और उन्हें मुनि विश्वामित्र के चरित्र का वर्णन करते हुए सूर्यवंशी राजाओं और उनके कुलगुरु वशिष्ठ की गोसेवा में अटल निष्ठा की अनूठी कथा सुनाई।

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, बालकांड 51 से 56 सर्गों में वर्णित इस कथा में बताया गया है कि मुनि बनने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे। प्रजापति के पुत्र कुश के पुत्र कुशनाभ के पुत्र गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया और राज्य संभाला। वे एक अक्षौहिणी सेना के साथ सपरिवार पृथ्वी पर विचरने लगे। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों को पार करते हुए वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पधारे जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था और अनेक प्रजातियों के वन्य पशु वहाँ सब ओर से फैले हुए थे। महर्षि वशिष्ठ ने जिस अरण्य में अपना आश्रम बनाकर परिश्रमपूर्वक उसे अत्यंत सघन रूप में विकसित किया, उसे निहारकर विश्वामित्र चकित रह गये।

महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र का सत्कार कर बैठने के लिए आसन दिया। विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए। कुछ देर के वार्तालाप के बाद महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र, उनके परिवार और समस्त सेना को फल, मूल,पाद्य और आचमनीय आदि खाद्य पदार्थों से तृप्त किया। तत्पश्चात् राजा को अपना मनोनुकूल भोजन बताने का आग्रह किया। राजा विश्वामित्र को महर्षि का यह वचन सुनकर परम आश्चर्य हुआ और जिज्ञासा जगी कि भला वशिष्ठ वन में राजसी भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। उन्होंने पहले ना-नुकर की परन्तु वशिष्ठ के पुनः आग्रह उपरान्त भाँति-भाँति के व्यंजनों की इच्छा व्यक्त कर ही दी।

राजा के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी चितकबरी कामधेनु गाय, जिसे वे शबला कहकर पुकारते थे, को बुलाया और उससे कहा, 'शबले! मैंने सेना सहित राजा विश्वामित्र का उत्तम राजसी भोजन से आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है, तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो और षड्रस भोजनों में जिसे जो पसंद हो, उसे वह सब कुछ प्रस्तुत कर दो।

महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहते ही चितकबरे रंग की कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी, उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी और ईख, मधु, लावा, मैरेय, आसव, पानक आदि नाना प्रकार के मूल्यवान खाद्य पदार्थ तत्क्षण प्रस्तुत कर दिये। गरम-गरम भात एकत्रित हो गया, मिष्टान्न व दाल तैयार हो गये और दूध, दही की तो मानो नहरें बह चलीं। भाँति-भाँति के सुस्वादु रस, खाण्डव तथा विभिन्न प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की हजारों थालियाँ सज गईं। इस प्रकार माता कामधेनु की कृपा से महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र, उनकी रानियों, पुरोहितों और समस्त सैनिकों को उनकी पसन्द का भोजन प्रदान कर उन्हें तृप्त कर दिया।

विस्फारित नेत्रों से राजा विश्वामित्र ने यह दृश्य देखा और अपने राजसी स्वभाव के अनुसार महर्षि वशिष्ठ को आदेश के स्वर में कहा कि गौरत्न कामधेनु का वास्तविक अधिकारी राजा ही है, अतः उन्हें गाय सौंप दी जाये। बदले में स्वर्णाभूषणों से लदे चौदह हजार हाथी और आठ सौ स्वर्णमय रथ देने का प्रलोभन भी दिया।

उत्तर में भगवान वशिष्ठ तत्काल बोले, 'राजन्! मैं यह कामधेनु, मेरी शबला तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा क्योंकि यही मेरा रत्न, धन, सर्वस्व, जीवन है। मेरे दर्श, पौर्णमास, यज्ञ, पुण्यकर्म का मूल यही कामधेनु है। व्यर्थ बात करने से क्या लाभ। मैं अपनी कामधेनु कदापि नहीं दूंगा।'

एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता
न दास्यामीति शबलां प्राह राजन् कथंचन।
एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्
एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम्।
दर्शश्च पौर्णमाश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः
एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा।

अतोमूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन् न संशयः
बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्।
(वा.रा.बालकांड, 53,22-25)

राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाना चाहा किंतु गोमाता की कृपा से महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पूरी तरह विफल कर दिया।

सूर्यवंशी राजाओं को कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से गोसेवा करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। गाय की रक्षा के लिए सिंह के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करने वाले कोसल के महाराज दिलीप गोसेवक के रूप में विख्यात हैं। उनके वंशज रघु में गोपालन के प्रति विशेष उत्साह था। उनकी मनोकामना थी-

गावः में अग्रतः सन्तु, गावः मे सन्तु पृष्ठतः
गावः मे सर्वतः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्।
(गायें मेरे आगे, पीछे, सब ओर हों। मैं गायों के बीच में ही रहूँ।)

कोसल का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 'गोनर्द' नाम से संबोधित होता था। गोनर्द का अर्थ है वह क्षेत्र जहाँ गायें कुलेल करती हों।

आज भारत वर्ष का दुर्भाग्य है कि यहाँ गायों का कुलेल करना तो दूर की बात है, उन्हें विचरण करने के लिए तनिक सी भूमि भी उपलब्ध नहीं। मात्र व्यावसायिक दृष्टि से आज गायें पाली जाती हैं। उन्हें खूंटे से बाँधकर रखा जाता है और अधिक दूध मिल सके, इसलिए उन्हें आक्सीटॉसिन के इंजेक्शन दिये जाते हैं। इससे न केवल गायें दुर्बल और अल्पायु होती हैं अपितु प्राप्त दूध भी विषाक्त होता है।

आज गायों और अन्य दुधारू पशुओं से गोचर क्षेत्र और सिंह आदि वन्यजीवों से उनका वनक्षेत्र, जिसे कभी वशिष्ठ जैसे तपस्वियों द्वारा विकसित किया गया था। आज भूमाफियों द्वारा छीना जा चुका है। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी होने से कृषि व्यवसाय प्रभावित हुआ है। यूरिया आदि कृत्रिम खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर खाद्यान्न, दालें आदि फसलें और चारा भले ही उगा लिया जाये, किन्तु यह कृषि उत्पाद खाद्य सुरक्षा के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता।

वन गोचर भूमि के विनाश से देश के पर्यावरण को गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। हिमालय के ग्लेशियर विश्व के सभी ग्लेशियरों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इक्कीसवीं सदी में विलुप्त हो सकती हैं, ऐसी आशंका है। नेपाली मंत्री-मंडल ने 4 दिसम्बर 2009 को एवरेस्ट शिखर पर बैठक कर विश्व को पर्यावरण संकट के संबंध में चेताने की चेष्टा की थी।

हिमालय क्षेत्र गत वर्षों में प्रलयंकारी बाढ़ व भूकम्पों के प्रकोप के साथ लद्दाख, उत्तराखण्ड एवं नेपाल में भूस्खलन से भारी विनाश त्रासदी झेल चुका है। गुरु पूर्णिमा पर्व महान गुरुओं के वन, गोचर एवं पर्यावरण निमित्त योगदान का पावन स्मरण कराता है। यह पर्व श्रीमद्भागवत, महाभारत एवं ब्रह्मसूत्र के रचयिता वेद व्यास जी के जयन्ती के रूप में भी मनाया जाता है।

6/134 मुक्ता प्रसाद नगर
बीकानेर-334004
मो. 9636291556

राष्ट्रनायक : लोकमान्य तिलक

❐ देवीलाल राठौड़

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 ई. को रत्नागिरी में हुआ। इनका बचपन का नाम बलवन्तराव था। इन्हें बचपन में स्नेह से 'बाल' इस संक्षिप्त नाम से ही सब पुकारते थे। बड़े होने पर भी इनका 'बाल' नाम ही प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता गंगाधर राव गणित के पंडित थे। इनकी माता पार्वतीबाई धार्मिक वृति की थी। पाँच वर्ष की आयु में विजयादशमी के शुभ दिन ये पढ़ने गए। दस वर्ष की आयु में माता का और पन्द्रह वर्ष की आयु में पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया। बाल गंगाधर ने सन् 1877 ई. में बी.ए. पास कर सन् 1879 ई. में वकालत की डिग्री प्राप्ति की। 1 जनवरी, 1880 ई. को वे एक स्कूल के प्रमुख अध्यापक बने। इस स्कूल की सर्वत्र बड़ी चर्चा प्रशंसा थी पर कुछ मतभेद हो जाने के कारण सन् 1890 ई. में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उन्हीं दिनों वे 'केसरी' के संपादक भी थे और उग्र लेख लिखने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। सन् 1885 ई. में तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इनका परिचय विपिनचंद्र पाल और लाला लाजपतराय से हुआ। तिलक स्वराज्य के उत्कट प्रेमी थे। उनका कहना था-'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।' स्वतन्त्रता पाने में उनका मूल मंत्र था-'केवल शब्द नहीं, अपितु क्रिया।' इसी उद्देश्य से उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, गोरक्षा आंदोलन, गणेशोत्सव तथा शिवाजी उत्सव में बड़ी रुचि एवं उत्साह से भाग लिया। 'केसरी' के माध्यम से उन्होंने अपने ओजस्वी विचार समाज को दिए और वे इसी कारण कई बार जेल गए। सन् 1896 में दुर्भिक्ष और सन् 1897 में प्लेग फैलने पर तिलक ने उल्लेखनीय कार्य किया। समाज-देश में तिलक का बड़ा सम्मान था। इनके शब्द जनता के लिए वेदवाक्य थे। महात्मा गांधी भी इनका बहुत आदर करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके विचारों से सहमत न थे। यद्यपि लक्ष्य दोनों का एक था। गोखले नरम दल के थे तो तिलक गरम दल के। तिलक का अंग्रेजों से संघर्ष चलता रहा। तिलक 22 जून, 1908 ई. में राजद्रोह एवं सांप्रदायिक विद्वेष के अपराध में गिरफ्तार हुए। उन्हें 6 वर्ष का देश निर्वासन और 2000 रु. जुर्माना दया दिखाते हुए जज ने सजा दी। उन्हें मांडले जेल में रखा गया। तब जेलें भूमिगत नरक थी। तिलक जन्मजात योद्धा तथा असली मराठा थे। उन्होंने झुकना नहीं सीखा था। उन्होंने वहीं 'गीतारहस्य' नामक ग्रंथ लिखा। इसी समय जून 1912 ई. में इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। जेल से छूटने पर इन्होंने देश का दौरा किया। अमृतसर कांग्रेस के समय तिलक का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। दुर्भाग्यवश 31 जुलाई 1920 ई. को 12 बजकर 40 मिनट पर राष्ट्र का गौरव हमारा तिलक काल के गाल में सदा के लिए समा गया। आजादी के आंदोलन के अग्रदूत को शत-शत नमन्।

अध्यापक, महावीर नगर, बाड़मेर

रपट : भामाशाह सम्मान समारोह

मानव कल्याण के लिए दिया गया धन सर्वश्रेष्ठ: मेघवाल

❒ महावीर प्रसाद गर्ग

भामाशाह परिचय

भामाशाह बाल्यकाल से मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूलमंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में आप सदैव अग्रणी रहे। आपको मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था और दानवीरता के लिए आपका नाम इतिहास में अमर है। आपका निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में निर्णायक साबित हुआ। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व न्योछावर हो जाने के बाद उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए अपनी सम्पूर्ण धन-सम्पदा अर्पित कर दी। आपने यह सहयोग तब दिया जब महाराणा प्रताप निराश होकर परिवार सहित पहाड़ियों में रहकर राष्ट्र की रक्षा की योजना बना रहे थे। आपने मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली गद्दी का प्रलोभन भी ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप को दी गई आपकी हरसम्भव सहायता ने मेवाड़ के आत्मसम्मान एवं संघर्ष की एक नई दिशा दी। भामाशाह अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर हो गए। भामाशाह के सहयोग ने ही महाराणा प्रताप को जहाँ संघर्ष को दिशा दी, वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में रह रहे थे, तब भामाशाह ने अपनी सारी जमा पूँजी महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी। तब भामाशाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े उत्साह के साथ सुने और सुनाए जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी निजी सम्पत्ति में इतना दान दिया था कि जिससे 25,000 सैनिकों का बारह वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित कर फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया।

आप बेमिसाल दानवीर एवं त्यागी पुरुष थे। आत्मसम्मान और त्याग की यही भावना आपको स्वदेश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देश-भक्त के रूप में शिखर पर स्थापित कर देती है। धन अर्पित करने वाले किसी भी दानदाता को दानवीर भामाशाह कहकर उसका स्मरण-वंदन किया जाता है। आपकी दानशीलता के चर्चे उस दौर में बड़े उत्साह, प्रेरणा के संग सुने-सुनाए जाते थे। अतः शिक्षा विभाग में इनकी स्मृति में इनकी जयन्ती 28 जून को राजकीय विद्यालयों को दान देने वाले दानदाताओं हेतु भामाशाह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

भामाशाह जयन्ती के अवसर पर 28 जून 2016 को शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा बिड़ला सभागार जयपुर में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने में जन सहभागिता दानदाताओं ने दिखाई है। इस अवसर पर 62 भामाशाहों व 17 प्रेरकों के द्वारा 27 करोड़ से अधिक का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ।

इस समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल एवं समारोह के अध्यक्ष शिक्षा राज्यमंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी थे। स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री बी.एल. स्वर्णकार, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री जे.सी. पुरोहित एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की निदेशक श्रीमती पूनम भी मंच पर विराजमान थे।

अतिथियों को मुख्य द्वार पर रोली चावल का टीका लगाकर पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत राजस्थानी वेशभूषा में सजी धजी छात्राओं ने किया। स्वागत से पूर्व 'गार्ड ऑफ ऑनर' जयपुर के एन.सी.सी. छात्रों की आर्मी एवं नेवी विंग ने पुलिस बैण्ड की सस्वर धुन के साथ दिया। अतिथियों के मंचासीन होने के पश्चात् माँ सरस्वती एवं दानवीर भामाशाह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही जयपुर के विभिन्न विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी।

तत्पश्चात् कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कैलाश मेघवाल एवं अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी का विभाग के अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया।

स्वागत भाषण एवं समारोह परिचय: श्री नरेशपाल गंगवार शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा स्वागत भाषण किया गया तथा भामाशाह जयन्ती के पावन पर्व पर सम्मानित होने वाले भामाशाहों, प्रेरकों एवं सभागार में उपस्थित लोगों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। समारोह का परिचय देते हुए शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन के क्षेत्र में किए जाने वाले सहयोग एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 40% दानदाता SDMC के माध्यम में राशि उपलब्ध कराए तो शेष 60% राशि राज्य सरकार योजना के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं नामांकन वृद्धि की अपील के साथ भामाशाहों से इस पावन ज्योति को जलाए रखने का आग्रह किया। पुनः कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह का अभिनंदन किया।

उद्बोधन-शिक्षामंत्री : शूरवीर, दानवीर एवं त्यागी भामाशाह को नमन करते हुए उद्बोधन प्रारम्भ किया। भामाशाह ने सम्पूर्ण जीवन की पूँजी महाराणा प्रताप के चरणों में

अर्पित कर दी ताकि युद्ध में धन की कमी नहीं रहे और आजादी कायम रहे। शिक्षामंत्री ने कहा धन कमाना अलग बात है परन्तु खर्च करना भी सरल काम नहीं है। भामाशाहों द्वारा लगातार दानराशि बढ़ रही है इसके लिए कृतज्ञता अर्पित की। इस अवसर पर राजकीय अध्यापकों की प्रशंसा की कि राज्य एवं जिला मैरिट में सरकारी विद्यालयों की भागीदारी इस वर्ष बढ़ी है।

राजकीय विद्यालयों में अभूतपूर्व नामांकन वृद्धि हुई है इसके लिए सभी को बधाई दी तथा और नामांकन बढ़ाने की अपील की। इस वर्ष 18.5 लाख नामांकन वृद्धि की सम्भावना बताई। शिक्षा विभाग में 82 लाख छात्र, 4.5 लाख शिक्षक विभाग में कार्यरत हैं। यह धारा निरन्तर बहती रहे, शिक्षा को सहयोग मिलता रहे तो मन को सुखद अनुभूति होगी।

उन्होंने अनेक राजकीय योजनाओं का परिचय दिया तथा विद्यालयी पाठ्यक्रम को देश की माटी से जोड़कर देश को आगे बढ़ाने की बात कही। अलवर के मो. इमरान खान मेवाती को शैक्षिक ऐप बनाने के लिए धन्यवाद किया।

प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन : भामाशाह एवं प्रेरकों के सम्मान के अवसर पर प्रशस्ति पुस्तिका का भी माननीय अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। पुस्तक में भामाशाहों एवं प्रेरकों की प्रशस्तियों का उल्लेख किया गया है।

भामाशाह व प्रेरक सम्मान : भामाशाह एवं प्रेरकों के सम्मान माननीय मुख्य अतिथि श्री कैलाश मेघवाल द्वारा स्मृति चिह्न, अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र, शासन सचिव द्वारा शॉल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा माला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा श्रीफल तथा निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा पुस्तकों का सैट प्रदान किया गया। अनेक भामाशाह सपरिवार उपस्थित हुए। सम्मान के दौरान लगातार तालियों की करतल ध्वनि उत्साहपूर्वक होती रही। बहुत से क्षण अत्यंत रोमांचकारी थे।

आशीर्वचन माननीय मुख्य अतिथि द्वारा : कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विधान सभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने अपने आशीर्वचन में बताया कि महाराणा प्रताप जब बहुत निराशा के भाव में थे उस समय भामाशाह ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी। तब मेवाड़ की आजादी का संग्राम मुगलों के खिलाफ हुआ। इस प्रकार भामाशाह ने अपनी एकत्र पूंजी को दान कर मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ प्रयोग किया। इसी संदर्भ में मुख्य अतिथि ने बताया कि धन की तीन गति होती है। 1. **दान**–मानव कल्याण के लिये किया जाने वाला उपयोग। 2. **उपभोग**–धन को कमाना एवं अपने गृहस्थ जीवन के लिये उपयोग करना। 3. **नाश**–व्यसनों या बुरे काम में लगाना। इसीलिए कहा है कि–

पूत कपूत तो क्यों धन संचय?
पूत सपूत तो क्यों धन संचय?

प्राचीन बौद्धिक सम्पदा में भारत सदा ही विश्व में अग्रणी रहा है, इसका साहित्य लेखन पर्याप्त मात्रा में हुआ है परन्तु अंग्रेजों ने इस ज्ञान का प्रसार नहीं होने दिया है, चारों वेदों के 22000 श्लोक, 18 पुराण, 108 उपनिषद की तरह महर्षियों द्वारा अनेकानेक ग्रंथों की रचना की गई है जिस पर अनुसंधान विदेशों में हो रहा है। भारत पूर्व में सोने की चिड़िया कहलाता था परन्तु अंग्रेजों ने प्राकृतिक सम्पदा का दुरुपयोग किया और औद्योगिक वृद्धि नहीं होने दी जिससे आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता गया। अब हम नई ऊर्जा लेकर काम कर रहे है अतः भारत पुनः विश्व गुरु होगा और सोने की चिड़िया कहलायेगा। अपने उद्बोधन के अंत में शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, विभागीय अधिकारियों व अन्य सहकारियों को शानदार ढंग से कार्यक्रम आयोजित करने की बधाई दी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री बी.एल. स्वर्णकार ने इस ऐतिहासिक गौरवमयी कार्यक्रम के प्रत्येक पल पर सक्रिय भागीदारी दिखाई। भामाशाहों एवं प्रेरकों से व्यक्तिशः मिलकर धन्यवाद दिया। शिक्षा की गुणवत्ता व नामांकन वृद्धि हेतु शिक्षा विभाग को दिए जाने वाले दान की परम्परा को अविरल बनाए रखने की सादर अपील की।

धन्यवाद ज्ञापन : निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री जगदीशचंद्र पुरोहित ने माननीय मुख्य अतिथि श्री कैलाश जी मेघवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, रमसा के निदेशक श्रीमती पूनम, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री बी.एल. स्वर्णकार अन्य शिक्षाधिकारियों, भामाशाहों, प्रेरकों, कार्यक्रम में लगे कार्यकर्त्ताओं एवं मीडिया से आए हुए सभी पत्रकारों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम संचालन श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 'हंस' व डॉ. ज्योति जोशी ने किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

भामाशाह

1. मो. इमरान खान मेवाती, देवखेड़ा (अलवर)	332.00 लाख रुपये
2. हैवल्स इण्डिया लिमिटेड (अलवर)	254.58 लाख रुपये
3. हिन्दुस्तान जिंक रामपुरा आगूचा खान हरड़ा (भीलवाड़ा)	239.02 लाख रुपये
4. हिन्दुस्तान जिंक चंदेरिया लिड जिंक स्मेल्टर, चित्तौड़गढ़	141.20 लाख रुपये
5. श्री बंशीधर परवाल, जयपुर	117.00 लाख रुपये
6. जागृति, वैशाली नगर, जयपुर	102.87 लाख रुपये
7. वण्डर सीमेंट लि., निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	96.47 लाख रुपये
8. आई.डी.एफ.सी. फाउण्डेशन, नई दिल्ली	92.55 लाख रुपये
9. श्री शीशराम रणवां, नवलगढ़ (झुंझुनूं)	88.49 लाख रुपये
10. श्री सुनील कुमार पुरोहित, बैंगलौर	70.11 लाख रुपये
11. हिन्दुस्तान जिंक राजपुरा दरीबा काम्प्लेक्स, रेलमगरा (राजसमंद)	65.79 लाख रुपये
12. आशियाना हाउसिंग लिमिटेड भिवाड़ी (अलवर)	63.30 लाख रुपये
13. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कम्पनी कायड़, अजमेर	58.20 लाख रुपये
14. एस.एम. सहगल फाउण्डेशन गुड़गाँव (हरियाणा)	48.00 लाख रुपये
15. सिगवर्क फाउण्डेशन (एन.जी.ओ.) भिवाड़ी (अलवर)	40.74 लाख रुपये
16. श्री राकेश कुमार गोयल, मुण्डावर, अलवर	40.63 लाख रुपये
17. श्रीमती यशवन्त कंवर एवं रणजीत सिंह भण्डारी मेमोरियल फाउण्डेशन, जयपुर	39.16 लाख रुपये
18. होण्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, टपुकड़ा, अलवर	38.83 लाख रुपये
19. पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	37.39 लाख रुपये

कारोड़ा बहरोड़, (अलवर)	
20. श्री गिरधारी लाल जांगिड़, नवलगढ़ (झुंझुनूं)	32.47 लाख रुपये
21. एस.आर.एफ. लिमिटेड़ भिवाड़ी (अलवर)	32.43 लाख रुपये
22. श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, बालकेश्वर, मुम्बई	31.25 लाख रुपये
23. अल्ट्राटेक सीमेंट लि. इकाई-बिड़ला व्हाइट (जोधपुर)	27.98 लाख रुपये
24. एवेलोन ग्रुप, गुड़गांव (हरियाणा)	27.50 लाख रुपये
25. श्री सीमेंट लि. रास (पाली)	25.99 लाख रुपये
26. पेरनोड रिकॉर्ड इण्डिया, जयपुर	25.75 लाख रुपये
27. श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंगस लिमिटेड, पथरेडी (अलवर)	25.60 लाख रुपये
28. जिलेट इण्डिया लिमिटेड भिवाड़ी (अलवर)	25.25 लाख रुपये
29. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली	24.96 लाख रुपये
30. सेन्ट गोबेन इण्डिया प्रा. लि. भिवाड़ी (अलवर)	23.66 लाख रुपये
31. ओरियण्ट सिन्टैक्स, भिवाड़ी (अलवर)	22.92 लाख रुपये
32. अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, रींगस (सीकर)	21.98 लाख रुपये
33. वर्ल्ड विजन इण्डिया, अलवर	21.83 लाख रुपये
34. शुभ करण मुराणा, जयपुर	20.91 लाख रुपये
35. गिन्नी इन्टरनेशनल लि. नीमराना (अलवर)	20.14 लाख रुपये
36. ए.बी.सी.आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लि., कोलकाता	19.42 लाख रुपये
37. लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, भरतपुर	19.01 लाख रुपये
38. श्री खुमाराम गोदारा, बीदासर (चूरू)	17.29 लाख रुपये
39. श्री पी. प्यारेलाल जैन, एमोर (चैन्नई)	16.92 लाख रुपये
40. श्री महेन्द्र खण्डेलवाल, द्वारका, दिल्ली	16.64 लाख रुपये
41. आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, जयपुर	15.21 लाख रुपये
42. माताश्री गोमती देवी जन सेवा निधि (लुपिन), अलवर	15.13 लाख रुपये
43. लाईफ स्ट्रा इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	15.00 लाख रुपये
44. यू.बी.एल. चौपानकी, भिवाड़ी (अलवर)	15.00 लाख रुपये
45. अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, भिवाड़ी (अलवर)	14.75 लाख रुपये
46. श्री सुरेश गुप्ता, बोरीवली वेस्ट (मुम्बई)	14.33 लाख रुपये
47. ए.आर.जी. डवलपर्स (जयपुर)	13.55 लाख रुपये
48. रेशम देवी नानक चन्द मित्तल फाउण्डेशन, अलवर	13.40 लाख रुपये
49. श्री राम कृपा बिल्ड होम प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर	13.00 लाख रुपये
50. महिमा फाउण्डेशन, जयपुर	12.84 लाख रुपये
51. बॉश इण्डिया फाउण्डेशन, जयपुर	12.67 लाख रुपये
52. श्री इन्द्र कुमार तीलानी, अलवर	12.20 लाख रुपये
53. वर्ल्ड विजन इण्डिया, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जयपुर	11.78 लाख रुपये
54. श्री राधे गोविन्द चरणार्पित सेवा ट्रस्ट, जयपुर	11.22 लाख रुपये
55. एस.बी.बी.जे. अंचल कार्यालय, अलवर	11.13 लाख रुपये
56. एम.जी.बी. होटल्स, अलवर	11.00 लाख रुपये
57. श्री अचला राम देवासी, बाड़मेर	10.90 लाख रुपये
58. श्री नेमीचंद तोसनीवाल, कोलकाता	10.46 लाख रुपये
59. वैद्य श्री शम्भुदयाल शर्मा, रींगस (सीकर)	10.36 लाख रुपये
60. श्री नारायण दास गुरनानी, जयपुर	10.29 लाख रुपये
61. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, खैरथल (अलवर)	10.00 लाख रुपये
62. श्री गौतम आर. मोरारका बिजनौर, (उ.प्र.)	10.00 लाख रुपये

प्रेरक

1. श्री तिलक राज पंकज (अलवर)
2. श्री श्याम सुंदर शर्मा (जयपुर)
3. श्री मैनपाल सिंह, नवलगढ़, झुंझुनूं
4. श्री अशोक कुमार आहूजा (अलवर)
5. श्री मोहनलाल परिहार (जालौर)
6. श्री अमित शर्मा (अजमेर)
7. श्री गिरीश गुप्ता (अलवर)
8. श्री राजकुमार जैन (अलवर)
9. श्री हरवंश राय (अलवर)
10. श्री अर्जुन सिंह (अलवर)
11. श्री ओमप्रकाश कुडी (जयपुर)
12. श्रीमती सरोज गुप्ता (अलवर)
13. श्री कृष्णपाल यादव (अलवर)
14. श्री महेन्द्र सिंह यादव (अलवर)
15. श्री गुलाम हैदर (झुंझुनूं)
16. श्री मंगलचंद कुमावत (सीकर)
17. श्री गौरी शंकर जांगिड़ (जयपुर

-प्रधानाचार्य,
शहीद अमित भारद्वाज रा.उ.मा.वि.,
माणक चौक, जयपुर **मो. 9414466463**

नदी को पार करना पौरुष का काम है, वरना बहाव के साथ तो लाशें भी चली जाती हैं। –स्वामी विवेकानन्द

शुद्ध सात्विक त्याग

वे प्रसिद्ध समाजसेवी थे। नाम था जमशेद जी मेहता। कराची के जन-चिकित्सालय के लिए धन-संग्रह करने वाली समिति के मुख्य सदस्यों ने उनके पास जाकर कहा कि हमारी समिति का निर्णय है कि 10,000 रुपये दान करने वाले महानुभावों के नाम की ही संगमरमर की विशेष शिला लगायी जायेगी।

मेहता जी ने पूछा-"इससे क्या लाभ होगा?" उत्तर मिला-"इससे दानदाता का नाम भी अमर होता है और जनता को दान देने की प्रेरणा भी मिलती है।" मेहता जी मन ही मन मुस्कुराये और उन्होंने तत्काल ही उनके सम्मुख बड़ी धनराशि रख दी। नोटों को गिना जाने लगा। रोचक बात यह रही कि नोट गिनवाने पर कभी 10,000 होते थे और कभी 9950। नोट वास्तव में 9950 ही थे। गिनने वालों के मन में दस हजार की राशि बैठी होने से ही यह गड़बड़ हो जाती थी। अन्ततः बार-बार गिने जाने पर स्वयं मेहता जी ने कहा-"भाई! वे केवल 9950 रुपये हैं, दस हजार नहीं।"

आश्चर्यचकित सदस्यों ने कहा-"आप यदि केवल पचास रुपये और दे देंगे तो आपको तो कुछ अन्तर नहीं पड़ेगा, पर लाभ यह होगा कि आप के नाम की शिलापट्टिका भी लग जायेगी।"

मेहता जी ने कहा-"बस इसीलिए 9950 रुपये दिये हैं। मैं दान देकर विज्ञापन कराने के पक्ष में नहीं हूँ। महत्व चिकित्सालय का ही रहना चाहिए, दानदाता का नहीं। यदि विज्ञापन किया गया तो निर्धन व्यक्तियों को त्याग की प्रेरणा कैसे मिलेगी? और धनी व्यक्तियों को भी शुद्ध-सात्विक त्याग की प्रेरणा कहाँ मिलेगी? भाई! नेकी कर और दरिया में डाल।" बात इतनी स्पष्ट थी कि इस के आगे तर्क का कोई स्थान नहीं था। सभी सदस्य श्रद्धानत थे।

-आशीष राजोरिया
बी-104, आनन्दपुरी, एम.डी. रोड, जयपुर

वे दिन और अब

❐ सालगराम परिहार

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के वे दिन कुछ और थे जब सन् 1968 में पाँचवी कक्षा में अध्ययन कर रहा था। एकल शिक्षक के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन गुरुजनों की गुणवत्ता की मिसाल को मैं आज भी नमन करता हूँ। साधारण किसान परिवार, आर्थिक संकट एवं पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल समय पर विद्यालय पहुँचना, विद्यालय की समस्त गतिविधियों, शनिवारीय सभा, खेलकूद प्रार्थना, पेड़-पौधों की देखभाल आदि कार्यों को तल्लीनता से करके वापस घर पर माता-पिता के कार्यों में हाथ बंटाना जरूरी होता था। प्राथमिक शिक्षा के वे गुरु जीवन लाल देव जो कि 'वीर' के नाम से जाने जाते थे। नियमित अध्यापन के साथ रविवार को भी विद्यालय में छुट्टी नहीं रखकर पढ़ाते। जब कभी गुरुजी सरकारी कार्य से बाहर रहते तो उनकी धर्म पत्नी (बहिनजी) हमें पढ़ाते तथा संस्कारित जीवन की बातें बताते।

उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा व स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर जब शिक्षकीय जीवन का शुभारंभ हुआ तो मेरे जीवन के वे स्मरणीय पल (विद्यार्थी काल) मुझे अपने कर्मक्षेत्र में सदा कर्तव्य के प्रति सचेत करते रहे। शिक्षकीय जीवन की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प मुझे सदा सावधान करता रहता।

समय ने करवट बदली, विद्यार्थियों की दुआ से एवं गुरुजनों की प्रभावी वाणी ने मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। मेरे जीवनकाल का वह स्वर्णिम दिन 5 सितम्बर 2003 (शिक्षक दिवस), जब मुझे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

मैंने दायित्व का निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। जिसकी बदौलत मैं आज अध्ययन काल के गुरुजनों को सदा स्मरण करता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये संस्कारों का पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। समय के बदलाव ने गुरुओं के लगाव को कम किया है। हमारे जमाने में गुरु का आदेश सर्वोपरि होता था लेकिन आज.....

समय की पाबंदी, अनुशासन एवं आज्ञाकारी शिष्यों का ग्राफ गिर रहा है। यद्यपि शिक्षा में गुणवत्ता एवं संख्यात्मक वृद्धि हुई है। फिर भी वे दिन और थे। वर्तमान में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है लेकिन ईर्ष्या भी अपना साथ नहीं छोड़ती है। अंकों का प्रतिशत बढ़ा है। रटने में अग्रणी रहने से समझ में धीमापन आ जाता है। अनहोनी घटनाओं में वृद्धि होना व संस्कारों की कमी होने से रास्ता भटक जाते है। श्रद्धा व सम्मान के स्थान पर विद्यार्थीगण घुटन महसूस कर रहे हैं। मेरे विद्यार्थी जीवन के आदर्श गुरु जीवराज वर्मा (सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी), श्रीमती विद्योतमा वर्मा (से.नि. जि.शि. अधिकारी), डॉ. हेतु भारद्वाज की वे बातें जिसने मेरे जीवन को नये आयाम दिये, मैं सुदूर रेतीले क्षेत्र का रहने वाला दिल्ली के विज्ञान भवन में पहुँचा। अपने दोष को दूर करने की बजाय दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति का भाव वर्तमान में अधिक पनप रहा है। जो कि आने वाले समय के लिए घातक है। गुरु व शिष्य के संबंधों में प्रगाढ़ता होना आवश्यक है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
बालोतरा, (बाड़मेर)

बच्चों में अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करें

❐ सांवलाराम नामा

पुस्तकें बच्चों के मन, मस्तिष्क, दिल पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यह बच्चों के सोचने विचारने की शक्ति बढ़ाने में भी सहायक है। वहीं किताबें पढ़ने से बच्चों में रचनात्मकता, सृजनात्मकता पैदा होती है। कुछ नया करने की ललक, उमंग, उत्साह पैदा होते हैं। किताबों से मनन, चिन्तन, मंथन करने की शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही वे बच्चों को सुसंस्कृत, संस्कारवान व धैर्यशील भी बनाती है।

किताबें न पढ़ने वाले बच्चों में से अधिकांशतः बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। स्कूली कोर्स के अलावा मन पढ़ने में नहीं लगता। इसके लिए सीधा सा सुझाव है कि वे पहले बच्चों की मनपसंद को जानें। जैसे बच्चों के खेल और खिलौनों के बारे में। उन्हें किस तरह की किताबें पसंद है। फिर सर्वप्रथम उनकी रुचि से जुड़ी पुस्तकें ही उन्हें पढ़ने को दें। सभी बच्चों की अभिरुचि व क्षेत्र एक से नहीं होते। बच्चों की रुचि समय और उम्र के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किताबों को पढ़ने में रुचि ले तो आप उसकी पसंद का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करें। किताबें या पत्रिकाएँ चुनते समय बच्चों के पसंदीदा विषय को वरीयता दीजिएगा। पढ़ने में रुचि जगाने के लिए उन्हें नियमित पढ़ने को प्रेरित, प्रोत्साहित करें।

इससे शनैः शनैः उनमें पुस्तक पढ़ने के प्रति रुचि आने लगेगी और स्वयं ही उनमें पढ़ने की बढ़िया आदत विकसित हो जायेगी।

कहा है कि पुस्तक ऐसा गुरु, शिक्षक, स्वामी है जो बिना मारे डाँटे शिष्य को असत्य से सत्य की ओर, अविद्या से विद्या की ओर ले जाते हैं। गीता का एक श्लोक है-

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर पैशुनम।
दया भूतेष्य लोलुप्तं मार्तरं हीरचापलम।।

अर्थात्-मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ व प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्म करते हुए कर्त्तापन के अहंकार का त्याग रखना, चित्त को चंचल न होने देना, निन्दा न करना, प्राणीमात्र के प्रति दया भाव रखना, इन्द्रियों का अपने विषय से संयोग होने पर उनमें आसक्ति का न होना तथा नीति विरुद्ध आचरण व व्यर्थ काम न करना ये श्रेष्ठ आचार संहिता के मुख्यतयाः लक्षण हैं। अतः बच्चों में अच्छा पढ़ने की आदत विकसित करें।

यह माता-पिता, अभिभावक, गुरुजी का परमधर्म है।

सेवानिवृत्त व्याख्याता
सदर बाजार रोड, निकट बड़ा चौराहा
भीनमाल-जालौर- 343029

आदेश-परिपत्र : जुलाई, 2016

● 1. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) छात्रवृत्ति भुगतान बाबत। ● 2. लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के मनोनयन आदेश। ● 3. 'मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना' के अंतर्गत जिले की दो मेधावी छात्राओं को वित्तीय वर्ष: 2015-16 से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बाबत। ● 4. राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिकों का मय फोटो विवरण प्रदर्शित किए जाने हेतु। ● 5. खिलाड़ी पात्रता नियम, चेकलिस्ट एवं पात्रता संबंधी आवश्यक संशोधन ● 6. विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु। ● 7. पूर्व मैट्रिक विशेष पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17। ● 8. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा. छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ● 9. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा. छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ● 10. अन्य पिछड़ा वर्ग केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ● 11. केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं (कक्षा 6 से 10) को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ● 12. सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ● 13. सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय मैट्रिक पूर्व (UNCLEAN) छात्रवृत्ति। ● 14. राजकीय/अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पत्र/प्रकरण पर टिप्पणी के नीचे हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, तिथि अंकित करने हेतु। ● 15. मिड डे मील योजना की मोनिटरिंग SMS Based AMSP से। ● 16. हिन्दी में हस्ताक्षर करने के संबंध में। ● 17. 29 अगस्त को खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद जयंती) के अवसर पर प्रशिक्षक/शा. शिक्षक का सम्मान करने हेतु। ● 18. राजमेडिक्लेम पॉलिसी के दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/निर्देश। ● 19. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार वर्ष 2016 के प्रस्ताव के संबंध में। ● 20. संस्था प्रधान द्वारा अध्यापक-अभिभावक परिषद के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश। ● 21. SDMC तथा SMC के गठन एवं दायित्व संबंधी निर्देश। ● 22. अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु।

1. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) छात्रवृत्ति भुगतान बाबत।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य./मा-द/पन्नाधाय/जीअयो/2014-15 दिनांक : 17.05.16 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) ● विषय : पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) छात्रवृत्ति भुगतान बाबत। ● प्रसंग : अतिरिक्त निदेशक (पेंशन) राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पत्रांक एफ 9(5)(25)/समीक्षा बैठक/स.न्या.अ.वि./ 2015-16/15001 जयपुर दिनांक 10.12.15 व 20.4.16 तथा इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.3.16

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप बीपीएल एवं आस्था कार्ड धारी परिवारों के 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र आपके अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा आवश्यक रूप से संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को भिजवाए जाने का प्रावधान है। जहाँ से ये आवेदन-पत्र एल.आई.सी. को भिजवाए जाने का प्रावधान है। एल.आई.सी. द्वारा अवगत करवाया गया है कि विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या न होने के कारण उक्त छात्रवृत्ति भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है तथा छात्रवृत्ति के भुगतान लंबित है।

आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 30.3.16 द्वारा निर्देशित किया गया था। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संस्था प्रधान को निर्देशित करावें कि छात्रवृत्ति भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ छात्र-छात्राओं के बैंक खाता संख्या, IFSC कोड एवं पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति को भी भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें ताकि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खातों में सीधे जमा कराई जा सके। **इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। यदि किसी पात्र विद्यार्थी का भुगतान में विलम्ब होता है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।**

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिकाधिक छात्र-छात्राएं योजना से लाभान्वित हो सके।

●उप निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

2. लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के मनोनयन आदेश।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय-आदेश ● इस कार्यालय द्वारा पूर्व में लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के नियुक्ति संबंधी जारी आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोनीत किए जाते हैं :-

क्र. सं.	लोक सूचना अधिकारी (स्वयं के कार्यालय हेतु)	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मा.शि.रा. बीकानेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2.	प्रधानाचार्य,उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3.	प्रधानाचार्य, राज. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4.	उप निदेशक समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5.	समस्त उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6.	प्रधानाचार्य, शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

7.	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
8.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) (विधि) जयपुर/जोधपुर	संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
9.	समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (राजकीय उमावि/मावि) बालक/ (विशिष्ट श्रेणी विद्यालयों सहित)	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
10.	व्यवस्थापक, गुरुनानक संस्थान, जयपुर	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर-प्रथम

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/सूअप्र/निर्देश/2014-15/78 दिनांक 19.05.2016

3. 'मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना' के अन्तर्गत जिले की दो मेधावी छात्राओं को वित्तीय वर्ष: 2015-16 मे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/बाप्रोयो/मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना/ 2015-16/ दिनांक : 24.5.16 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) ● विषय : 'मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना' के अन्तर्गत जिले की दो मेधावी छात्राओं को वित्तीय वर्ष : 2015-16 से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बाबत। ● प्रसंग : शासन का पत्रांक : प.17(11)शिक्षा-1/2015, जयपुर, दिनांक : 16.10.2015 व 5.5.16. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक दिनांक 19.10.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन एवं इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.10.15 के क्रम के लेख है कि 'मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना' के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा में प्रत्येक जिले की दो मेधावी (Meritorious) छात्राओं को वित्तीय वर्ष : 2015-16 से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

शासन के पत्र दिनांक 5.5.16 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत पूर्व के जारी निर्देशों के अनुसार **दो मेधावी (Meritorious) छात्राओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त एक बी.पी.एल. परिवार की जिले में प्रथम स्थान मेधावी छात्रा को भी सम्मिलित किया जाए** तथा उसी प्रकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए जिस प्रकार जिले की अन्य दो मेधावी छात्राओं को उपलब्ध करवाई गई है।

इस क्रम मे आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि जिस प्रकार जिले की दोनों मेधावी छात्राओं की संलग्न प्रपत्र-1 में सूचना तैयार कर पृथक पत्रावली संधारित करते हुए तथा प्रपत्र-1 में सूचना निदेशालय तथा सचिव, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर को उपलब्ध करवायी गई थी उसी प्रकार जिलें में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बी.पी.एल. परिवार की मेधावी छात्रा का बोर्ड की संशोधित जिला स्तर मैरिट सूची से चयन कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। ध्यान रहे इस हेतु शेष शर्तें पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही रहेंगी। यह कार्य यथाशीघ्र पूर्ण सावधानी बरतते हुए करना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

4. समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/ कार्मिकों का विवरण मय फोटो विद्यालय में प्रविष्ट होने वाले आगन्तुकों के लिए सहज-सुगम अवलोकनीय स्थल पर प्रदर्शित किए जाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/निप्र/डी-1/104-11/नवाचार/2016/188 दिनांक : 10-6-16 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारम्भिक (प्रथम/द्वितीय) ● विषय : समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिकों का विवरण मय फोटो विद्यालय में प्रविष्ट होने वाले आगन्तुकों के लिए सहज-सुगम अवलोकनीय स्थल पर प्रदर्शित किए जाने बाबत। ● प्रसंग : इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक : शिविरा-माध्य/निप्र/डी-2/21760/मैन/निरीक्षण/2000-09, दिनांक : 03.07.2009

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रासंगिक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें विद्यालय की शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तुस्थिति का परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा एक नजर में अवलोकन के प्रयोजन से विद्यालय की समस्त आवश्यक सूचनाएँ **'विद्यालय एक नजर में' (School at a Glance)** शीर्षक से संकलित कर अद्यतन रूप से रखे जाने बाबत निर्देश प्रदान किए गए हैं। पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुवर्तन में लेख है कि:-

- विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के विवरण संबंधी सूचना **'हमारे शिक्षक/कार्मिक'** शीर्षक के अन्तर्गत निम्नांकित प्रारूप में कार्मिक के नाम के समक्ष नवीनतम आवक्ष चित्र (Photo) की प्रविष्टि करते हुए अद्यतन संधारित करें एवं विद्यालय में प्रविष्ट होने वाले आगन्तुकों के लिए सहज-सुगम अवलोकनीय स्थल पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करावें।

हमारे शिक्षक/कार्मिक

विद्यालय का नाम.....

क्र.सं.	फोटो	नाम शिक्षक/ कार्मिक	जन्म तिथि	योग्यता	पद मय विषय
1	2	3	4	5	6

- विद्यालय परिसर में आगमन पर विद्यार्थियों को स्वयं की छवि अवलोकन हेतु सुगम स्थल पर दर्पण (Mirror) की स्थाई व्यवस्था की जानी सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में तत्काल सम्पादित किए जाने हेतु समस्त अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित कर पालना से अवगत कराएँ।

● (जगदीश चन्द्र पुरोहित) आई.ए.एस. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

5. खिलाड़ी पात्रता नियम, चेक लिस्ट एवं पात्रता (योग्यता) प्रमाण पत्र–आवश्यक संशोधन

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय आदेश ● इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा–माध्य/खेलकूद–3/35101/(2)/2005–06/15 दिनांक 11.08.2005 द्वारा प्रसारित शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ, साहित्यिक–सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ आयोजन नियमावली एवं मार्गदर्शिका–2005 में उल्लेखित नियम 9 (9.1.1 से 9.1.12) 'खिलाड़ी पात्रता नियम, चेक लिस्ट एवं पात्रता (योग्यता) प्रमाण पत्र' में सत्र 2016–17 होने वाली क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में राजस्थान राज्य के छात्र–छात्रा खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संभागी खिलाड़ियों के पात्रता नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है :–

क्र. सं.	नियमावली नियम सं.	नियमावली पृष्ठ सं.	संशोधन परिवर्द्धन
1.	9.1.13	23–24	योग्यता पात्रता प्रमाण पत्र के साथ प्रतियोगी खिलाड़ियों का राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
2.	9.1.14	23–24	राज्य के बाहर के खिलाड़ियों के द्वारा उक्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु गत दो वर्ष लगातार राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत रहने की (दोनो वर्षों की अंकतालिकाएँ संलग्न करते हुए) बाध्यता आवश्यक होगी।
3.	9.1.15	23–24	किसी भी कक्षा में दो वर्ष से अनुत्तीर्ण/ठहराव वाले छात्र/छात्रा किसी भी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4.	9.1.16	23–24	केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत/निजी संस्थानों में कार्यरत एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों के विद्यार्थियों से संबंधित विभाग/ संस्था/ राजपत्रित अधिकारी से राजस्थान में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्तानुसार समस्त संशोधन/परिवर्द्धन सत्र 2016–17 से प्रभावी होंगे। शेष नियम/निर्देश यथावत रहेंगे।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा./खेलकूद–3/35968/राज्य स्तरीय प्रति./2015–16/108 दिनांक 03.6.2016

6. विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./स–1/60133/वि.पि.वर्ग/पूमै/2016–17 दिनांक : 09–6–16 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) ● विषय : विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

राजस्थान सरकार, के पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा–1/2011 दिनांक 20.05.2011, पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा–1/2011 दिनांक 12.07.2011 एवं 05.01.12 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग {1. बंजारा, बालदिया, लावाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देवासी)} के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण करने के निर्देशानुसार नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यक्रम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	जि.शि.अ. द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	10.08.2016

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:–

A. आवेदन :

विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.rhiksha.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाइट से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता :

1. विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग

द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।

3. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 (दो लाख) रुपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक प.13(34)राज/ग्रुप-1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।

5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

6. छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)
1.	छात्र	6 से 8	50/- प्र. माह
2.	छात्रा	6 से 8	100/- प्र. माह
3.	छात्र	9 से 10	60/- प्र. माह
4.	छात्रा	9 से 10	120/- प्र. माह

C. संलग्न दस्तावेज :-

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की मूल/सत्यापित फोटो प्रतियाँ ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण-पत्र बिन्दु संख्या B-3 के अनुसार (मूल)
2. जाति प्रमाण-पत्र
3. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।

आपके कार्यालय में शिक्षक संस्थानों से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राप्ति रजिस्टर संधारण किया जावे। रजिस्टर में प्रविष्ट का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जाँच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए। छात्र/छात्राओं से संबंधित सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र 'अ' में कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखे जाएँ एवं माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं।

ऊपर अंकित पात्रता मानदण्डों, निर्देशों एवं शर्तों का गहनता से अध्ययन कर तत्काल अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्त कर आपके जिले के प्रस्ताव प्रपत्र 'ब' में मय प्रमाण-पत्र के हार्ड कॉपी मय सीडी सहित वाहक स्तर पर दिनांक 10.08.2016 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएँगे।

नोट:-राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार समस्त द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न : प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./स-1/60133/वि.पि.वर्ग/पूमै/2016-17 दिनांक : 09.06.2016

प्रपत्र-अ

(विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति की सूचियाँ जि.शि.अ. कार्यालय रिकार्ड में संधारित रखने का प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता/पिता संरक्षक की वार्षिक आय	विशेष पिछड़ा वर्ग में जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र-ब

(मांग राशि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गई राशि	कक्षा 9 से 10			चाही गई राशि	कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण–पत्र

''प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है, कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर

जि.शि.अ. (माध्य.)

7. पूर्व मैट्रिक विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) छात्रवृत्ति वर्ष 2016–17

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्व/छा.प्रो.प्र./स–1/60133/वि.पि.वर्ग/पूमै/2016–17/ दिनांक : 09.06.16 ● विज्ञप्ति ● पूर्व मैट्रिक विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) छात्रवृत्ति वर्ष 2016–17

राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक में राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं।

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता मानदण्ड, निर्देश एवं शर्तें :–

1. विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्रा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000 (दो लाख) रुपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावे।
7. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)
1.	छात्र	6 से 8	50/– प्र.माह
2.	छात्रा	6 से 8	100/– प्र.माह
3.	छात्र	9 से 10	60/– प्र.माह
4.	छात्रा	9 से 10	120/– प्र.माह

8. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट www.shiksha.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
9. आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार है :–
   (अ) छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 01.08.2016
   (ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी जि.शि.अ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 05.08.2016
   (स) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि (माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा) : 10.08.2016

पूर्तिशुदा आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/प्रारंभिक) एवं संस्कृत विभाग द्वारा अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार

विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लाबाना/गाडिया लोहार, गाडोलिया/गुजर, गुर्जर/राईका, रेबारी, देवासी)

आवेदन–पत्र

(सत्र 2016–2017 की छात्रवृत्ति हेतु)

आवेदक अपना नवीन फोटो चिपकाएँ

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति.....उपजाति.....
3. पिता का नाम व व्यवसाय.....
4. परिवार की कुल वार्षिक आय.....
5. प्रार्थी का निवास स्थान.....ग्राम.....
   पोस्ट.....तहसील.....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
   (अ) शाला का नाम.....स्थान.....
   (ब) पोस्ट ऑफिस.....तहसील.....जिला.....
7. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि.....
8. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :–
   स्कूल का नाम.....स्थान.....
9. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है.....
10. परीक्षा फल.....उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण.....

गत परीक्षा में अंकों का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान.....श्रेणी.....

योग.....प्राप्तांक.....

11. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हाँ तो:-
    (अ) कहाँ से मिलती है.....
    (ब) कितनी मिलती है.....
    (स) दर.....
    (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त.....
12. बैंक का नाम : .....
    खाता संख्या : .....
    IFSC कोड : .....
    भामाशाह कार्ड संख्या : .....
    आधार कार्ड संख्या : .....

माता-पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :- योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

04. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
05. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
06. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या राजकीय या स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

संबंधित सरपंच, पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र

03. मैं प्रमाणित करता हूँ कि छात्र/छात्रा की जाति..... है जो विशेष पिछड़ी जाति की गणना में आती है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील)

उक्त छात्र/छात्रा को.....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह.....से.....तक की छात्रवृति के कुल.....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृत्याधिकारी

पद (मय सील)

नोट:- जाति के कॉलम नं. 2 बंजारा, बालदिया, लावाना/गाडिया लोहार, गाडोलिया/गुजर, गुर्जर/राईका, रेबारी, देबासी आदि लिखना अत्यन्त आवश्यक है तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5) शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए।

8. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/छात्रप्रो/द/एस.सी.एस.टी/पूमै/2013-14 दिनांक : 09-06-16 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) ● विषय : कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र-छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र-छात्राओं के संभेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **10.08.2016** तक आवश्यक रूप भिजवाना सुनिश्चित करें।

1. योग्य पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार है :-

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्राएँ राजकीय विद्यालय अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकरदाता न हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस

हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

2. छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

नोट : कक्षा 9 व 10 हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रस्ताव के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	जि.शि.अ. (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	10.08.2016

छात्र/छात्राओं को देय पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने हेतु स्थानीय स्तर पर निःशुल्क जन हितार्थ प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा संस्था प्रधानों को भी पावन्द करें कि छात्रवृत्ति की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

4. (i) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। (ii) नवीन प्रवेशार्थी पात्र छात्र/छात्राओं से प्रवेश के साथ ही आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा इस छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। (iii) आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावे। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराने का भी प्रयास सुनिश्चित किया जावे। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का प्रयास करें। (iv) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावे। (v) आवेदन पत्र प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.shiksha.rajsthan.gov.in पर उपलब्ध है।

● संलग्न : प्रपत्र

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र- वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव

प्रपत्र

क्र.सं.	योजना का नाम	कक्षा 6 से 8			
		छात्र/छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)
1	2	3	4	5	6
1.	अनुसूचित जाति	छात्र छात्रा	75/- 125/-		
2.	अनुसूचित जनजाति	छात्र छात्रा	75/- 125/-		

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र-छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। कोई भी छात्र-छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक

(मय मुहर)

9. कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/छा.प्रो.प्र./द/एस.सी.-एस.टी/पूमै/विज्ञप्ति/2013-14/दिनांक : 09-06-16 ● विज्ञप्ति ● कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17

1. **आवेदन पत्र :-** आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट **www.shiksha.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर फोटोकॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

2. **पात्रता एवं शर्तें :-**
   1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
   2. छात्र/छात्राएँ राजकीय विद्यालय अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
   3. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकरदाता न हो।
   4. छात्र/छात्रा किसी केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
   5. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।

6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

3. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

नोट : कक्षा 9 व 10 हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ ही संलग्न करनी आवश्यक है:-

1. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकरदाता न होने का प्रमाण-पत्र।
2. गत परीक्षा की अंकतालिका।
3. जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

5. आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार है:-

(अ) छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। :01.08.2016

(ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी जि.शि.अ. (माध्यमिक-प्रथम/ द्वितीय) को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। :05.08.2016

(स) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को जि.शि.अ. माध्यमिक प्रथम-द्वितीय द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि :10.08.2016

पूर्तिशुदा आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/प्रारंभिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति

आवेदन-पत्र

(सत्र 2016-2017 की छात्रवृत्ति हेतु)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जाति.....उपजाति.....
3. पिता का नाम व व्यवसाय.....
4. परिवार की कुल वार्षिक आय.....
5. प्रार्थी का निवास स्थान.....
   ग्राम..... पोस्ट.....
   तहसील.....
6. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
   (अ) शाला का नाम.....स्थान.....
   (ब) पोस्ट ऑफिस.....तहसील.....जिला.....
7. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है.....
8. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि.....
9. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :- स्कूल का नाम.....
   स्थान..... .....पोस्ट ऑफिस.....
10. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है.....
11. परीक्षा फल.....उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण.....
12. बैंक का नाम.....
    बैंक खाता संख्या.....
13. IFSC कोड.....
    भामाशाह कार्ड नं. .....

गत परीक्षा में अंकों का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ ग्रेड	क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ ग्रेड
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान.....श्रेणी.....
योग.....प्राप्तांक.....

14. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हाँ तो:-
    (अ) कहाँ से मिलती है.....
    (ब) कितनी मिलती है .....
    (स) दर .....
    (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त.....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

01. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

संबंधित सरपंच, पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र

01. मैं प्रमाणित करता हूँ कि छात्र/छात्रा की जाति..... है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति/घुमक्कड़ जाति की गणना में आती है।

02. इनके परिवार की वार्षिक आय.....है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील)

उक्त छात्र/छात्रा को.....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह.....से.....तक की छात्रवृत्ति के कुल.....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृत्याधिकारी
पद (मय सील)

10. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अ.पि.व./पूमै/विज्ञप्ति/2013-14/ दिनांक : 09-06-2016 ● 1. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर ● 2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर ● 3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) ● विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में शासन के पत्रांक प.1(14)शिक्षा-1/2004 दिनांक 25.11.2009 के अनुसार नवीन निर्देश एवं पात्रता मानदण्ड तैयार किये गये थे। इन आदेशों की पालना में आप नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ. (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) द्वारा निदेशालय को अलग-अलग भिजवाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ. (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) द्वारा निदेशालय को अलग-अलग भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यक्रम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	समेकित प्रस्ताव निदेशालय माध्यमिक को प्रस्तुत करना	10.08.2016

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

A. आवेदन :

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.shiksha.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाइट से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता/शर्तें :

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में आवेदक छात्र/छात्रा की जाति का होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्रा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो।
3. छात्र/छात्रा के माता-पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44500/- रुपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक प.13(34)/राज/ग्रुप-1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिलता हो।
5. कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय के अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृति पर विचार किया जावे।
8. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि 30 प्रतिशत छात्राओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है।
9. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि **सर्वप्रथम बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे,** यह कार्यवाही करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ए.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जावे।
10. छात्रवृत्ति के विस्तृत प्रचार-प्रसार की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाना सुनिश्चित की जावे ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निम्नांकित प्राथमिकता क्रम का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे :-
    1. बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
    2. ए.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी

3. निःशक्त विद्यार्थी
4. विधवा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी
5. तलाक शुदा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी

12. छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)
1.	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/- प्र. माह
2.	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/- प्र. माह

13. संलग्न दस्तावेज :

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियाँ ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण पत्र बिन्दु संख्या बी-3 के अनुसार (मूल)
2. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
3. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है तो उनके कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं भामाशाह व आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. यदि आवेदक निःशक्त/विधवा/तलाकशुदा महिला के पुत्र-पुत्री/विधवा महिला के पुत्र/पुत्री श्रेणी से संबंधित है तो संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा-जोखा संलग्न प्रपत्र 'ब' में संधारित कर कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये। रजिस्टर में प्रविष्टि का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जाँच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही उपरोक्त मानदण्ड/शर्तें एवं प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा मांग राशि के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र 'अ' में मय प्रमाण-पत्र के हार्ड कॉपी सहित वाहक स्तर पर दिनांक 10.08.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएँगे।

नोट : राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएँ तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जाएँ। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराना सुनिश्चित किया जावे। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का कार्य सुनिश्चित करें।

● संलग्न : प्रपत्र 'अ', 'ब' व आवेदन पत्र ● (बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र-अ

पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गई राशि (कुल छात्र/छात्रा संख्या × 400/-)	कक्षा 9 से 10			चाही गई राशि (कुल छात्र/छात्रा संख्या × 500/-)	कुल मांग (कॉलम संख्या 6 एवं 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण-पत्र

''यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर जि.शि.अ.

प्रपत्र-ब

पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति की सूचियाँ कार्यालय रिकोर्ड में संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता/पिता संरक्षक की वार्षिक आय	अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति	माता/पिता संरक्षक की श्रेणी (बीपीएल/एपीएल/ निःशक्त/विधवा/ तलाकशुदा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं (कक्षा 6 से 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अ.पि.व/पूमै/विज्ञप्ति/2013-14 दिनांक : 09.06.16 ● विज्ञप्ति ● अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं (कक्षा 6 से 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक में राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं।

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता मानदण्ड, निर्देश एवं शर्तें :-

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में छात्र/छात्रा की जाति का सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं के माता-पिता की वार्षिक आय 44500/- रुपये की सीमा तक हो।
3. कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. छात्र/छात्रा द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।
5. बी.पी.एल. परिवार के छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्राओं को प्राथमिकता से प्रदान की जाएगी।
7. छात्र/छात्राओं में से निर्धनतम (The Poorest) को प्राथमिकता से चयन करते हुए क्रमशः ऊपर आना है अर्थात पात्र आवेदन पत्रों में सबसे कम वार्षिक आय वाला आवेदन चयन में सबसे ऊपर होगा। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ना है।
8. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक : 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।
9. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10 माह हेतु)
1.	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/- प्र.माह
2.	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/- प्र.माह

10. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट **www.shiksha.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
9. आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार है :-

(अ) छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 01.08.2016

(ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी जि.शि.अ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 05.08.2016

(स) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि (माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा) : 10.08.2016

पूर्तिशुदा आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/प्रारंभिक) एवं संस्कृत विभाग द्वारा अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र

सत्र 2016-2017

1. छात्र/छात्रा का नाम .....
2. जन्मतिथि (अंकों में) .....
   (शब्दों में) .....
3. पिता का नाम .....
4. माता का नाम.....
5. निवासी (1) राजस्थान
   (2) जिले का नाम.....
6. अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति का नाम .....
7. माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (गत सत्र की वार्षिक आय भरें) .....
8. माता-पिता/संरक्षक की श्रेणी : 1. बीपीएल 2. निःशक्त 3. विधवा 4. तलाकशुदा
9. माता-पिता/संरक्षक आयकरदाता : है/नहीं
10. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा : .....
11. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक :

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत या ग्रेड

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

12. गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता .....
13. स्थायी पता :
    छात्र/छात्रा का नाम .....
    गांव.....
    पोस्ट.....
    वाया.....
    जिला.....

फोन नं. मय STD कोड.......................................

मोबाइल नं. ....

14. बैंक का नाम ....

खाता संख्या ....

IFSC कोड ....

भामाशाह कार्ड संख्या..

आधार कार्ड संख्या...

माता-पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि/योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.........................

पुत्र/पुत्री............................के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पूर्ण जाँच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2016-17 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

मय मोहर

12. 'सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना' के तहत सत्र 2016-17 के छात्रवृत्ति प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अस्वच्छ छात्रवृत्ति/2016-17 दिनांक:09-06-2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) ● विषयः 'सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना' के तहत सत्र 2016-17 के छात्रवृत्ति प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.9(4) छात्र/अस्व./सा.न्या.अ.वि./11-12/32594-95 दिनांक 24.04.12 एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11017/05/2012-SCD-V दिनांक 04.04.12 के अनुसार इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-I/II में सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने है। भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दरें/दिशा-निर्देशों की प्रति आपको पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/अनु/छात्रवृत्ति/उमै/अस्वच्छ/25210/09-10 दिनांक 01.07.09 के द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है।

उक्त छात्रवृत्ति हेतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव संलग्न **PART-II** में तथा वर्ष 2015-16 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना **PART-I** में छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को निम्न तिथि क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें:

आप अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र-छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ. (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग-अलग निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यक्रम

क्र.सं	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ. कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	वर्ष 2016-17 के लिए पात्र छात्र-छात्राओं की मांग राशि के प्रस्ताव (प्रपत्र-II में)	10.08.2016
4.	वर्ष 2015-16 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना (प्रपत्र-I में)	

पुनः निर्देशित किया जाता है कि संशोधित दिशा-निर्देश एवं निर्धारित दरों के अनुसार आपके जिले के समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में निर्धारित तिथि तक वाहक के साथ दिनांक 10.08.2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार को समेकित प्रस्ताव भिजवाये जा सके व प्रपत्र-ब में सूचना कार्यालय रिकार्ड में संधारित करें।

सूचना के अभाव में आपकी मांग को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

नोटः- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5) शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावे। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावे। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराना सुनिश्चित किया जावे। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का कार्य सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपर्युक्तानुसार

● (बी.एल.स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

CENTRALLY SPONSORED SCHEME OF PRE MATRIC SCHOLARSHIP TO THE CHILDREN OF THOSE ENGAGED IN UNCLEAN OCCUPATIONS POSITION FROM 2015-16

A. Actual Physical Coverage :

1. Number of Government recognized scholars/ institutions in which pre Matric Scholarship Scheme was implemented during 2015-16.
2. Total number of hostels where the hostellers were staying during 2015-16
a.) Government Hostels
b.) Other Govt. recognized and deemed hostels
c.) Rented premises Utilized as recognized hostels
Total (a) to (c)=
3. Total number of hostellers (Class III to X) covered under the Scheme during 2012-13 Classes

	III-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				III-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

4. Total number of day scholars (Class I to X) covered under the Scheme during 2015-16 Classes:

	I-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				I-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

B. FINANCIAL ASPECTS **(Rs. in Lakhs)**

I <u>HOSTELLERS</u>

(a) <u>On Scholarships</u>

(i) Classes III to X @ Rs. 700/- per month =
(ii) Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum =
(iii) Total Classes III to X =

(b) <u>On Other Items</u>

(i) Numer of buildings rented for use as Hostels Other than Govt. hostels =
(ii) Total amount of rent for these rented building =
(iii) Salary of full time hostel warden/honorarium or extra remuneration to the school teacher if appointed as hostel warden =
(iv) Total = (i) to (iii) =
<u>Total Expenditure on Hostellers (a)+(b)</u> =

II <u>DAY SCHOLARS</u>

(i) Classes III to X @ Rs. 110/- per month =
(ii) Adhoc grant or Rs. 750/- per annum =
(iii) Total Classes III to X =

III <u>Total Expenditure under the Scheme During 2015-16 (1+2)</u>

1. Expenditure on arrears for 2015-16 (if any) =
2. Total expenditure during 2015-16 (including arrears for 2014-2015 (cl. 3+4)

Certified that the expenditure figures furnished above confirm to the actual payments as per regulations governing toward of pre-Metric Scholorship to the children of those engaged in unclean occupations as application w.e.f. 1.4.2008

Name & Designation of
the Competent Authority

PART-II

<u>PROPOSAL FOR 2016-17</u>

A. <u>Physical Coverage's</u> :

1. Total number of hostels where the hostellers were staying during 2016-2017
a) Government Hostels =
b) Other Govt. recognized and deemed hostels =
c) Rented premises Utilized as recognized hostels =
Total (a) to (c) =

2. Class wise Number of Hostellers

<u>Classes</u>

	III-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				III-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

3. Class wise Number **<u>DAY SCHOLARS</u>**

<u>Classes</u>

	I-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				I-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

B. Financial Aspects **(Rs. in Lakhs)**

Anticipted Expenditure during 2016-17

1 HOSTELLERS

(a) On Scholarships

(i) Classes III to X @ Rs. 700/- per month =
(ii) Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum =
(iii) Total Classes III to X =

2 On Other Items

(i) Numer of buildings rented for use as Hostels, Other than Govt. hostels =
(ii) Total amount of rent for these rented building =
(iii) Salary of full time hostel warden/honorarium or extra remuneration to the school teacher if apppointed as hostel warden =
(iv) Total = (i) to (iii) =
Total Expenditure on Hostellers (a)+(b) =

II DAY SCHOLARS

(i) Classes III to X @ Rs. 110/- per month =
(ii) Adhoc grant or Rs. 750/- per annum =
(iii) Total Classes I to X =

III HOSTELLERS + DAY SCHOLARS

(i) Total Expenditure under the Scheme during 2016-2017 (1+2) =
(ii) Expenditure on arrears for 2015-16 (if any) =
(iii) Total expenditure during 2016-17 (including arrears for 2015-16(cl. 3+4) =
(iv) Commited Liability i.e. Total actual expenditure reached at the end of X[th] Plan (2006-2007) =
(v) Amont of State/UT Budget provision towards Committed liability requirement =
(vi) Central Assistance due during 2015-16(iii)+(iv) =
(vii) Central Assistance already received during 2014-2015 if any, =
(viii) Unspent central assistance at the end of 2015-16 Arrears due
(ix) Net Central Assistance required during 2016-17 {(vi)-(vii)-(viii)} =

Name & Designation of the Competent Authority

13. सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय मैट्रिक पूर्व (UNCLEAN) छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अस्वच्छकार/पूमै/विज्ञप्ति/2016-17 दिनांक: 09-06-2016 ● विषय : सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय मैट्रिक पूर्व (UNCLEAN) छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17

उपरोक्त विषयान्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिये जाते है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.9(4)() छात्र/अस्व./सा.न्या.अ.वि./11-12/32594-95 दिनांक 24.04.12 एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11017/05/2012-SCD-V दिनांक 04.04.12 के अनुसार सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चे जो कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत हो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन प्रस्तुत किये जाने हैं।

1. आवेदन पत्र:- आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा डाउनलोड कर फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है इसके अतिरिक्त अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. पात्रता एवं शर्तें:-

1. छात्र/छात्रा कक्षा-1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए।
2. छात्र-छात्रा के माता-पिता/अभिभावकों का अस्वच्छ कार्य में लगे होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जाएगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

3. छात्रवृत्ति की दरें:-

DAYSCHOLARS

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10 माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
1 से 10	110	750

HOSTELLERS (छात्रावासी)

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10 माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
3 से 10	700	1000

4. संलग्न दस्तावेज:-

1. गत वर्ष की अंकतालिका।
2. सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र।
3. अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलने का प्रमाण पत्र
4. बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति

5. समय सारणी:-आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार समय सारणी प्रभावी होगी।

(अ) छात्र/छात्रा द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत

(शेष पृष्ठ 31 पर)

(पृष्ठ 26 का शेष)

करना। 01.08.2016

(ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित जि.शि.अ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को भरे आवेदन पत्र एवं सूची जमा कराने की तिथि 05.08.2016

(स) समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तुत करना (माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा) 10.08.2016

पूर्तिशुदा आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/प्रारंभिक) एवं संस्कृत विभाग द्वारा अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा।

संलग्न : आवेदन पत्र का प्रारूप

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रपत्र-ब

'सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना' की सूचियाँ कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये	अस्वच्छ कार्य का पूर्ण विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

राजस्थान सरकार

'सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' हेतु आवेदन पत्र

(सत्र 2016-17 की छात्रवृत्ति हेतु)

01. छात्र/छात्रा का नाम.....

02. जाति.....उपजाति.....

03. पिता का नाम व व्यवसाय.....

04. पिता के अस्वच्छ कार्य का पूर्ण विवरण.....

05. परिवार की कुल वार्षिक आय.....

06. प्रार्थी का निवास स्थान..... ग्राम.....
पोस्ट..... तहसील.....जिला.....

07. वर्तमान स्कूल का विवरण जहाँ छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
(अ) शाला का नाम.....स्थान.....
(ब) पोस्ट ऑफिस.....तहसील.....
जिला.....

08. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है.....

09. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि.....

10. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है - स्कूल का नाम.....
स्थान.....पोस्ट ऑफिस.....

11. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ.....

12. परीक्षाफल.....उत्तीर्ण.....
अनुत्तीर्ण.....

गत परीक्षा में अंकों/ग्रेड का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड
1			
2			
3			
4			
5			
6			

कक्षा में स्थान..... श्रेणी.....
योग.....प्राप्तांक.....

13. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हाँ तो :-
(अ) कहाँ से मिलती है.....
(ब) कितनी मिलती है.....
(स) दर.....
(द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त.....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

14. बैंक का नाम : .....
खाता संख्या : .....
IFSC कोड : .....
भामाशाह कार्ड संख्या : .....
आधार संख्या : .....

(2)

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

07. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।

08. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।

09. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

(मोहर सहित)

संबंधित सरपंच, पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण पत्र

04. मैं प्रमाणित करता हूँ कि छात्र/छात्रा के पिता..... का कार्य करते है जो कार्य अस्वच्छकार कार्यों की श्रेणी में आता है।

05. इनके परिवार की वार्षिक आय..... है।

हस्ताक्षर

पद(मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को..... रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह..... से.....तक की छात्रवृत्ति के कुल.....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृत्याधिकारी

पद(मय सील)

14. राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जो पत्र/प्रकरण प्रेषित/प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर अंकित टिप्पणी/नोट अथवा पत्रों पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/साप्र./बी-2/4352/2/03/183 दिनांक 14-06-16 ● समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम एवं द्वितीय, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर/ईटी सैल अजमेर, प्रधानाचार्य रा. उच्च अध्ययन शिक्षा शिक्षण संस्थान अजमेर/बीकानेर, प्रधानाचार्य रा. शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर ● विषय: राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जो पत्र/प्रकरण प्रेषित/प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर अंकित टिप्पणी/नोट अथवा पत्रों पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के संबंध में। ● प्रसंग: राज्य सरकार का पत्रांक प. 19(01) शिक्षा-2/2016 दिनांक 7.4.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-1) से प्राप्त परिपत्र क्रमांक प.10(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2012 दिनांक 18.3.16 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में परिपत्र में वर्णितानुसार कार्यवाही की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न: उपर्युक्तानुसार

● अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

● राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) ● क्रमांक: प.10(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2012 जयपुर, दिनांक: 18 मार्च, 2016 ● परिपत्र ● राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान जो पत्र/प्रकरण प्रेषित या प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर अंकित टिप्पणी/नोट अथवा पत्रों पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, तिथि अंकित किये जाने के निर्देश समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.03.2012, 21.02.2013 एवं 24.05.2013 द्वारा प्रसारित किये हुये हैं।

शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना आवश्यक रूप से की जावें। उक्त निर्देशों को पुनः दोहराया जाता है:-

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिकों द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रेषित/प्रस्तुत पत्रों, टिप्पणी, नोट एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी हस्ताक्षर किये जावें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
2. राजकीय पत्र व्यवहार करते समय, पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि, अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम अंकित करने के साथ-साथ पत्र के आधार (Bottom) पर कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय/अधिकारी की ई-मेल आई.डी. भी अंकित की जावे।
3. जिन प्रकरणों पर अधिकारी/कर्मचारी के दिनांकित हस्ताक्षर, नाम, पदनाम अंकित नहीं हो, उनकी पत्रावलियाँ उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाकर, संबंधित अधिकारी/कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जावे।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष एवं कार्यालाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना समस्त राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग में सुनिश्चित की जावे।

● (राकेश वर्मा) अतिरिक्त मुख्य सचिव

15. मिड डे मील योजना की मोनिटरिंग SMS Based Automated Monitoring System Project के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22473/मिड डे मील/2014-15/101 दिनांक:- 24.06.2016 ● 1. समस्त मण्डल उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय ● विषय : मिड डे मील योजना की मोनिटरिंग SMS Based Automated Monitoring System Project के माध्यम से किये जाने के संबंध में। ● प्रसंग : क्रमांक: एफ 4 (333) पराज/एमडीएम/IVRS (GOI)/ 2013-14/259 जयपुर दिनांक:17.06.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग, आयुक्तालय मिड डे मील योजना के निर्देशानुसार राज्य में मिड डे मील योजनान्तर्गत राजकीय, संस्कृत, अनुदानित विद्यालयों, स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर (ए.आई.सेन्टर, ईजीएस व एसीएलपी

सेन्टर) तथा मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2016 से योजना की मोनिटरिंग SMS Based Automated Monitoring System Project से की जायेगी। उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत योजना से लाभान्वित प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक शैक्षणिक कार्य दिवस पर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से छात्र उपस्थिति, लाभान्वित छात्र, खाद्यान्न का उपयोग आदि के संबंध में जानकारी देनी होगी। SMS Based Automated Monitoring System Project को दिनांक 1 जुलाई 2016 से लागू किया जाना है।

योजना की मोनिटरिंग हेतु उक्त प्रोजेक्ट को लागू किये जाने के लिए मिड डे मील आयुक्तालय द्वारा भी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा को परिपत्र क्रमांक: 259 दिनांक : 17.06.2016 के द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है। (प्रति संलग्न)। परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु समस्त उपनिदेशक/जिशिअ तत्काल अपने अधीन संचालित विद्यालयों को निर्देश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करावें।

● उप निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

16. हिन्दी में हस्ताक्षर करने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/साप्र/बी-2/4352/2/2016/186 दिनांक : 21/6/2016 ● समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय ● विषय : हिन्दी में हस्ताक्षर करने के संबंध में।● प्रसंग : राज्य सरकार का पत्रांक प.13(107) शिक्षा-6/2016 सत्र-6/ दिनांक : 25.5.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा विधान सभा के षष्टम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 7249/शिक्षा द्वारा श्रीमती चन्द्र कांता मेघवाल माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के संबंध में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजकीय कार्य सम्पादन के समय समस्त अधिकारियों को हिन्दी में हस्ताक्षर करने के निर्देश प्राप्त हुए है। अतः उक्त आदेश की पालना अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों को सुनिश्चित करने के लिए पाबन्द करें।

● (जगदीश प्रसाद स्वामी) अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

17. प्रतिवर्ष 29 अगस्त को 'खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद जयंती)' के अवसर पर खेल समारोह आयोजित कर (प्रशिक्षक/शा.शिक्षक) को 'सम्मान' करने हेतु।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● कार्यालय आदेश ● राज्य में खेलों को और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/भाग लेने वाले खिलाड़ियों, राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्राप्त कर क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा इन खिलाड़ियों को वास्तविक रूप से प्रशिक्षित करने वाले कार्मिकों (प्रशिक्षक/शा.शिक्षक) का 'सम्मान' करने की समस्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (नोडल अधिकारी) द्वारा गत वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को **'खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद जयंती)'** के अवसर पर खेल समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित करेंगे एवं को गई कार्यवाही की अवगति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की खेलकूद अनुभाग की ईमेल आईडी sec.sportsbkn@yahoo.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/खेलकूद-4/35151/खेल कलैण्डर/2015-16/45 दिनांक 27.6.2016

18. राजमेडिक्लेम पॉलिसी के दावे ऑन लाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/निर्देश शिविरा में प्रकाशन करने हेतु।

● कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/निबी/पी.एफ./16/ दिनांक : 29.6.2016 ● सम्पादक (शिविरा) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। ● राजमेडिक्लेम पॉलिसी के दावे ऑन लाईन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/निर्देश शिविरा में प्रकाशन करने हेतु। ● एफ 1 (150) मेडि/प्रचार-प्रसार/पार्ट-II/2015-16 दिनांक 03.05.2016 एवं एफ 1(385) जीआईएफ/मेडि/2015-16/5609 दिनांक : 08.01.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र जो कि राजमेडिक्लेम पॉलिसी के दावे को ऑनलाईन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं बीमित के दिशा निर्देश संलग्न कर शिविरा में प्रकाशन करने हेतु भिजवाये जा रहे है, प्रकाशित होने पर प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

● संलग्न : उपर्युक्तानुसार

● अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● कार्यालय वरिष्ठ अति. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर ● क्रमांक :एफ 1 (150)मेडि./प्रचार-प्रसार/पार्ट-II/2015-16/539-589 दिनांक : 3-5-16 ● वरिष्ठ/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। ● राजमेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2016-17 (01.04.2016-31.03.2017) के दावे ऑन-लाइन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू राजमेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2016-17 (01.04.2016-30.03.2017) के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2016 से मेडिक्लेम दावे विभागीय 'ऑनलाइन एप्लीकेशन' के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दिशा/निर्देश निम्न प्रकार से है:-

1. बीमित के लिए निर्देश

1. बीमित किसी भी साईबर कैफे, कियोस्क, ई-मित्र या अपने स्वयं के कार्यालय से ऑन-लाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है।
2. ऑन-लाईन एप्लीकेशन पर दावा सबमिट करने के लिए कर्मचारी का 16 डिजिट्स का यूनीक एम्पलॉई आई.डी. उसका लॉग-इन

आई.डी. है एवं यदि कार्मिक द्वारा अपना पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया गया है तो उसका जन्म दिनांक e.g. d d m m y y y y ही उसका पासवर्ड होगा।

3. कार्मिक आवश्यक रूप से अपनी एम्पलॉई आई.डी. जारी करवा लेवें और सही एम्पलॉई आई.डी. के माध्यम से दावा प्रस्तुत करें।
4. दावा ऑन-लाईन सबमिट करने से पूर्व बीमित कार्मिक दावा प्रपत्र (Appendix-4) के समस्त कॉलमों की पूर्ति कर हार्ड-कॉपी अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं ईलाज करने वाले चिकित्सक से सत्यापित करवा लेवें। मरीज की फोटो भी ईलाज करने वाले चिकित्सक से प्रमाणित करवा लेवें।
5. बीमित कार्मिक विभागीय ऑन-लाईन एप्लीकेशन के माध्यम से एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर जाकर अपना दावा प्रपत्र सभी आवश्यक पूर्ति करते हुए प्रस्तुत करें। सभी मूल दस्तावेज (यथा- दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी, डिस्चार्ज टिकिट, सभी दवाईयों एवं जांच के बिलों का संकलित विवरण एवं मूल बिल्स, जाँच रिपोर्ट, इम्प्लाण्ट के स्टीकर स्कैन कर दावा प्रपत्र के साथ अपलोड करें।)
6. दावा प्रपत्र को सबमिट करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवें कि सभी कॉलम सही तरह से भर दिये गये है और सभी दस्तावेज संलग्न (Attach) हो गये हैं। पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात दावा प्रस्तुत करें।
7. दावा प्रपत्र सबमिट करते ही बीमित कार्मिक को मोबाइल एस.एम.एस. के माध्यम से एक यूनीक दावा संख्या प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वह अपने दावे पर की गयी कार्यवाही की जानकारी समय-समय पर प्राप्त कर सकता है। भविष्य में भी दावे से सम्बन्धित मैसेज बीमित को मोबाइल एस.एम.एस. के जरिये ही प्राप्त होंगे।
8. बीमित द्वारा दावा प्रपत्र सबमिट कर दिये जाने के पश्चात दावा आहरण एवं वितरण अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा।
9. ऑन-लाईन दावा प्रपत्र सबमिट करने के बाद बीमित कार्मिक अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से दावा प्रपत्र की हार्ड-कॉपी मूल दस्तावेजों (यथा-डीडीओ एवं ईलाज करने वाले डॉक्टर से सत्यापित मूल दावा प्रपत्र, मूल डिस्चार्ज टिकिट, मूल बिल एवं उसकी summary, मूल जाँच रिपोर्ट, इम्प्लांट के मूल स्टीकर एवं पैकिंग आदि) सहित राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के सम्बन्धित जिला कार्यालय जिसमें कार्मिक की एम्पलॉई आई.डी. है/वेतन आहरित किया जाता है, को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा।

II आहरण एवं वितरण अधिकारी के लिए निर्देश

1. बीमित का ऑन-लाईन दावा प्रपत्र एम्पलॉई आई.डी. के माध्यम से ही प्रेषित किया जा सकता है। अतः आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी नियमित कार्मिकों के एम्पलॉई आई.डी. उनकी राज्य सरकार की सेवा में ज्वॉइनिंग तिथि को ही आवश्यक रूप से जारी करवा देवें।
2. बीमित के दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी को सत्यापित करते समय जाँच लेवें कि कर्मचारी द्वारा सभी कॉलम्स की पूर्ति कर दी गयी है। कार्मिक द्वारा अपनी एम्पलॉई आई.डी. मूल वेतन एवं पे-ग्रेड, बैंक खाता विवरण यथा खाता संख्या, बैंक एवं ब्रांच का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड (Indian Financial System Code) आदि सही भरे गये हैं। दावा प्रपत्र के साथ सभी आवश्यक मूल दस्तावेज यथा डिस्चार्ज टिकिट, मूल बिल्स एवं उनकी Summary, मूल जाँच रिपोर्ट, इम्प्लांट के स्टीकर/पैकिंग संलग्न कर दिये गये है।
3. आपातकालीन परिस्थितियों में यदि बीमित अथवा उसके परिवारजन का ईलाज गैर अनुमोदित चिकित्सालय में करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी क्लॉज 6.3 के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों में कराये गये ईलाज के सम्बन्ध में प्रपत्र-6 की पूर्ति किया जाना आवश्यक है।
4. बीमित द्वारा दावा सबमिट कर दिये जाने एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑन-लाईन प्राप्त होने के अधिकतम 3 दिवस में वह ऑन-लाईन भरे गये दावे की मूल दावा प्रपत्रों से जांच करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर संलग्न कर दिये गये हैं।
5. यदि बीमित द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं तो आहरण एवं वितरण अधिकारी उन दस्तावेजों को बीमित से स्कैन करवाकर अपलोड करवाएगा।
6. डीडीओ द्वारा जाँच पश्चात ऑन-लाईन दावा प्रपत्र पूर्ण पाये जाने एवं सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न (Attach) किये जाने की सुनिश्चितता करने के पश्चात दावे को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय को तीन दिवस में अग्रेषित कर देगा एवं मूल दावा पत्रावली राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायेगा।

III राज्य बीमा एवं प्रा. निधि के जिला कार्यालय के लिए निर्देश

1. राज्य बीमा एवं प्रा. नि. का सम्बन्धित जिला कार्यालय ऑन-लाईन दावा प्रपत्र एवं उसकी हार्ड-कॉपी प्राप्त होने पर तुरन्त ऑन-लाईन दावा प्रपत्र की मूल दस्तावेजों से जांच करेगा कि सभी दस्तावेज संलग्न (Attach) किये गये हैं एवं दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी के अनुरूप है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक मूल दस्तावेज यथा मूल डिस्चार्ज टिकिट, मूल बिल्स (दवा/जाँच) एवं उनकी summary, जांच रिपोर्ट्स, इम्प्लांट के स्टीकर/पैकिंग एवं आपातकालीन परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में ईलाज करवाये जाने पर प्रपत्र-6 में शपथ पत्र संलग्न कर दिया गया है।
2. यदि जाँच के पश्चात दावा प्रपत्रों में दस्तावेजों की कमी पायी जाती है तो उनका उल्लेख करते हुए दावा पत्रावली आवश्यक पूर्ति हेतु अधिकतम 3 दिवस में वापस सम्बन्धित डीडीओ को लौटा देगा।
3. यदि जांच पश्चात दावा प्रपत्र पूर्ण पाये जाते हैं एवं सभी आवश्यक दस्तावेज (ऑन-लाईन एवं हार्ड कॉपी में) संलग्न है तो हार्ड-कापी की प्राप्ति के अधिकतम 3 दिवस में दावा टीपीए को अग्रेषित कर

देगा।

4. पॉलिसी के नियमानुसार दावा स्वीकृति योग्य नहीं होने पर टीपीए द्वारा दावा अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जावेगी एवं साधारण बीमा निधि से इसका अनुमोदन कर दिये जाने पर दावा नो-क्लेम कर दिया जाएगा। दावा नो-क्लेम की सूचना राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग के जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित डीडीओ एवं बीमित को दे दी जावेगी। इस आशय की सूचना बीमित को ऑनलाईन एप्लीकेशन द्वारा स्वतः ही मोबाइल मैसेज के माध्यम से भी प्राप्त हो जावेगी।

5. टीपीए द्वारा दावे को नियमानुसार प्रोसेस किये जाने एवं जीआईएस से दावा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् जिला कार्यालय तत्काल ऑन-लाईन कार्यालय आदेश जनरेट करेगा। प्रत्येक कार्यालय आदेश पर एक यूनीक रेफरेन्स नम्बर होगा। राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग का जिलाधिकारी कार्यालय आदेश पर हस्ताक्षर करेगा एवं कार्यालय आदेश पर उल्लेखित यूनीक रेफरेन्स नम्बर के माध्यम से आईएफएमएस. पर मेडिक्लेम का बिल तैयार करवाएगा। आईएफएमएस. पर अन्य बिलों की भांति ट्रेजरी के माध्यम से दावा राशि बीमित के बैंक खाते में आरटीजीएस. करवा दी जावेगी। बैंक खाते में राशि जमा होने पर बीमित को मोबाइल मैसेज के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी।

● (किशनाराम ईशरवाल) वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक सावीनि, जयपुर

कार्यालय निर्देश

● क्रमांक : एफ.1(385)/GIF/मैडि./2015-16/5609 दिनांक : 8.1.2016

01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू राजमेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2016-17 के दावों की भुगतान प्रक्रिया का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण करने एवं 'रियल टाईम बेसिस' पर ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से दावा निस्तारण करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्न प्रकार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :-

1. 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों पर लागू मेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2016-17 (01.04.2016 से 31.03.2017) के दावों का दिनांक 01.04.2016 से 'रियल टाईम बेसिस' पर विभागीय 'ऑन लाईन एप्लीकेशन' के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा निस्तारण किया जावेगा। समस्त पुनर्भरण दावों का भुगतान जिला कार्यालयों के स्तर से ही किया जायेगा। कैशलेस दावों का भुगतान साधारण बीमा निधि कार्यालय, बिन भवन, जयपुर के स्तर से किया जावेगा।
2. बीमित कार्मिक निर्धारित समयावधि (चिकित्सालय से डिस्चार्ज के 90 दिवस में) विभागीय वेबपोर्टल पर अपने 'लॉग ईन आई.डी. (Log in ID) के माध्यम से (किसी भी ई-मित्र, साईबर कैफे, ई-कियोस्क अथवा अपने स्वयं के सिस्टम) अपना ऑन लाईन दावा प्रपत्र भर कर प्रस्तुत करेगा।
3. ऑनलाईन दावा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- सर्वप्रथम बीमित www.sipf.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर जावेगा। वहाँ पर Quick links में से SIPF Portal क्लिक करेगा जिससे SIPF Portal खुल जावेगा। SIPF Portal पर Login करने के लिए प्रत्येक राज्यकर्मी के लिए 16 Digit एम्प्लाई आई.डी. ही उसका Login ID है। यदि कार्मिक द्वारा अपनी आई.डी. का पूर्व में उपयोग नहीं किया है और प्रारंभिक पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया गया है तो उसका जन्म दिनांक DD/MM/YYYY ही उसका पासवर्ड होगा। अपने Login ID एवं पासवर्ड की सहायता से SIPF Portal में पहुँचने के पश्चात् बीमित कार्मिक GIF में Mediclaim में Claim पर Left Click करेगा जिससे ऑनलाईन दावा प्रपत्र खुल जावेगा। ऑनलाईन दावा प्रपत्र में कार्मिक से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ पूर्व में ही उपलब्ध है। रिक्तियों में Doctor comment TPA approved Amount Recommended for एवं Remark छोड़कर शेष सभी रिक्तियों की पूर्ति स्वयं बीमित द्वारा की जावेगी।
- बीमित कार्मिक डी.डी.ओ. एवं चिकित्सक से प्रमाणित पूर्ण दावा एवं ईलाज से संबंधित सभी मूल दस्तावेज यथा डिस्चार्ज टिकिट, फाइनल बिल, जांच रिपोर्ट एवं मूल बिल इत्यादि स्कैन करवाकर दावा प्रपत्र के साथ Attachment के रूप में अपलोड करवायेगा/करेगा।
- बीमित कार्मिक निम्न प्रारूप में ईलाज में दवाइयों एवं जाँच में हुए व्यय का सार भी अटैचमेंट के रूप में अपलोड करवायेगा/करेगा।
- दावा प्रपत्र ऑनलाईन भरने के बाद बीमित कार्मिक उसकी अच्छी तरह से जाँच कर लेगा एवं जाँच के पश्चात् अपना दावा प्रपत्र सबमिट कर देगा।

क्र.सं.	बिल सं.	दिनांक	राशि
1			
2			
3			
4			
5			
कुल राशि			

- **दावा प्रपत्र ऑनलाइन भरने, प्रपत्रों को स्कैन एवं अपलोड करने में होने वाले व्यय के लिए बीमित को अधिकतम 100 रुपये प्रति दावा पत्रावली का भुगतान पृथक् से दावा राशि के साथ किया जावेगा।**
- दावा सबमिट करते ही बीमित कार्मिक को एक 'यूनिक दावा संख्या' प्राप्त होगी और उसको इसकी सूचना ई-मेल एवं SMS अलर्ट के माध्यम से प्राप्त होगी।
- 'यूनिक दावा संख्या' के माध्यम से कार्मिक किसी भी समय अपने दावे की स्थिति (Status) की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकेगा।

4. दावा प्रपत्र बीमित द्वारा सबमिट (Submit) किये जाने के पश्चात् संबंधित जिला कार्यालय (उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं

प्रा.नि. विभाग), जिससे कार्मिक की Employee ID संबंधित है, को फॉरवर्ड हो जावेगा।

5. ऑनलाईन दावा सबमिट करने के पश्चात् कार्मिक द्वारा मूल दावा पत्रावली की हार्डकॉपी जिसमें सभी मूल दस्तावेज संलग्न है, संबंधित जिला कार्यालय को अविलम्ब जमा करवायी जावेगी। जिला अधिकारी दावा पत्रावली की हार्डकॉपी के मूल दस्तावेजों से ऑनलाईन भरे दावा प्रपत्र की जाँच एवं सत्यापन करेगा।

6. सभी सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही पाए जाने की स्थिति की दावा ऑनलाईन जिला अधिकारी द्वारा टीपीए को फॉरवर्ड कर दिया जावेगा। यदि जाँच/सत्यापन के दौरान जिला अधिकारी के स्तर पर दावा प्रपत्र में कोई कमी पायी जाती है तो पत्रावली संबंधित बीमित को आवश्यक टिप्पणी के साथ कमी पूर्ति के लिए ऑनलाईन वापस लौटा दी जावेगी।

7. जिला अधिकारी द्वारा पत्रावली टीपीए, को फॉरवर्ड करने अथवा बीमित को आवश्यक सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए वापस लौटाए जाने की स्थिति में बीमित की SMS अलर्ट एवं E-mail के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। सूचना प्राप्त होने पर बीमित दावे की कमी की पूर्ति कर अपना दावा पुनः फॉरवर्ड कर सकेगा।

8. जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाईन फॉरवर्ड किया गया दावा टीपीए, द्वारा गुणावगुण (Merit & Demerit) एवं पॉलिसी नियम/शर्तों के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा और दावा स्वीकार्य होने, नो-क्लेम किये जाने, दावे में किसी दस्तावेज की कमी होने की टिप्पणी/अनुशंषा के साथ अनुमोदन हेतु साधारण बीमा निधि को फॉरवर्ड किया जाएगा।

9. साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा दावे के निरस्त होने, कमियाँ होने अथवा स्वीकृत होने का अंतिम निर्णय किया जावेगा और इस संबंध में आवश्यक टिप्पणी के साथ दावा स्वीकृत किये जाने, दावे को आक्षेप के साथ वापस किये जाने अथवा दावा अस्वीकृत किये जाने की सूचना संबंधित जिला अधिकारी द्वारा बीमित को ऑनलाईन/E-mail एवं SMS के माध्यम से पहुँचा दी जावेगी।

10. जो दावे स्वीकृत किये जावेंगे वे GIF के अनुमोदन के पश्चात् स्वतः ही जिला कार्यालय को फॉरवर्ड हो जायेंगे और जिला कार्यालय ऑनलाईन कार्यालय आदेश जनरेट कर सकेगा। जिला कार्यालय अपनी सुविधानुसार ऑनलाईन भुगतान स्वीकृति कार्यालय आदेश जनरेट कर उसका प्रिन्ट निकालेगा और उस पर विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात् बिल रजिस्टर में क्रमानुसार बिल नम्बर दिया जाएगा।

11. स्वीकृति दावों में जिला अधिकारी IMFS पर बिल तैयार करते समय बिल टाईप के रूप में मेडिक्लेम सैलेक्ट करेगा। प्रत्येक कार्यालय आदेश पर एक 'यूनिक रेफरेन्स नम्बर' होगा। इस 'यूनिक रेफरेन्स नम्बर' एवं बिल नम्बर के माध्यम से IMFS पर ऑनलाईन बिल तैयार किया जाएगा जिसमें कर्मचारी के बैंक खाते से संबंधित विवरण स्वतः ही प्राप्त होगा। तत्पश्चात् अन्य सामान्य बिलों की भाँति प्रक्रिया अपनाते हुए बिल ऑनलाइन कोष कार्यालय को भिजवाया जायेगा और बिल की हार्डकॉपी जिला कार्यालय से संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात् कोष कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। कोष कार्यालय द्वारा दावा राशि बीमितों के दावों में RTGS के माध्यम से वेतन बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जावेगी। राशि जमा होने पर बीमित को SMS अलर्ट के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जावेगी।

12. जिला अधिकारी द्वारा सभी स्वीकृति दावों के भुगतान कार्यालय आदेशों को एक पत्रावली में संकलित किया जावेगा। स्वीकृत दावों की पत्रावली में स्पष्ट रूप से दावा संख्या एवं भुगतान की गई राशि अंकित की जावेगी एवं सभी दस्तावेजों पर Paid and Cancelled की मुहर लगाई जावेगी।

13. जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह साधारण बीमा निधि का मासिक विवरण पत्र भेजते समय माह में प्राप्त एवं निस्तारित मेडिक्लेम दावों की सूचना तथा उसमें किये गये भुगतान राशि का विवरण भी भिजवाया जाएगा।

14. सभी जिला अधिकारियों एवं जिले में साधारण बीमा निधि से संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारी को 18.11.2015 से 20.11.2015 तक ओ.टी.एस. में मेडिक्लेम योजना के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यदि फिर भी इस संबंध में कोई जानकारी/प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना हो तो साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जयपुर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

● **(डॉ. पृथ्वी) निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग राजस्थान, जयपुर।**

19. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार वर्ष 2016 के प्रस्ताव के संबंध में

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक :शिविरा/माध्य/छात्रोप/स-1/60126/इं.प्रि.पु./2016-17 दिनांक: 4/07/2016 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक प्रथम) ● विषय :इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार वर्ष 2016 के प्रस्ताव के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.17 (13) शिक्षा-1/2008 दिनांक 21.05.2011 एवं संशोधित पत्र दिनांक 17.08.11, 01.5.2012 एवं 28.3.2013 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त की ऐसी बालिकाओं को जो बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं को क्रमशः 75000 एवं 100000 रुपये का इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर द्वारा प्रदान किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के उक्त सात वर्गों की बालिकाओं की सूची जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है की सूची वर्गानुसार संलग्न प्रपत्र 'अ' व 'ब' में मय प्रमाण पत्र के हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित दिनांक 01-08-2016 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। कक्षा 12वीं के लिए प्रत्येक वर्ग को देय पुरस्कार में सभी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा का चयन

करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।

आपको विदित है कि उपरोक्त पुरस्कार प्रति वर्ष 19 नवम्बर को बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर के माध्यम से प्रदत्त किया जाता है। अतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से यथा समय उक्त परिणामों की जिला स्तरीय वरीयता सूचियाँ (प्रत्येक वर्गानुसार) प्राप्त करें एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार समयबद्धता को ध्यान रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जावे।

नोटः

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव भेजने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लेवें कि पात्र छात्रा नियमित अध्ययनरत है या नहीं।

2. निःशक्त वर्ग के भी प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि छात्रा दिव्यांग (विकलांग) आदि है या नहीं।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आईएएस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

जिला – **प्रपत्र–अ (कक्षा 12 के लिए)**

क्र. सं.	वर्ग (कैटेगरी)	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	विषय वर्ग (संकाय)	प्राप्तांक/ प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सामान्य					
2	अनुसूचित जाति					
3	अनुसूचित जनजाति					
4	अन्य पिछड़ा वर्ग					
5	अल्पसंख्यक					
6	निःशक्त					
7	विशेष पिछड़ा वर्ग					

नोटः कक्षा 12 के लिए जिले में प्रत्येक वर्ग को दिये पुरस्कार में सभी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली एक ही छात्रा का चयन करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

जिला – **प्रपत्र–ब (कक्षा 10 के लिए)**

क्र. सं.	वर्ग (कैटेगरी)	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक/ प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य				
2	अनुसूचित जाति				
3	अनुसूचित जनजाति				
4	अन्य पिछड़ा वर्ग				
5	अल्पसंख्यक				
6	निःशक्त				
7	विशेष पिछड़ा वर्ग				

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से प्राप्त श्रेणी/वर्ग वार प्राप्त सूचियों के अनुसार मिलान के पश्चात ही पात्र छात्राओं को वर्ष 2016 के लिए देव इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के उक्त प्रस्तुत प्रस्तावों में कोई भी अपात्र छात्रा का नाम सम्मिलित नहीं गया है।

हस्ताक्षर जि.शि.अ. मय मुहर

20. संस्था प्रधान द्वारा अध्यापक–अभिभावक परिषद् के प्रभावी संचालन के लिए निर्देश

:: परिपत्र ::

प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक–अभिभावक परिषद् का गठन किया जाता है, जो कि विद्यार्थियों के विद्यालय में भागीदारी एवं प्रगति के प्रबोधन में महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा अध्यापक–अभिभावक परिषद् के प्रभावी एवं सभी विद्यालयों में समान रूप से संचालन के लिए एतद् द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. **अध्यापक–अभिभावक परिषद् का गठन :–** सभी अध्यापक एवं अभिभावक, अध्यापक–अभिभावक परिषद् का पंजीयन अध्यापक अभिभावक परिषद रजिस्टर में किया जाकर उन्हें पंजीयन क्रमांक से अवगत कराया जाएगा। भविष्य में होने वाले पत्राचार में उक्त पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष का उल्लेख किया जाएगा।
2. **अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठकः–** अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक सत्र में चार बार जुलाई, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च में अमावस्या के दिवस को दी जाएगी। उक्त बैठक विद्यार्थियों के स्थानीय शिक्षा यथा परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के परिणाम के बाद में आने वाली अमावस्या को आयोजित की जावे, जिससे विद्यार्थी के परिणाम पर भी विमर्श हो सके।
3. **बैठक नोटिसः–** संस्था प्रधान बैठक तिथि से दो सप्ताह पूर्व बैठक नोटिस विद्यार्थी के साथ उनके अभिभावक के पास पहुँचाए।

- संस्था प्रधान बैठक के दो दिवस पूर्व एस.एम.एस./वाट्सएप से सूचना अभिभावक के सैलफोन पर पहुँचाएँगे।
- एसडीएमसी सदस्य अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक से एक सप्ताह पूर्व अभिभावक के घर अनौपचारिक सम्पर्क करेंगे।
- संस्था प्रधान बैठक से एक सप्ताह पूर्व ग्राम के सार्वजनिक स्थानों यथा पंचायत भवन, मंदिर, मस्जिद, बस स्टेण्ड इत्यादि पर बैठक नोटिस चस्पा करवाएँगे।

4. **बैठक का एजेण्डा :–**

- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा विद्यालय विकास योजना की गत तीन माह की प्रगति प्रस्तुत करेंगे एवं आगामी तीन माह हेतु कार्ययोजना पर विमर्श करेंगे। गत परीक्षा/परख में विद्यार्थियों के परिणाम पर कक्षाध्यापक/विषयाध्यापक विद्यार्थीवार रिकॉर्ड संधारित कर अभिभावकों से विमर्श करेंगे, उन्हें सुझाव देंगे एवं फीडबैक लेंगे।
- सहशैक्षिक गतिविधियों, विद्यार्थी की रुचि एवं उपलब्धियों पर अभिभावकों के साथ विमर्श किया जाएगा।
- ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने उच्च उपलब्धि प्राप्त की है, उन्हें उक्त बैठक में पृथक से सभी के सामने पहचान देकर सम्मान किया जावे। आवश्यक हो तो उनके कौशल (यथा गीत, संगीत, चित्रकला या अन्य कला) के प्रदर्शन हेतु विद्यार्थी को उचित माध्यम से समुचित अवसर प्रदान किया जाए।

5. बैठक गतिविधियों का संधारण :-

- शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही अध्यापक-अभिभावक परिषद् का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, अभिभावक का परिषद् में पंजीयन क्रमांक, अन्य संतानों का विवरण, जो इस विद्यालय में अध्ययनरत है या अभी विद्यालय प्रवेश की आयु सीमा से छोटे हैं, का भी उल्लेख होना चाहिये।
- प्रत्येक बैठक के बाद बैठक विवरण निम्नांकित प्रारूपों में संस्था प्रधान द्वारा संधारित कर हस्ताक्षरित किया जाएगा।

प्रारूप -1

बैठक की दिनांक	विद्यार्थियों के नाम, जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम एवं अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रारूप-2

बैठक की दिनांक	विद्यार्थियों के नाम जिनके अभिभावकों ने बैठक में भाग नहीं लिया	संस्था प्रधान द्वारा अनुपस्थित रहने वाले अभिभावक को इस हेतु जारी किए गए पत्र की दिनांक

- बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावक को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी कार्य दिवस तथा आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।
- प्रत्येक बैठक उपरांत प्रगति को शाला दर्पण पर अपलोड किया जाएगा।

समस्त सम्बन्धित उपर्युक्त निर्देशानुसार अध्यापक-अभिभावक परिषद् के गठन तथा बैठक आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित अभिलेखों का सतत् रूप से संधारण करेंगे।

संलग्न : अनुपस्थित अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा-स/22241/अ.अ. परिषद्/2016/ दिनांक : 06.07.2016

पत्र का प्रारूप

अध्यापक-अभिभावक परिषद् राजकीय..... विद्यालय.....

आदरणीय/आदरणीया.....

शुभाभिवादन!

विद्यालय में दिनांक..... को आयोजित अध्यापक-अभिभावक परिषद् की बैठक में आपकी सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र/पुत्री....(विद्यार्थी का नाम) कक्षा.... वर्ग.... की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रगति/आवश्यकताओं से आपको अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्यदिवस को उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त कर लें। आपसे यह भी अनुरोध है कि आगामी अध्यापक अभिभावक परिषद् की बैठक माह..... में आयोजन है, उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें। धन्यवाद

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मुहर

21. विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) तथा विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के गठन एवं इनके दायित्व संबंधी निर्देश।

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 21.01.15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) तथा कक्षा 1-8 तक के लिये विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा कक्षा 1-8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड-डे-मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन पूर्व प्रदत्त आदेशों के अनुसार ही होगा।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास सम्बन्धी कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) द्वारा किये जाएँगे। इसके साथ ही RMSA से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन/लेखा-जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जायेगा। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) तथा अन्य उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व शासन की स्वीकृति क्रमांक : प.17(22)शिक्षा-1/2016, जयपुर दिनांक 01.07.2016 के क्रम में आंशिक संशोधनोपरांत एतद् द्वारा निर्धारित किए जाते हैं:-

1. School Development and Managaement Commitee (SDMC) की कार्यकारिणी समिति की संरचना (RMSA गाइडलाइन के अनुसार):-

1.	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2.	अभिभावकों में से एससी/एसटी समुदाय के प्रतिनिधि	2 सदस्य
3.	अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि	2 सदस्य
4.	अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि	2 सदस्य
5.	सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि	1 सदस्य
6.	विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि	1 सदस्य
7.	गणित का अध्यापक प्रतिनिधि	1 सदस्य
8.	पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य	2 सदस्य
9.	ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक) प्रतिनिधि	1 सदस्य
10.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि	1 सदस्य
11.	महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य	1 सदस्य
12.	ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षा विद्	1 सदस्य
13.	विज्ञान,मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत) प्रतिनिधि	1 सदस्य
14.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी	1 सदस्य
15.	विद्यार्थी प्रतिनिधि	2 सदस्य
16.	विधायक प्रतिनिधि	2 सदस्य

17. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)(वरिष्ठतम व्याख्याता-उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक-मावि में) सदस्य सचिव

कुल सदस्य 23 सदस्य

i. विद्यालय द्वारा नॉन-रेकरिंग मद में खरीद करने पर बीईईओ/डीपीसी कार्यालय के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य रूप में मनोनीत किया जाये।

ii. विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के निर्धारित सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य ऐसा हो, जो एसएमसी में भी सदस्य हो एवं कुल SDMC सदस्यों में कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य हों।

iii. SDMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो शैक्षिक सत्र हेतु होगा। तत्पश्चात् नवीन निर्वाचन होगा।

iv. सत्रारम्भ में SDMC के गठन के लिये साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जावे। उक्त बैठक में साधारणतया सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाये। जहां सर्वसम्मति न हो पाये, वहाँ उपस्थित सदस्यों में बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जावे।

v. प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभाध्यक्ष प्रस्तावित किया जावे, जो कि स्थानीय समुदाय से होना चाहिए।

vi. SDMC गठन के उपरान्त एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाइल नम्बर सर्व साधारण हेतु उपलब्ध कराए जाएँ।

2. SDMC के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

(ए)-विद्यालय विकास:-

- विद्यालय की 'विद्यालय विकास योजना' प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पूर्व तैयार करना।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना:-

i. विद्यालय की नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या तक लाना।

ii. माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5 प्रतिशत से नीचे लाना।

iii. विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिये भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे कि विद्यार्थी एवं विद्यालय के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय का समाज के साथ सह सम्बन्ध स्थापित हो सके।

- अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय योजना को शाला दर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड करवाया जाकर उसकी एक प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।
- प्रत्येक तीन माह में विद्यालय योजना की प्रगति शाला दर्पण पर अपलोड करवाकर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना।

(बी) वित्तीय प्रबंधन:-

i. समिति द्वारा आरएमएसए के खाते में प्राप्त राशि का रिकार्ड संधारण किया जाएगा।

ii. समिति अपने कोष का उपयोग रैकरिंग एवं नॉन रैकरिंग मदों में कर सकेगी।

iii. समिति केन्द्र/राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी।

iv. बैंक खाते से लेनदेन समिति के अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन नहीं किया जायेगा।

v. समिति की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन कराया जाएगा।

vi. SDMC की सलाह से ही विद्यालय की वार्षिक सहायता राशि, विद्यार्थी कोष तथा विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा।

(सी) बैठकों का आयोजन:-

i. कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक प्रत्येक अमावस्या को रखी जायेगी, जिसका कोरम न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा।

ii. समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दो सप्ताह पूर्व लिखित में एवं एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जावेगा।

iii. समिति की सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक तीन माह में शाला दर्पण पर अद्यतन की जाएगी।

iv. SDMC की प्रत्येक बैठक के कार्यवाही विवरण का संधारण निम्न प्रारूप से नियमित रूप से एक रजिस्टर में किया जायेगा।:-

प्रारूप

बैठक की दिनांक	सभाध्यक्ष का नाम	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	बैठक में लिये गए प्रस्ताव	प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की संख्या	प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में महिलाओं की संख्या

3. उप समितियों का गठन एवं दायित्व :-

(अ) विद्यालय भवन उप समिति (School Building Commitee) की संरचना:-

1. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अध्यक्ष
2. पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि 1 सदस्य
3. अभिभावक प्रतिनिधि 1 सदस्य
4. निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी/तकनीकी व्यक्ति (JEN,RMSA/SSA) 1 सदस्य
5. लेखा/ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक) 1 सदस्य
6. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)(वरिष्ठतम व्याख्याता-उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक-मावि में) सदस्य सचिव

- **भवन उप समिति के कार्य:-** भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन एवं संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसकी रिपोर्ट SDMC को नियमित रूप से की जाएगी।
- यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार अनुबंध पर करवा

सकेगी अथवा स्वयं भी कर सकेगी।

(ब) शैक्षिक उप समिति (School Academic Committee) की संरचना:-

1. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक — अध्यक्ष
2. अभिभावक प्रतिनिधि — 1 सदस्य
3. निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ (i) विज्ञान या गणित (ii) मानविकी (iii) कला/संस्कृति/क्राफ्ट /खेलकूद (iv) भाषा विशेषज्ञ — 4 सदस्य
4. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा मनोनीत अध्यर्थी — 1 सदस्य
5. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर)(वरिष्ठतम व्याख्याता-उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक-माविं में) — सदस्य सचिव

- **शैक्षिक उप समिति के कार्य:-**

i. शैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन।
ii. शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट्स की समीक्षा एवं सुझावों का परीक्षण उपरान्त आगामी कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु अनुशंषा।
iii. शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन।
iv. शैक्षिक समंकों को विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में संबलन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करना।
v. मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट्स की समीक्षा एवं फॉलोअप कार्यवाही हेतु सुझाव।

● (बी.एल. स्वर्णकार) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22423 /2016 दिनांक : 06.07.2016

विद्यालय विकास योजना प्रारूप

- प्रोफार्मा में उल्लेखित गतिविधियाँ विद्यालय विकास योजना बनाने के लिये एक रूपरेखा है, विद्यालय की स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधियों को भरें।
- विद्यालय विकास योजना पर एसडीएमसी के अध्यक्ष, सभाध्यक्ष (जो कि समुदाय से ही होंगे) तथा सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

1. भौतिक संसाधनों के संबंध में

क्र. सं.	भौतिक संसाधन का नाम	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्रोत	सितम्बर 30 तक की प्रगति	दिसम्बर 31तक की प्रगति	मार्च 31 तक की प्रगति	जुलाई 31 तक की प्रगति
1.	कक्ष निर्माण								
2.	चारदीवारी								
3.	शौचालय व मूत्रालय छात्र छात्रा हेतु (पृथक-पृथक)								
4.	रैम्प सुविधा								
5.	खेल मैदान एवं खेल सामग्री								
6.	किचन-शैड								
7.	विद्युतीकरण								
8.	फर्नीचर सुविधा								
9.	प्रयोगशाला								
10.	स्वच्छ जल की व्यवस्था								
11.	पौधारोपण								
12.	विद्यालय सौंदर्यीकरण व रंग-रोगन								
13.	अन्य सुविधाएँ								

2. नामांकन के संबंध में :- विद्यालय का कैचमेंट एरिया..... कैचमेंट एरिया निर्धारण तिथि.....

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	नामांकन लक्ष्य	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्रोत कार्ययोजना	सितम्बर 30 तक की प्रगति	दिसम्बर 31तक की प्रगति	मार्च 31 तक की प्रगति	जुलाई 31 तक की प्रगति
1.	कैचमेंट क्षेत्र में अनामांकित बच्चे								
2.	कैचमेंट क्षेत्र में ड्रॉप आउट हुए बच्चे								
3.	अन्य								

3. मानवीय संसाधनों के संबंध में :-

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	टारगेट	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्रोत कार्ययोजना	सितम्बर 30 तक की प्रगति	दिसम्बर 31तक की प्रगति	मार्च 31 तक की प्रगति	जुलाई 31 तक की प्रगति
1.	शिक्षक								
2.	सहायक कर्मचारी/मिड डे मील सहायिका								
3.	अन्य कार्मिक								

4. शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में:-

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	टारगेट	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्रोत/ कार्ययोजना	सितम्बर 30 तक की प्रगति	दिसम्बर 31तक की प्रगति	मार्च 31 तक की प्रगति	जुलाई 31 तक की प्रगति
1.	कम्प्यूटर कक्ष एवं कम्प्यूटर								
2.	शिक्षण सहायक सामग्री								
3.	पुस्तकालय								
4.	विद्यालय हेतु वाहन सुविधा								
5.	ग्रीन बोर्ड								
6.	इंटरनेट								
7.	अन्य								

5. सह शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में :-

क्र. सं.	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	टारगेट	समयावधि जिसमें पूर्ण होना है	पूर्ण करने हेतु स्रोत/ कार्ययोजना	सितम्बर 30 तक की प्रगति	दिसम्बर 31तक की प्रगति	मार्च 31 तक की प्रगति	जुलाई 31 तक की प्रगति
1.	शारीरिक व्यायाम एवं खेलकूद								
2.	क्विज, भाषा एवं गणितीय प्रतियोगिता								
3.	राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन								
4.	साहित्यिक गतिविधियाँ								
5.	सांस्कृतिक गतिविधियाँ								
6.	बाल मेला/विज्ञान मेला								
7.	विभिन्न क्लब								
8.	अन्य								

22. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

● क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 जयपुर, दिनांक 24.6.2016 ● राजस्थान सरकार-कार्मिक (क-2) विभाग ● समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव। ● समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित। ● मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की टंकण गति परीक्षा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(67)कार्मिक/क-2/84 दिनांक 31.07.99 की अनुपालना में भाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाती रही है। भाषा विभाग द्वारा दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा उनके विकल्पानुसार कम्प्यूटर अथवा टंकण यंत्र (टाईपराइटर) पर एवं दिनांक 5.7.2010 व इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जाती रही है।

भाषा विभाग के परिपत्र दिनांक 09.05.2013 के अनुसार दिनांक 05.07.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा टाईपराइटर/कम्प्यूटर पर देने का विकल्प प्रदान किया गया था। चूँकि वर्तमान में दिनांक 5.7.2010 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त अनेक कार्मिकों द्वारा टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर ही देने का विकल्प चुना हुआ है। इनमें से कुछ कार्मिकों द्वारा उक्त नियम 1996 के नियम 9 में अपेक्षित टंकण गति परीक्षा अभी तक उत्तीर्ण नहीं की है जो कि उन्हें नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए थी। अतः ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 5.7.2010 से पूर्व हुई है तथा जिन्होंने टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर देने का विकल्प चुना है और अभी तक नियमानुसार टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनको भाषा विभाग द्वारा आयोजित टंकण गति परीक्षा (टाईपराईटर पर) में सम्मिलित होने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस संबंध में पृथक से शिथिलता की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पश्चात भविष्य में किसी भी कार्मिक को टाईपराईटर पर टंकण गति परीक्षा का विकल्प प्रदान नहीं किया जावेगा क्योंकि इसके पश्चात उत्तीर्ण होने से शेष रहे सभी कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा कम्प्यूटर पर ही देनी होगी।

टंकण यंत्र (टाईपराईटर) पर अन्तिम परीक्षा का आयोजन भाषा विभाग द्वारा माह जनवरी 2017 में किया जावेगा जिसके लिए आवेदन 31 दिसम्बर 2016 तक भरे जा सकेंगे। विस्तृत कार्यक्रम भाषा विभाग द्वारा जारी किया जावेगा। उसके पश्चात भाषा विभाग किसी भी कार्मिक को टंकणयंत्र पर परीक्षा की अनुमति नहीं देगा।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 5.7.2010 से पूर्व की है और जिन्होंने टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर दिये जाने का विकल्प चुना हुआ है, उनके आवेदन आवश्यक रूप से टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि को भाषा विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर की जानकारी तत्काल सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुँचाना और उन्हें टंकण परीक्षा के इस अन्तिम अवसर का लाभ उठाने हेतु पर्याप्त तैयारी करने के संबंध में प्रेरित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। ● भास्कर ए. सावन्त, शासन सचिव ● क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/2015/288 दिनांक : 06.07.2016 ● अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

माह : **जुलाई, 2016** — प्रसारण समय : **दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	विषय
1.7.2016	शुक्रवार	जयपुर	शिक्षा मंत्री/सचिव का संदेश
2.7.2016	शनिवार	जयपुर	विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सत्र 2016-17 एक नजर
4.7.2016	सोमवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
5.7.2016	मंगलवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
6.7.2016	बुधवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
8.7.2016	शुक्रवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
9.7.2016	शनिवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
11.7.2016	सोमवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
12.7.2016	मंगलवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
13.7.2016	बुधवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
14.7.2016	गुरुवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
15.7.2016	शुक्रवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
16.7.2016	शनिवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
18.7.2016	सोमवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
19.7.2016	मंगलवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
20.7.2016	बुधवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
21.7.2016	गुरुवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
22.7.2016	शुक्रवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
23.7.2016	शनिवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
25.7.2016	सोमवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
26.7.2016	मंगलवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
27.7.2016	बुधवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
28.7.2016	गुरुवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम
29.7.2016	शुक्रवार	जयपुर	गैर पाठ्यक्रम
30.7.2016	शनिवार	उदयपुर	गैर पाठ्यक्रम

● निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, अजमेर।

आवश्यक सूचना

'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा- नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय-समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता। जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBBJ बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग-अलग संलग्न करें।

-वरिष्ठ संपादक

कालांश समीक्षा

कक्षा स्तरानुसार विभिन्न कक्षाओं में विषयवार निर्धारित साप्ताहिक कालांश विवरण

1. प्राथमिक कक्षाएँ

क्र.सं.	विषय	कुल साप्ताहिक कालांश-48	
		कक्षा-1 व 2	कक्षा-3 से 5
1	हिन्दी	12	12
2	अंग्रेजी	6	6
3	गणित	12	9
4	पर्यावरण अध्ययन	6	9
5	कार्यानुभव	3	4
6	कला शिक्षा	3	4
7	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	6	4
	योग	48	48

2. उच्च प्राथमिक कक्षाएँ

क्र.सं.	विषय	कुल साप्ताहिक कालांश-48
		कक्षा-6 से 8
1	हिन्दी	6
2	अंग्रेजी	6
3	गणित	6
4	सामाजिक विज्ञान	6
5	विज्ञान	6
6	तृतीय भाषा	6
7	कार्यानुभव	2
8	कला शिक्षा	2
9	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	2
10	पुस्तकालय	1
11	निदानात्मक	5
12	योग	48

3. माध्यमिक कक्षाएँ

क्र.सं.	विषय	कुल साप्ताहिक कालांश-48
		कक्षा-9 व 10
1	भाषाएं	
	(i) हिन्दी	6
	(ii)अंग्रेजी	6
	(iii)तृतीय भाषा	5
2	विज्ञान	8
3	सामाजिक विज्ञान	8
4	गणित	8
5	राजस्थान अध्ययन	2
6	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	2
7	फाउंडेशन ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी	2
8	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा, कला शिक्षा	1
	योग	48

नोट:-

1. ऐसे विद्यालय जहाँ कम्प्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, वहाँ के संस्थाप्रधान पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार फाउंडेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए निर्धारित कालांशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते हैं।
2. खेल प्रवृत्तियाँ शून्य कालांश में संचालित की जा सकती है।
3. नैतिक शिक्षा, प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।
4. पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान-प्रदान शून्य कालांश/मध्य अंतराल में किया जा सकता है।
5. व्यावसायिक शिक्षा का अध्यापन इस हेतु चयनित विद्यालयों में अतिरिक्त विषय के रूप में करवाया जाएगा, जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र में प्रति सप्ताह 6 अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था अतिरिक्त समय में की जाएगी।

4. उच्च माध्यमिक कक्षाएँ

क्र.सं.	विषय	कुल साप्ताहिक कालांश-48			
		कक्षा-11		कक्षा-12	
1	हिन्दी	6		6	
2	अंग्रेजी	6		6	
3	राजस्थान अध्ययन	3		3	
4	जीवन कौशल	3		-	
5	ऐच्छिक विषय				
	(i) प्रथम	10	प्रायोगिक कार्य वाले विषयों में 6 कालांश सैद्धांतिक एवं 4 कालांश प्रायोगिक कार्य हेतु निर्धारित है।	11	प्रायोगिक कार्य वाले विषयों में 7 कालांश सैद्धांतिक एवं 4 कालांश प्रायोगिक कार्य हेतु निर्धारित है।
	(ii) द्वितीय	10		11	
	(iii) तृतीय	10		11	
	योग	48		48	

नोट:-

1. नैतिक शिक्षा प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान-प्रदान शून्य कालांश/मध्य अंतराल में किया जा सकता है।
3. शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियाँ विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित है।
4. कक्षा-XI उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यालय में आयोज्य पन्द्रह दिवसीय 'समाज सेवा योजना शिविर' में भाग लेना अनिवार्य है। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा-XII की अंकतालिका/प्रमाण पत्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से मुक्त रहेंगे, किंतु इन विद्यार्थियों की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लेने का अंकन किया जाएगा।

विक्रम सिंह इंदा
वरिष्ठ लिपिक, माध्यमिक अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

70वाँ बलिदान दिवस विशेष

अमर शहीद बीरबलसिंह जीनगर

❒ जानकी नारायण श्रीमाली

बालो पाँखाँ बाहर आयो, माता बैण सुणावै यूं
म्हारी कूख सराई रे बाला, हूँ तन्ने सखरी घूंटी दूं।
बालो मांव भुजा पर झाल्यो, भार वहन्ती बोली यूँ
धरती माँ रो भार हटाये, मत ना मारां मारै तूँ।
कुआ पूज घर पाछी आई, फलसै बड़ती बोली यूँ
सखरा काम करयां म्हारा बीरा, हूँ जाणूली जायो तूँ।

मरुधरा की माताएँ अपनी सन्तानों को जन्मघूंटी के साथ ही कुक्षी के यश, धरती माँ की सेवा और श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देती है। यही कारण है कि मरुधरा की सन्तानों ने जीवन के क्षेत्र में अपनी माटी की सुवास से समाज और राष्ट्र को सुवासित किया है। इसी प्रकार के श्रेष्ठ नरपुंगव अमर शहीद बीरबल सिंह जीनगर ने भारतीय आजादी की बलिवेदी पर हँसते-हँसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब सारे भारत में आजादी का संघर्ष अपने चरम पर था। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में देश की युवा पीढ़ी 'करो या मरो' के नारे के साथ अंग्रेजी कुशासन को समाप्त करने के लिए सीनों पर गोलियाँ खा रही थीं, जब नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आह्वान 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा' पर भारत के नौजवान अपना रक्तार्पण कर माँ भारती का अभिषेक कर रहे थे। जब देश की नस-नस में भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु के बलिदानों की ज्वाला धधक रही थी तब बीकानेर रियासत अपने निर्मम और कठोर शासक महाराजा गंगासिंह और उनकी व्यवस्था के पैरों तले छटपटा रही थी। रियासतकालीन वर्जनाओं और प्रताड़नाओं की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तब उस भयग्रस्त, त्रस्त प्रजा के भावों को मुखर करने के लिए कुछ स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की बाजी लगाकर देश के स्वर में स्वर मिलाने के लिए उठ खड़े हुए।

इन स्वतंत्रता सेनानियों ने रियासती प्रशासन की कठोर यंत्रणाओं की भी परवाह नहीं की और जन-जाग्रती के लिए आत्मबलिदान की भावना लेकर स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े। उनमें से अनेक को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। ऐसे ही मस्त देश भक्तों की टोली

के सिरमौर थे अमर शहीद बीरबलसिंह जीनगर।

अमर शहीद बीरबलसिंह जीनगर श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के निवासी थे। उनका जन्म अनुसूचित जाति के जीनगर समाज में हुआ था, वे हृष्ट-पुष्ट देहयष्टि और गठीले शरीर के नौजवान थे। समाज सेवा और देशभक्ति के भाव उनमें कूट-कूट के भरे थे। वे रायसिंहनगर में रूई की आढ़त के व्यवसायी थे। वे बीकानेर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य थे और सामन्ती अत्याचारों का विरोध करने तथा नागरिक अधिकारों के लिए किए जाने वाले प्रत्येक आन्दोलन में अग्रणी रहते थे। ब्रिटिश भारत में आजादी के आन्दोलन का संचालन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस करती थी, किन्तु देशी रियासतों में आजादी के आन्दोलन को उस रियासत की प्रजा परिषद संचालित करती थी। इस प्रकार प्रत्येक देशी रियासत में प्रजा परिषद का आन्दोलन काँग्रेस से प्रेरित होकर चलता था। बीकानेर में प्रजा परिषद का एक सशक्त संगठन था और थोड़े से जांबाज कार्यकर्ताओं के साथ पूरी जनसहानुभूति का ज्वार समय-समय पर उमड़ता हुआ दिखाई देता था।

प्रजा परिषद का क्रमिक विकास- बीकानेर के नरेश महाराजा गंगासिंह नरेन्द्र मण्डल के अध्यक्ष थे और ब्रिटिश ताज के चहेते थे। इसलिए उनके विरुद्ध जल्दी से किसी शिकायत को महत्व नहीं मिलता था। फलतः प्रजा अन्याय को सहने के लिए विवश थी। ऐसे समय में गाँवों में किसानों पर जागीरदारों के अत्याचार बढ़ने लगे परन्तु महाराजा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तब प्रजा परिषद ने संघर्ष का शंखनाद किया। अन्य रियासतों से या ब्रिटिश भारत से आजादी के दीवाने बीकानेर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ की प्रजा ने ही अपने स्तर पर आन्दोलन प्रारम्भ किया। अनेक स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खादी और स्वदेशी माल बेचना प्रारम्भ किया। इसके लिए संस्थाएँ स्थापित की गई। 02 जनवरी 1930 को बीकानेर राज्य के चूरू नगर में धर्मस्तूप पर स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झण्डा फहरा दिया गया। पूरी रियासत में आजादी के दीवानों में जोश भर गया किन्तु महाराजा ने कड़ी चेतावनी जारी की।

सन् 1932 में राज्य द्वारा पारित पब्लिक सेफ्टी एक्ट का प्रजा परिषद द्वारा घोर विरोध किया गया। समाचार प्रकाशन और सभा आयोजन पर रोक को मजदूर आन्दोलन ने दमनकारी कह कर विरोध किया।

17 दिसम्बर 1933 को रियासत के अनेक स्थानों पर 'बीकानेर दिवस' मनाया गया। इसकी सफलता के लिए राजस्थान के प्रमुख नेता जयनारायण व्यास ने 'डिफेंस कमेटी' का गठन किया। 1935-36 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना के प्रयास राज्य की दमनकारी नीति से विफल हो गए। सन् 1942 में पुनः प्रजा परिषद की स्थापना की गई, किन्तु पब्लिक सेफ्टी एक्ट द्वारा मात्र 07 दिन में परिषद भंग कर दी गई। बीकानेर के जुझारू कार्यकर्त्ता

रघुवरदयाल गोयल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। खादी भण्डारों को बन्द कर दिया गया तथा अनेक प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

वैद्य मघाराम ने पुनः 1944 में प्रजा परिषद की स्थापना की। राव माधोसिंह को प्रधान और जीवनदत्त शास्त्री को मंत्री बनाया गया। इसी समय चौधरी कुम्भाराम आर्य पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर परिषद में सम्मिलित हो गए। किसानों को सबल नेतृत्व प्राप्त हुआ। पूरी रियासत में जलजला आ गया। स्थान-स्थान पर तिरंगे के साथ किसान, स्त्री पुरुषों ने जुलूस निकाले। राज्य का दमन चक्र फिर तेजी से चला। परिषद के पदाधिकारी तथा किसान और व्यापारी भी गिरफ्तार किए गए। विरोध उग्र हो उठा।

प्रथम राजनीतिक सम्मेलनः- दिनांक 30 जून एवं 1 जुलाई को बीकानेर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रथम सम्मेलन रायसिंहनगर में बुलाया गया। इसी दौरान 1 जुलाई 1946 को बीरबलसिंह जीनगर ने बीकानेर की ओर से स्वतंत्रता के यज्ञ में प्रथम आहुति दी। इसी दिन देशभर के दीवानों के हजारों कंठों से ''बीरबलसिंह अमर रहे'' का जयघोष गूँज उठा।

घटनाक्रम तेजी से चला। श्री रघुवरदयाल गोयल ने बीकानेर में प्रवेश किया। इस पर उन्हें 25 जून को गिरफ्तार कर बीकानेर के सेन्ट्रल जेल में बन्द कर दिया गया। रोष का तूफान पूरी रियासत में छा गया। दिनांक 30 जून को रायसिंहनगर में बीकानेर चूरू श्री गंगानगर के कार्यकर्ता प्रथम राजनैतिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो गए। स्वतंत्रता सेनानी श्री सत्यनारायण सर्राफ की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रारंभ हुआ, किन्तु रियासत ने जुलूस व झंडारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया। सभा प्रारंभ हुई किन्तु श्री रघुवरदयाल गोयल व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का संदेश प्राप्त कर दूसरे दिन 1 जुलाई 1946 को घर-घर में तिरंगा फहराने की घोषणा हुई।

शहीद दिवसः- 1 जुलाई 1946 को रायसिंहनगर में केवल तिरंगे झंडे ही दिखाई दे रहे थे। आस पास की मंडियों से भी हजारों लोग जुलूस में शामिल होने के लिए आ गए। जोश का सागर लहरा रहा था। 'सर बांधे कफनवा हो, शहीदों की टोली निकली' अभूतपूर्व जोश के साथ जुलूस सभा पाण्डाल में पहुँचा, जहाँ उत्साही जवानों ने तिरंगा लहरा दिया। सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ हुई किन्तु इसी बीच रायसिंहनगर रेल्वे स्टेशन पर हाथों में तिरंगा लिए उतरने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह सूचना पाण्डाल में पहुँचते ही तटबांधों को तोड़कर बहते जल प्रवाह की भाँति जनसैलाब पाण्डाल से निकलकर रायसिंहनगर गैस्ट हाउस जा पहुँचा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को जमीन पर पटक कर छाती पर चढ़ बूँटों से रौंदा गया। सैंकड़ों घायल और बेहोश आजादी के दीवानों को पुलिस घसीट कर गेस्ट हाउस ले गई।

इस बर्बरता से भी उष्मीत जनसैलाब नारे लगाते हुए गैस्ट हाउस की ओर बढ़ चला। इस भीड़ का नेतृत्व श्री बीरबलसिंह जीनगर कर रहे थे। 'भारतमाता की जय', 'इंकलाब जिंदाबाद', 'जेल के फाटक टूटेंगे हमारे साथी छूटेंगे' आदि नारों के साथ उमड़ती भीड़ देख प्रशासन घबरा गया। सरकारी अधिकारियों ने समीप के फौजी कैम्प से 06 सशस्त्र सैनिक बुलाए जिन्होंने आते ही बिना चेतावनी के अन्धाधुन्ध गोलियाँ बरसानी प्रारम्भ कर दी। सैनिकों की इन गोलियों से एक सिक्ख नौजवान मोहन सिंह तथा छः अन्य नौजवान घायल होकर धरती पर गिर पड़े।

13-14 वर्ष के दो बालकों को भी गोलियाँ लगी, किन्तु तिरंगा थामे बीरबलसिंह जीनगर नहीं रूके। उन्हें तीन गोलियाँ लगी फिर भी वे आगे बढ़ते रहे तभी चौथी गोली बीरबलसिंह के सीने में लगी और वे गिर पड़े। लोगों ने रक्त रंजित शरीर को हाथों-हाथ उठाया और वो पाण्डाल में ले पहुँचे। उनके शरीर से खून बह रहा था। उन्हें एक चारपाई पर लिटाया गया जिसके नीचे रखे तसले में खून टपक रहा था। सेना और पुलिस ने बीरबलसिंह को अस्पताल नहीं ले जाने दिया। चार घण्टे के रक्त स्राव से देह शिथिल होने लगी। किन्तु मुख से 'झण्डा ऊँचा रहे हमारा' सुनाई दे रहा था।

अन्त में भारत माता का यह सपूत इस नश्वर देह को त्याग कर अमर शहीद बन पूजित हो उठा। आखिर जब कुछ लोग किसी तरह उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर यह देख चकित रह गए कि शहीद के हाथ में तिरंगा कस कर पकड़ा हुआ था। इसी दिन 01 जुलाई 1946 को शहीद का जुलूस रायसिंहनगर में निकाला गया। आजाद हिन्द फौज के श्री अमरसिंह के साथ हजारों लोगों ने शहीद की अर्थी को कंधा दिया। नम आंखों से, हृदयों में ज्वाला लिए नौजवानों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।

रायसिंहनगर में रेस्ट हाउस के पास जहाँ उन्हें गोली लगी थी, उसी पावन स्थल पर आज शहीद बीरबलसिंह की संगमरमर की मूर्ति लगी है। यहाँ प्रतिवर्ष 30 जून व 01 जुलाई को मेला भरता है। इसी स्थल पर 25 अप्रेल 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने शहीद की मूर्ति को अपने हाथों से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के नाम पर बीरबल चौक भी श्रीगंगानगर में स्थित है।

राजस्थान सरकार ने इन्दिरा गाँधी नहर (राजस्थान नहर) की एक शाखा का नामकरण 'अमर शहीद श्री बीरबलसिंह माइनर' रखा।

शहीद बीरबलसिंह जीनगर युग-युग तक जनजीवन में अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ उनके साहस, उत्कट राष्ट्रभक्ति व समर्पण से 'अपने लिए कुछ राष्ट्र के लिए सबकुछ' की प्रेरणा लेती रहेगी।

(राष्ट्रीय लेखक प्रमुख,
अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली)
निवास : ब्रह्मपुरी चौक, बीकानेर 0151-2542992

सांस्कृतिक धरोहर

झालावाड़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल

❑ ललित शर्मा

बूंदी से कोटा राज्य का उद्भव हुआ, उसी कोटा राज्य से झालावाड़ राज्य का उद्भव हुआ और इस राज्य की स्थापना 8 अप्रेल 1838 ई. को हुई। झालावाड़ राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि के मुख्य सूत्रधार कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह थे। झाला जालिम सिंह के पौत्र झाला मदन सिंह 1838 ई. में झालावाड़ राज्य के प्रथम महाराज राणा बनाये गये। उनके समय इस राज्य में 15 लाख रुपये की आय के 17 परगने थे। झाला मदन सिंह के बाद झालावाड़ राज्य के शासक उनके वंशज पुत्र क्रमशः महाराज राणा पृथ्वीसिंह, महाराज राणा जालिमसिंह (द्वितीय) महाराज राणा भवानी सिंह व महाराज राणा राजेन्द्रसिंह सुधाकर हुये। सुधाकर के पुत्र महाराज राणा हरिश्चंद्र सिंह इस राज्य के अन्तिम नरेश थे, जिन्होंने इस राज्य को स्वतंत्रता बाद भारत संघ में मिलाने का प्रथम सफल प्रयास कर अपने वंश की लोकतांत्रिक परम्परा को जीवित बनाये रखा।

स्वतंत्रता के बाद यह भू-भाग कोटा-बारां आदि में चला गया और कुछ अन्य भू-भागों से समन्वित कर इसे झालावाड़ जिले के रूप में गठित किया गया जो आज तक कायम है। यह जिला उत्तरी अक्षांश में 23° 45.20 से 24° 52.17 व पूर्वी अक्षांश में 75° 27.35 से 76° 56.48 पर मालवा के प्राचीन पठार पर स्थित होकर आज हाड़ौती सम्भाग का एक जिला है। प्रदेश के सिंह द्वार और मालवा की गौरवशाली धरा के रूप में चर्चित इस जिले में जहां एक ओर गागरोन, नौलखा, गंगधार, मनोहरथाना में अनेक दुर्जेयी दुर्ग है वहीं दूसरी ओर चन्द्रावती, झालरापाटन, उन्हैल, खानपुर व कोल्वी आदि में ऐसे देवालय और प्रतिमाएँ व गुफाएँ हैं जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है।

वर्तमान झालावाड़ जिला समुद्रतल से 900 से 1880 फीट की ऊँचाई पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 6219 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 1468 ग्राम, 5 उपखण्ड, 7 तहसीलें 6 विकास खण्ड 8 नगर-कस्बे एवं 5 नगर पालिकायें हैं। सन् 2001 की जनगणना के आधार पर इस जिले की कुल जनसंख्या 1180342 है। इस जिले की जलवायु सामान्य शुष्क है तथा यहां के स्थलों के अवलोकन का सुन्दर समय अक्टूबर से फरवरी तक उचित रहता है। जिले का मुख्यालय 'झालावाड़' राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है जहाँ से इस जिले के सभी पर्यटन व ऐतिहासिक स्थलों पर सुगमता से आया-जाया जा सकता है। कोटा महानगर से जिला मुख्यालय सीधी बस सेवा द्वारा जुड़ा है जो 85 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। जिले के प्रमुख पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों का परिचय इस प्रकार है।

झालावाड़ गढ़ पैलेस:- झालावाड़ मुख्यालय के मध्य स्थित गढ़-पैलेस यूरोपीय स्थापत्य का सुन्दर नमूना है। इस पैलेस का निर्माण झालावाड़ राज्य के प्रथम नरेश महाराज राणा मदन सिंह के काल में सन् 1840 से आरम्भ हुआ था। जो उनके पुत्र महाराज राणा पृथ्वीसिंह के काल में 1854 ई. के लगभग बन कर तैयार हुआ था। पूरा महल सुदृढ़ चट्टानों के परकोटे से घिरा हुआ है।

हालांकि यह पैलेस चौकोर है परन्तु इसके तीनों ओर (पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में) बड़े प्रवेश द्वार है। मुख्य द्वार पूर्वाभिमुखी है जिस पर नक्कार खाना है। वर्तमान में पूरा पैलेस सरकारी कार्यालयों में तब्दील है। यहीं पर 1791 ई. में उन्होंने 'एक सैनिक छावनी' स्थापित की थी। आज भी इस गढ़ पैलेस के आंतरिक कक्षों में भव्य रंग-शालायें, कलात्मक झरोखे, ड्योढ़िया द्वार, दरीखाना, इजलास, सभागार व शीश महल देखने योग्य है। झालावाड़ के नरेशों के स्वर्ण युगों की चित्रकला शैली की सुन्दर व सतत् साधना नाथद्वारा के सिद्धहस्त कलाकारों द्वारा की गई है। राजराणाओं की शाही सवारियों के दृश्य, तीज-त्योहारों की मनोहारी शोभा, इन्द्र विमान (शाहीरथ) की शाही-सवारी, नृत्य-नाटिका, रास-रंग, बत्तीस भोग, बारहा अवतार, राम दरबार, कृष्ण-महारास, श्रीनाथ जी, रामायण कथांकन तथा छावनी (मुख्यालय) की प्राचीन वैभवशाली हवेलियों व प्राकृतिक स्थलों के चित्र आज भी अपनी आभा से आकृष्ट करने की क्षमता रखते हैं।

पूरा गढ़ पैलेस ही इस आशय से देखने योग्य है। इस पैलेस के दोनों कोनों पर बुर्ज रूप में अर्द्धचंद्राकार,वृत्ताकार कक्ष मजबूती से बने हैं।

श्रीभवानी नाट्यशाला:- गढ़ पैलेस के पृष्ठ भाग में बनी यह नाट्यशाला सम्पूर्ण उत्तरी भारत में एक मात्र ऐसी नाट्यशाला है जो पूरी ही पारसी-औपेरा शैली का उत्कृष्ट नमूना है। यह नाट्यशाला भारतीय नाटक, संगीत व देशी-विदेशी नाट्य-प्रस्तुतियों के लिए बरसों से देश-विदेश में प्रख्यात रही है। इसका निर्माण कलाप्रिय झालावाड़ नरेश महाराज राणा भवानीसिंह ने 1921 ई. करवाया था। इस नाट्यशाला में कवि कालिदास विरचित 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' नाटक प्रथम बार 16 जुलाई 1921 ई. को स्वयं महाराज राणा भवानीसिंह की अध्यक्षता में मंचित किया गया था।

इस नाट्यशाला में तब नाटकों को देखने वालों के स्तर के अनुसार ही बैठने के स्थान भी चयनित रूप में थे। जिनमें राज परिवार व उनके साथ आये विशिष्ट लोग जैसे-अलवर, टोंक, किशनगढ़, बूढ़ा, बकवाण, पटियाला और धागंधरा (गुजरात) राजपरिवार अपने लम्बे

लवाजमों के साथ यहाँ इन नाटकों के मंचन देखने आते थे।

यह नाट्यशाला 33 फुट लम्बे, 28 फुट चौड़े एवं 23 फुट ऊँचे मंच के सामने बनी 87 विशाल और कलात्मक खम्भों पर खड़ी हुई है जिसकी 61 फुट लम्बी व 48 फुट चौड़ी दर्शक दीर्घा में राजपरिवार व खास लोगों के बैठने हेतु 36 बालकनियों के अलावा सामान्य जनों के बैठने का भी समुचित स्थान है। नाट्यशाला के मुख्य मंच को ऊपर-नीचे ले जाने की व्यवस्था के अलावा हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों को सीधे स्टेज पर उतारने, ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से सधे कलाकारों को अधर में तैरता दिखाने और नाट्यानुरूप पात्रों को स्टेज पर प्रकट अथवा अदृश्य कर देने के विशेष उपकरणों, कक्षों की भी सुन्दर व्यवस्था थी। आवाज-बहादुर नाट्य पात्रों की आवाजों और खोखले मंच के तलधर से प्रसारित धुनों का मिश्रण इस नाट्यशाला में 'इको' ध्वनि के रूप में प्रसारित होता था जिसे देख और सुनकर दर्शक आश्चर्य चकित रह जाते थे।

सारतः इस नाट्यशाला के निर्माण की पूर्ण लागत उस समय 1 लाख 50 हजार बताई जाती है। जो स्वयं महाराज राणा भवानीसिंह ने अपने जेब खर्च से दी थी। यह नाट्यशाला आज भी शोधार्थी, पर्यटकों के शोध व अवलोकन की नायाब इमारत है।

पुरा-संग्रहालयः- गढ़-भवन के मुख्य द्वार के निकट इस राजकीय पुरा संग्रहालय की स्थापना 1 जून 1915 में राजराणा भवानी सिंह ने की थी। यहाँ पर विपुल पुरा सामग्री एकत्रित करने का श्रेय पं. गोपाललाल व्यास को है जो इस संग्रहालय के प्रथम क्यूरेटर रहे। इस संग्रहालय में अनेक पुरा वस्तुओं का नायाब संग्रह है। इसके प्रतिमा कक्ष में अनेक दुर्लभ और 8वीं से 18वीं सदी की सुन्दर प्रतिमाएँ संग्रहीत है। यहाँ शैव, शाक्त, वैष्णव और जैन धर्म का सुन्दर संग्रह है। इनमें सूर्य-नारायण, अष्ट भुजाधारी विष्णु, चामुण्डा, महिषासुर मर्दिनी, शाल भंजिका, लंकुलिश, अद्वितीय अर्द्धनारीश्वर, हरिहर, नटराज आदि की प्राचीन प्रतिमाएँ भारतीय मूर्तिकला की अनुपम थाती है। यहाँ संग्रहीत अर्द्धनारीश्वर का शिल्प सौंदर्य तो इतना सुन्दर है कि इस प्रतिमा को 1982 में लन्दन में आयोजित मूर्तिकला खण्ड में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। संग्रहालय के मुद्रा कक्ष में कनिष्क से मुगलों तथा झालावाड़ राज्य तक की मुद्राओं का सुन्दर संग्रह है।

इस संग्रहालय के चित्रकला कक्ष में हाड़ौती क्षेत्र के लघु चित्र शैली में निर्मित कागज पर चित्रित लघु चित्र प्रदर्शित है, जो नायक-नायिका चित्रण, बारहमासा लघु चित्रण, राजस्थान और हाड़ौती लघु चित्र शैलियों के चित्रों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ भी है जिनमें चित्र शैली व पोथी चित्रण की दृष्टि से शालिहोत्र, बारहठ, नरहरिदास कृत भाषावतार चरित आदि ग्रंथ संग्रहित है। इनमें प्रत्येक श्लोक का चित्रानुवाद है तथा ये चित्र हस्त निर्मित है जो आज भी अपनी आभा लिये हुए है।

भवानी परमानन्द पुस्तकालयः- झालावाड़ मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का यह पुस्तकालय देश में दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह के कारण प्रसिद्ध है। इसे 1911 ई. में झालावाड़ नरेश भवानी सिंह ने अपने प्रिय दीवान परमानन्द चतुर्वेदी के नाम से निर्मित करवाया था। राजा भवानी सिंह के पौत्र राजा हरिश्चंद्र ने 1946 ई. में विश्व के अनेक देशों व भाषाओं की यहाँ लगभग 14000 पुस्तकें मंगवाई थी जिनकी जिल्दे लन्दन में तैयार की थी। इस पुस्तकालय में विश्व की कई ऐसी पुस्तकों का संग्रह है जिनका प्रकाशन प्रथम व अंतिम बार हुआ था। नेपोलियन के दुर्लभ साहित्य के लिये यह पुस्तकालय आज भी प्रसिद्ध है।

क्लॉक टावरः- नगर के हृदय-स्थल मंगलपुरा में झालावाड़ नरेश राजेन्द्र सिंह 'सुधाकर' द्वारा पेरिस के क्लॉक टावर की तर्ज पर बनवाया हुआ 45 फीट लम्बा क्लॉक-टावर (घंटाघर) त्रिकोणीय होकर भी चौकोर होने का आभास देता है। स्वतंत्रता पूर्व यहाँ से नगर में लाउड स्पीकर द्वारा समाचार प्रसारित किये जाते थे। राजस्थान प्रदेश का यह अकेला त्रिकोणीय क्लॉक टावर है।

सुरम्य रैन-बसेराः- मुख्यालय झालावाड़ से 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर कोटा राजमार्ग पर कृष्णसागर जलाशय के उत्तरी तट पर काष्ठ का एकमात्र पैवेलियन है। काष्ठ का यह दुमंजिला भवन 1936 में अखिल भारतीय औद्योगिक संघ लखनऊ में आयोजित भव्य प्रदर्शनी में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा पहली बार प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए झालावाड़ नरेश राजेन्द्र सिंह सुधाकर को यह रैन-बसेरा पसन्द आ गया। उन्होंने हाथो-हाथ इसे खरीद लिया। इसे उक्त कृष्ण सागर जलाशय के किनारे 29 अगस्त 1937 को स्थापित किया।

यह काष्ठ भवन देवदार की लकड़ी से 'एस्क्यू' विधि द्वारा उपचारित कर बनाया गया था जिससे यह आज तक दीमक से सुरक्षित रहा है। इस भवन का पूर्व का क्षेत्रफल 3500 वर्ग फुट था, जिसमें तीन शयन कक्ष एक अतिथि गृह व एक भोजनकक्ष था, परन्तु नरेश की आवश्यकतानुसार बाद में इसमें स्नानघर, शौचालय, बरामदा व भण्डार कक्ष बनवाये गये और इसे पाँच काष्ठ स्तंभों पर भूकम्प रहित तरीके से यहाँ स्थापित किया गया। इस विस्तारित योजना का कुल खर्च 7000 रु. रहा। नरेश राजेन्द्र सिंह का सपना था कि वे जीवन के संध्याकाल इसी आवास में बितायें। आज भी यह रैन बसेरा पर्यटकों व शोधार्थियों के आकर्षण की सुन्दर निधि है। इसके आस-पास सघन वन वृक्ष, सुन्दर जलाशय, बाग-बगीचे अपनी आभा से हर किसी को आल्हादित किये रहते है।

झालरापाटनः- मुख्यालय झालावाड़ से सात किलोमीटर दूर दक्षिण में झालरापाटन ऐतिहासिक सांस्कृतिक और व्यापारिक नगर है। इस की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने संवत् 1849 (सन् 1792 ई.) में की थी। झाला जालिम सिंह द्वारा बसाये 'झालरापाटन' नगर के नामकरण के मूलतः दो आधार है- प्रथम वह झालरो(घंटियों) की झन्कारें जो यहाँ के क्षेत्र में बने 108 देव मंदिरों में प्रतिदिन प्रातः व सांयः देव अर्चना के समय होती थी। इतिहास विद् जेम्स टॉड ने इसी कारण इस नगर को 'सिटी ऑफ बैल्स' कहा था। दूसरा 'झाला' राजपूत शासकों द्वारा इस नगर की स्थापना करवाना।

प्राचीन नगरपालिकाः- प्रसिद्ध इतिहासविद् कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी भ्रमण यात्रा के दौरान यहाँ आकर 12 दिसम्बर 1821 ई. को अपने वृत्तांत विवरण में यह लिखा कि -

''समस्त भारतवर्ष के बीच मैंने केवल झालरापाटन में इस समय की नगरपालिका के स्वायत्त शासन की रीति-नीति को प्रचलित होते देखा। झाला ने इस नगरपालिका के स्वायत्त शासन का भार वहाँ की जनता को ही दे दिया था और यहाँ की जातीय पंचायत सभा ने उसका प्रणयन करके बरसों तक उसे संचालित किया। देश की आजादी के समय तक सभापति सेठ नेमीचंद सेठी रहे। जिन्होंने इस नगर को सजाया-संवारा।

सुन्दर देवालय:- इस नगर के हृदय स्थल पर एक पद्मनाभ मंदिर है। इसे 'सूर्य मन्दिर' के नाम से जाना जाता है। यह दसवीं सदी का है। इस मन्दिर में प्रागीव शैली का सभा मण्डप है। जिसके तीनों ओर प्रवेश द्वार है। सभी द्वार स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भगवान सूर्य की घुटनों तक जूते पहने प्रतिमा स्थापित है जबकि मूल गर्भगृह में भगवान पद्मनाभ (विष्णु) की प्रतिमा है। मन्दिर के गर्भगृह की उतरांग पट्टिका पर शिव तांडव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। कलात्मक देव परिवार की सुन्दर मूर्तियाँ पर्यटकों के आकर्षण की केन्द्र है।

कला नगरी चन्द्रावती:- झालरापाटन के पूर्व में एक किलोमीटर दूर चन्द्रभागा नदी के उत्तरी तट पर झालरापाटन की जातक नगरी चन्द्रावती के अवशेष व सुन्दर और प्राचीन देवालय है। इस नगरी से कनिंघम को प्रधौत से मौर्य काल की अवधि के सिक्के मिले थे, जिससे इसकी प्राचीनता का बोध होता है। मध्य युग में यह नगरी उत्तर से पूर्व की ओर ले जाने वाले मार्ग में तिजारत का बड़ा केन्द्र थी। अबुल फजल के अनुसार इसकी स्थापना मालवा के प्राचीन राजा चन्द्रसेन ने की थी। इस नगरी में कई देव मन्दिर थे, जिनमें अभी चन्द्रमौलिश्वर शिव, नवदुर्गा, विष्णु आदि के मन्दिर व उनका प्रतिमा तथा स्थापत्य शिल्प प्राचीन भारतीय संस्कृति की अनुपम निधि है।

गागरोन दुर्ग:- झालावाड़ नगर से उत्तर की ओर चार किलोमीटर दूर आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना गागरोन दुर्ग भारत के प्राचीन और विकट दुर्गों में से एक है। यह दुर्ग तीनों तरफ नदियों से घिरा होने के कारण प्राचीन शास्त्रों में वर्णित 'जल दुर्ग' की श्रेणी में आता है। ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार 'गागरोन' पर पहले डोड (परमार) राजपूतों का अधिकार था, जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आया। इस वंश के देवन सिंह ने बीजलदेव डोड को मारकर इस दुर्ग पर 12वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अधिकार कर इसका नाम 'गागरोन' रखा। खींची नरेशों ने लगभग यहाँ 300 वर्षों तक राज्य किया। सन् 1303 में गागरोन नरेश जैतसिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन जैतसिंह ने उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। गागरोन का सर्वाधिक ख्यात नाम शासक अचलदास खिंची हुआ। वह मेवाड़ महाराणा मोकल का दामाद था।

इस दुर्ग में पर्यटन की दृष्टि से आज भी कई ऐतिहासिक निधियाँ देखने लायक है। दुर्ग में रनवास, रंगमहल, दरबार-महल, नक्कार खाना, बारूद खाना, टकसाल, जौहर कुण्ड, शाही कक्ष, मधुसूदन मंदिर देखने लायक है। दुर्ग की रामबुर्ज से प्रकृति की सुरम्यता का अवलोकन काफी सुन्दर होता है। गागरोन के राय तोते आदमी की आवाज में हूबहू बोलने के लिये प्रसिद्ध है।

चांदखेड़ी जैन मन्दिर:- मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर खानपुर कस्बे के 'चांदखेड़ी' में आदिनाथ स्वामी का भव्य जैन मन्दिर इतिहास और पर्यटन का सुन्दर समन्वय है। इस मंदिर का निर्माण संवत् 1746 में कोटा राज्य के दीवान किशनदास बघेरवाल ने करवाया था। मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की सुन्दर और मनोज्ञ प्रतिमा स्थापित है।

दलहनपुर:- मुख्यालय से पूर्व की ओर 50 किलोमीटर दूर अकलेरा मार्ग पर स्थित बोरखेड़ी ग्राम से दस किलोमीटर दूर स्थित दलहनपुर प्राचीन शैव मत व साधकों का विशाल तंत्र साधना स्थल रहा है। राजस्थान में यह वह स्थल है जहाँ शैव-संस्कृति के विविध आयामों के पग-पग पर दर्शन होते हैं। यहाँ का उत्कृष्ट स्थापत्य और शिल्प तथा कई संवतों के शिलालेख प्राचीन इतिहास का अनछुआ पृष्ठ संजोये हुए है। इन सभी स्तंभों पर प्राचीन और सुन्दर देव मूर्तियाँ व तंत्र साधकों की मूर्तियाँ देखने योग्य है।

कोल्वी की बौद्ध गुफाएँ:- मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में डग (उप तहसील) में स्थित ग्राम कोल्वी, हथिया गौड़ बिनायगा और गुनाई में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का विशाल समूह पुरातत्व और पर्यटन के हिसाब से देखने योग्य है। कोल्वी की गुफाओं की खोज प्रथम बार 1853 ई. में इम्पे ने की थी जबकि बिनायगा गुफाओं की खोज 1922-23 में भारतीय पुरातत्व विभाग के तकनीकी सहायक मौलवी जफर ने की थी। कोल्वी ने अनेक गुफाएँ दुमंजिली व अग्निकुण्ड युक्त है। कोल्वी की गुफाओं में भिक्षुओं के शयनार्थ आसन्दी एवं उनके शीर्ष पर तकिये कलात्मकता से बने हुए है। कनिंघम ने इन गुफाओं के निर्माण का समय 7 वीं सदी से 9वीं सदी का बताया है।

गंगधार:- मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित गंगधार कस्बा पुरातत्व महत्व का स्थल है। यहाँ से अवाम मालव संवत् 480 का अभिलेख इस स्थल की सर्व सम्पन्नता का प्रमाण है। वह गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम का समकालीन था। 16वीं सदी में यह स्थल झाला राजपूतों की राजधानी के रूप में चर्चित था। उन्होंने वहाँ किला, महल व सुन्दर भवन निर्मित करवाये जो आज भी पर्यटन के रूप में देखने योग्य है।

मनोहारी मनोहरथाना:- मुख्यालय से 92 किलोमीटर दूर पूर्व में परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर बसा मनोहरथाना है। पूर्व में इसे खाताखेड़ी कहते थे। इस किले में आज भी कई मन्दिर और अन्तर गर्भा कक्ष है। किला पर्यटन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। इस किले को 24 दिसम्बर 1632 को गन्नूर के जागीर दार नसीरी खाँ ने भागीरथ भील से जीता था।

बाद में यह कस्बा पुनः भीलों के अधिकार में आया। कोटा महाराव भीमसिंह (प्रथम) के समय (वि.स. 1764-77) यहाँ का भील राजा चक्रसेन था। उसके पास 500 घुड़सवार व 800 तीरंदाज सदैव रक्षार्थ तैयार रहते थे। महाराव ने एक युद्ध में चक्रसेन को हराकर मनोहरथाना पर अधिकार जमाया। यहाँ पर सागवान की लकड़ी और गोंद के विशेष पापड़ मेहमानवाजी के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ की नदी के मध्य बना थानेश्वर महादेव का मंदिर व कस्बे में बने रामटेक व राणी सती का मन्दिर भी कला दृष्टि से देखने योग्य है।

जैकी स्टूडियो, 13 मंगलपुरा स्ट्रीट
झालावाड़-326001 (राज.)

पुस्तक समीक्षा

कुण्डलिया छन्द के सात हस्ताक्षर

त्रिलोक सिंह ठकुरेला, **प्रकाशक** : राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर **संस्करण** : 2012 **पृष्ठ संख्या** : 96 **मूल्य** : ₹ 150

'कुण्डली' छन्द पद्य साहित्य का प्राचीन अंश है। जब गद्य कविता (नई कविता) का जन्म नहीं हुआ और साहित्य का आम जन जीवन से गहरा सम्बन्ध था तब दोहा और कुण्डली कविता का प्राण कही जाती थी। निःसंदेह आज भी कविता या पद्य कुण्डली छन्द के बगैर अधूरी है, अपूर्ण है। भले ही आज साहित्य के अग्रणी कहे जाने वाले छन्द शास्त्र की उपेक्षा और तिरस्कार कर रहे हैं किन्तु श्रोता आज भी छन्द ही सुनना चाहता है। जन-जन के मन को आज भी छन्द की सरसता, मधुरता और गेयता ही भाती है। यही वजह है कि आज भी देशभर में न केवल छन्द बल्कि छन्द में भी कुण्डली छन्द खूब लिखा जा रहा है। कितना सुखद तथ्य है कि कुण्डली आज की तारीख तक लाखों लोगों द्वारा चाव से सुनी, पढ़ी और सराही जा रही है। कुण्डली के प्रति लोगों के इस आकर्षण के सुखद परिणाम के रूप में ही कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला द्वारा सम्पादित कृति 'कुण्डलिया छन्द के सात हस्ताक्षर' हमारे सामने आती है।

उत्तरप्रदेश के छह और राजस्थान के एक कुण्डलीकार की चुनिन्दा रचनाओं को प्रस्तुत करती यह कृति प्रत्येक पाठक के लिए पठनीय एवं संग्रहणीय है। संग्रह का प्रत्येक कवि न केवल कुण्डली छन्द पर पूर्ण अधिकार रखता है अपितु जीवन के अनुभवों को कुण्डली के पदों में पिरोकर सहज सम्प्रेषण की दक्षता भी रखता है। संग्रह के सात हस्ताक्षरों में शीर्ष हस्ताक्षर हैं जाने-माने कवि, गीतकार डॉ. कपिल कुमार। उनकी कुण्डली रचनाएँ वाकई बेहतरीन है। उनकी रचनाओं को चाहे किसी भी कोण से क्यों न देखा जाए, हर कोण से परिपूर्णता ही नजर आती है। उन्होंने सहज-सरल अर्जित अनुभवों को कुण्डलियों में साझा किया है। कवि गाफिल स्वामी अपनी कुण्डलियों में उपदेशात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कुण्डली का प्रत्येक पद किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देता है। गाफ़िल की भाषा भी बनावटी नहीं लगती लेकिन विषय की दृष्टि से देखने पर उनमें एकरसता नजर आती है।

संग्रह के तीसरे हस्ताक्षर डॉ. जगन्नाथ प्रसाद बघेल की कुण्डलिया शिक्षादायक होने के साथ ही विषयों के लिहाज से समृद्ध हैं। उनकी भाषा जरा घुमावदार है। वे कहीं कहीं ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो सामान्यतया प्रचलन में नहीं है, उदाहरण के तौर पर 'साफल्य, वैभिन्य, कौशल' आदि। उनकी कुण्डलियों में भी लोकप्रिय होने के तत्व समाविष्ट हैं।

कुण्डली छन्द के एक और सशक्त कवि हैं डॉ. रामस्नेही शर्मा यायावर। इन्होंने कुण्डली छन्द को आज के समय से जोड़ते हुए नए आयाम दिए है। डॉ. शर्मा की कुण्डलियों में परिलक्षित होता आधुनिक युग बोध कवि के रूप में उनकी सक्षमता को प्रमाणित करता है। उनकी कुण्डली रचनाएँ इसलिए भी दूसरों से अलग हैं कि ये कुण्डली के अंत में अपने नाम की छाप या मुहर नहीं लगाते। युवा कवि शिवकुमार 'दीपक' की कुण्डली रचनाएँ भी पठनीय है। वे भी रचनाओं में समकालीन परिस्थितियों का चित्रण करते हैं। उनकी रचनाओं में कहीं-कहीं अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल और कहीं उपदेशात्मक शैली का हावी होना देखा जा सकता है।

'सत्यम' के उपनाम से पहचाने जाने वाले सुभाष मित्तल की कुण्डलियों में सहज सम्प्रेषणीयता है। वे अध्यात्म की गूढ़ बातों को भी उतनी ही सहजता से अपनी कुण्डली रचनाओं में परोटते हैं जितनी सहजता से दैनिक जीवन की बात करते हैं। संग्रह में प्रस्तुत उनकी 22 कुण्डली रचनाओं में इतिहास भी है तो मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव भी है। कृष्ण के जीवन की झाँकी है तो प्रकाश पर्व दीवाली का उजास भी। कुल मिलाकर उनकी रचनाओं में जीवन का हर रंग है।

इस संग्रह के सम्पादक त्रिलोक सिंह ठकुरेला एक समर्थ कवि एवं कुशल कुण्डली रचनाकार हैं। वे गद्य और पद्य में समान अधिकार से लिखते हैं। उनकी कुण्डली रचनाओं में संदेश का स्वरस प्रमुखता से उभरता है। उदाहरण के लिए उनकी कुण्डली का प्रथम अंश देखा जा सकता है-

मानव की कीमत तभी, जब हो ठीक चरित्र।
दो कौड़ी का भी नहीं, बिना महक का इत्र।

वे अपनी कुण्डली रचनाओं में संसार की नश्वरता का स्मरण भी दिलाते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरा दम-खम लगाने की बात भी करते हैं। निःसंदेह उनकी कुण्डली रचनाएँ पठनीय और मनन करने योग्य है।

श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने एक कुशल रचनाकार होने के साथ ही इस संग्रह में बेहतरीन सम्पादकीय दृष्टि का भी परिचय दिया है। प्रस्तुत संग्रह के सातों हस्ताक्षर अपनी पीढ़ियों का नेतृत्व करते हैं। संग्रह की सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि इसमें श्री कपिल कुमार से लेकर शिव कुमार 'दीपक' तक कुण्डली छन्द की यात्रा एक साथ सामने आती है। पुस्तक कुण्डली छन्द की लोकप्रियता को नवीन आयाम देगी, इसमें कोई संदेह नहीं।

-संजय आचार्य 'वरुण'

जीतमलजी की पोल, आचार्यों की डाल, बीकानेर
मो. 9982611866

इक्कीस पंखुड़ियों का गुलाब

सावित्री चौधरी **प्रकाशक :** दीपक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर **प्रथम संस्करण** : 2015 **पृष्ठ** : 104 **मूल्य** : ₹ 180

भाषा विचारों की वाहक होती है। भाषा ही एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। एक भाषा में प्रकाशित विचार सीमित पाठकों तक ही पहुँच पाते हैं। अनुवाद एक ऐसी विधा है जो विचारों को विभिन्न भाषा जानने वालों तक पहुँचाने में सहायक है। भाषा कोई छोटी-बड़ी नहीं होती। अच्छे विचार, प्रेरणादायी बातें व शिक्षाएँ किसी एक भाषा में बंध कर नहीं रहती। एक ऐसा ही सम्मानजनक प्रयास लेखिका सावित्री चौधरी ने किया है जिसने राजस्थानी भाषा की चुनिंदा कहानियों को अनुदित करके हिन्दी के पाठकों तक पहुँचाने का सार्थक प्रयास किया है। ये अनुदित कहानियाँ राजस्थानी के वरिष्ठ साहित्यकारों की है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। राजस्थानी भाषा चाहे मान्यता की बाट जोह रही है। परन्तु 'इक्कीस पंखुड़ियों का गुलाब' कृति में

21 कहानियाँ है जो कथ्य और कथानक के परिप्रेक्ष्य में खरी उतरती है।

इस संग्रह की प्रथम कहानी डॉ मंगत बादल की 'बदळाव' है। समय के साथ-साथ परिवर्तन अपरिहार्य है। बदलाव की हवा विचारों व वातावरण को प्रभावित करती है। रचनाकार कुछ वर्षों पश्चात् अपने गाँव लौटता है और वहाँ की परिवर्तित फिजा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आजकल सभी लोग टी.वी. या मोबाइल के चिपके रहते हैं, बाहर की दुनिया व सामाजिक सरोकारों को भूलते जा रहे हैं। आवभगत भी दिखावे के लिए, परन्तु हृदय से नहीं। रचनाकार को यह सब रास नहीं आता है। अब तो उसके मित्र भी औपचारिकता ही निभाते दिखते हैं। रामस्वरूप किसानी की 'कहाँ है मेरा बनवारी' कहानी में एक शिक्षित युवक न चाहते हुए भी अंधविश्वास की ओर खींच जाता है। बेचारा विवश है। इसकी परिणति एक दुखदायी घटना के रूप में होती है। अन्त में दुःख और पछतावा ही होता है। इस कृति की 'धूज' कहानी संवेदनशील होने की प्रेरणा देती है। बालकों को अच्छे संस्कार देने व अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करने में अध्यापक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सहयोग, मैत्रीभाव व सद्विचारों से शिक्षक चाहे तो हृदय को परिवर्तित कर सकता है। शिक्षक स्वयं में भी दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व नेतृत्व के गुण आवश्यक है। कहानी प्रेरणादायी है। 'अखबार के पृष्ठ की चोरी' कहानी व्यक्ति को सोच समझकर निर्णय लेने व गलत कार्य होने पर पश्चाताप करने की प्रेरणा देती है। छोटी सी गलती से आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। 'स्मारिका' कहानी अपने पूर्वजों व अपनी मातृभूमि को भूला देने वालों पर तमाचा है। व्यक्ति को चाहे कितना ही ऊँचा पद प्राप्त हो जाये, उसे अपने माँ-बाप व संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। माँ-बाप भगवान तुल्य होते हैं, उन्हें भूलने वाला निरा स्वार्थी व सत्तालोलुप कहलाता है। यह सामाजिक सरोकारों की कहानी है।

वरिष्ठ साहित्यकार बी.एल. माली 'अशान्त' की कहानी 'चिड़ीमार' कृषक वर्ग की प्रतिनिधि कहानी है। समस्याओं से घिरा हुआ किसान अन्नदाता कहलाता है, परन्तु खुद को भूखा सोना पड़ता है। कर्ज से दबा हुआ किसान अपने पारिवारिक व सामाजिक दायित्व निभाने में असमर्थ रहता है। यह कहानी किसान की दयनीय व करुणामयी दशा का सटीक चित्रण करती है। 'फुलका' कहानी उस गरीब व बेबस परिवार की कहानी है जो अपने जी जायों को गेहूँ की रोटी उपलब्ध नहीं करा सकता, परन्तु मेहमान-नवाजी में ही फंसकर रह जाता है। गरीब व्यक्ति की बेबसी व लाचारी को प्रत्यक्ष करती कहानी अमीर वर्ग के मुँह पर तमाचा है। कहानी मार्मिक है।

'बीड़ीवाला' कहानी समाज के ऐसे रूप को सामने लाने में कामयाब रही है जहाँ फटे, मैले-कुचैले कपड़े वाला व्यक्ति भी मन का साफ हो सकता है। वस्त्रों से व्यक्ति के विचारों की तुलना नहीं की जा सकती। सफेद वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति मन का काला हो सकता है। कहानी प्रेरणादायी है। 'बोल मेरी मछली' कहानी जीवों के प्रति दया, करुणा दिखाने की सुन्दर कहानी है। स्थिति अनुसार रचनाकार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और जानवरों के प्रति दया दिखाने की राह पर चल पड़ता है। 'बदलती दिशा' एक प्रेरणादायी कहानी है जो नारी शक्ति की वास्तविकता को चरितार्थ करती है। नारी को अबला समझने वाला मनुष्य यह भूल जाता है कि उसकी स्थिति भी नारी के कारण है। व्यक्ति के दुर्गुण दूर करने व उसे सफलता तक पहुँचाने में भी नारी शक्ति प्रमुख होती है। 'मेहनत की जीत' कहानी एक ऐसे युवक की कहानी है जो मेहनत के बल पर सफलता के शीर्ष पर पहुँच जाता है। कुछ करने की ललक व्यक्ति को महान बना देती है।

'नहीं था कुछ फासला' आपसी पाक रिश्तों की एक रुचिकर कहानी है। रचनाकार को दिनों-दिन खराब होते सौहार्द्रपूर्ण वातावरण की चिन्ता है। मामूली सी बात पर साम्प्रदायिक माहौल खराब होना रचनाकार को झकझोरता है। आज के अर्थ युग में प्रत्येक को रोजगार पाना एक आवश्यकता बन गई। 'कानूनबाज' कहानी उन लोगों की कहानी है जो कानून तोड़ने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। धूम्रपान को प्रतिबंधित करना व दूसरी तरफ धूम्रपान को बढ़ावा देने के विज्ञापन ऐसी दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। दूसरी तरफ कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर कानून-कायदों का क्या होगा। यह कहानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खरी उतरती है। 'मिट्टी का मोबाइल' कहानी अभाव में जीवन यापन करने वाले युवक की कहानी है जो कि माँ की ममता को तरसता है, उसकी इच्छा है कि उसके पास मोबाइल हो तो वह अपनी माँ से बात कर सकता है। सामाजिक सरोकारों से भरपूर एक संवेदनशील कहानी है। 'देर है पर अंधेर नहीं' कहानी समाज की विषम परिस्थितियों को उजागर करती है। आज भी कमजोर को ही दबाया जाता है, परन्तु समय का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार उजाला कहानी पुत्र मोह की कहानी है। जो शिक्षित होकर विदेश चला जाता है, परन्तु माँ-बाप के प्रति पुत्र का अपनत्व नहीं रहा। इस कहानी में आधुनिक सामाजिक विद्रूपताएँ सामने आती हैं। आधुनिक बनने के नाम पर अपनी संस्कृति और परम्पराओं से दूर होते जाते हैं।

'जेबकतरा' कहानी वर्तमान समय में पुलिस अव्यवस्था पर करारी चोट है। आज अपराधी, चोर-लुटेरे पुलिस से सांठगाँठ रखते हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहानी कानून की रक्षा करने वालों पर प्रश्नचिह्न उठाती है। 'जानवर' कहानी जीव हत्या पर एक मार्मिक कहानी है। सभ्य कहे जाने वाले समाज में जीव हत्या करके असभ्य होने का प्रमाण मनुष्य दे रहा है। आवश्यकता है जीवों के प्रति करुणा, दया प्रकट करने की। 'उजास' कहानी कन्या भ्रूण हत्या पर एक संवेदनशील कहानी है। दिखावा तो आज बेटा-बेटी को समान समझने में किया जाता है, परन्तु समाज आज भी बेटे को ही सर्वोपरि स्थान देता है। आवश्यकता है शिक्षा के प्रसार व मुनष्य के विचारों को वास्तव में परिवर्तित करने की। यह कहानी दर्द भरी दास्तां बयान करती है। सामाजिक व्यवस्था में करनी व कथनी पर प्रश्नचिह्न है यह कहानी। 'गाँठ' कहानी बच्चों व शिक्षक में सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध होने का आह्वान करती है। बच्चों को प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। प्यार से बच्चों को समझाया जा सकता है। इस संग्रह की सभी कहानियाँ शिक्षाप्रद व प्रेरणादायी है। इस कृति का मुखावरण पृष्ठ सुन्दर व आकर्षक है। सावित्री चौधरी ने बहुत चतुराई से इन लोकप्रिय कहानियों का चुनाव कर अनुवाद किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुवाद करते समय राजस्थानी भाषा के कुछ शब्दों को हुबहू ले लिया गया। जब कि इनके समकक्ष शब्द हिन्दी में उपलब्ध है। इन कहानियों का बहुत ही सरल व सहज भाषा शैली में अनुवाद हुआ है जिसे पाठक बिना किसी परेशानी के आसानी से पढ़ सकते हैं। कृति प्रशंसनीय है। सावित्री चौधरी को साधुवाद व बधाई जिन्होंने ''इक्कीस पंखुड़ियों का गुलाब' अनुवाद के रूप में कृति पाठकों के समक्ष रखी।

-रामजीलाल घोड़ेला
व्याख्याता, राज क्लॉथ स्टोर, लूणकरनसर
मो. 9414273575

शाला प्रांगण से

प्रवेशोत्सव पर निकाली रैलियाँ

राउमावि कोलासर बीकानेर ने शाला प्रांगण में किया वृक्षारोपण। सरपंच रेखा मेघवाल व संस्थाप्रधान महेन्द्र पड़िहार, खादी बोर्ड के रामदेव मेघवाल ने प्रवेश हेतु आह्वान किया। रा. बोथरा बालिका उमावि, गंगाशहर की छात्राओं ने रैली निकाल कर नव प्रवेश के लिए प्रेरित करने का काम किया। राउमावि लूनकरणसर ने प्रवेशोत्सव के तहत घर-घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालय से जोड़ने की अपील की। प्रधानाचार्य दिलीप कुमार हर्ष ने बताया कि दल बनाकर विभिन्न मोहल्लों में सम्पर्क किया गया। राजकीय फोर्ट उमावि, बीकानेर के छात्रों व शाला कार्मिकों ने प्रवेशोत्सव के तहत रैली का आयोजन किया। प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह खींची व प्रवेश प्रभारी राजेश गोस्वामी के नेतृत्व में त्यागी वाटिका, जैलवेल, गुर्जरों का मौहल्ला, स्टेशन रोड पर रैली का भव्य संचालन किया गया। इनके अलावा बीकानेर के राआउमावि बरजांगसर, श्री डुंगरगढ़, जामसर, पलाना, कानासर, कोलायत, गुड़ा, बीकासर, दियातरा, गजनेर, कक्कू, पांचू, खींदासर, कोटडी, पूनरासर, खिंवेरा, बरसिंहसर, केला, राजासर भाटियान, जवमलसर, कालू, कावनी, बांठिया राबाउमावि गंगाशहर, राजेरां एवं ईदगाह बारी बीकानेर आदि सरकारी विद्यालयों ने अपने अपने स्तर पर प्रवेशोत्सव के तहत रैलियों का आयोजन किया, विभिन्न प्रकार से घर-घर सम्पर्क किया। इस बार प्रवेशोत्सव को सरकारी विद्यालयों ने अपना उत्सव मानते हुए सभी साथी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं तथा छात्र-छात्राओं ने पूर्ण मनोयोग से सकारात्मक सहभागिता निभाई। कई विद्यालयों ने बैनर, पोस्टर व पेम्पलेट छपवाकर अभिभावकों तक पहुंचाया तथा स्वयं जाकर सम्पर्क किया।

विश्व योग दिवस मनाया

उक्त सभी व प्रदेश के अन्य विद्यालयों ने अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 को (द्वितीय विश्व योग दिवस) अपने अपने विद्यालय में विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों, अभिभावकों व शाला स्टाफ तथा छात्र-छात्राओं के साथ योगाभ्यास कर उत्साहपूर्वक मनाया।

कक्ष व प्रवेश द्वार का उद्घाटन

बालोतरा पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोगरानाडी (आसोतरा) के नव निर्मित प्रधानाध्यापक कक्ष एवं कार्यालय कक्ष का उद्घाटन समारोहपूर्वक मनाया गया। भामाशाह अचलाराम देवासी के द्वारा स्थानीय विद्यालय में नवनिर्मित भवन का ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति श्री तुलछाराम जी महाराज एवं खेतेश्वर धाम भलखारी सिणधरी के महन्त पारसराम जी ने उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि पंचायत समिति के प्रधान ओमप्रकाश भील ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा के मंदिर को स्वच्छ रखें। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान नेनाराम चौधरी व प्रधानाध्यापक भगवानदास जीनगर सहित विद्यालय के अध्यापकों एवं अतिथियों का भामाशाह द्वारा साफा पहनाकर अभिनन्दन किया गया। विद्यालय द्वारा भामाशाह अचलाराम देवासी एवं विद्यालय प्रवेश द्वार निर्माणकर्त्ता शेराराम भील (वार्ड पंच) को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरपंच श्रीमती लूंगो देवी, पंचायत समिति सदस्य राजूराम चौधरी, ग्रामसेवक दीपाराम चौधरी, एसएमसी अध्यक्ष रामाराम चौधरी, नॉडल अधिकारी जयप्रकाश शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। उदघाटन समारोह का संचालन राजेश कुमार माली ने किया। संस्थाप्रधान भगवानदास जीनगर की प्रेरणा से भामाशाह द्वारा किये कार्यों की पुरस्कृत शिक्षक फोरम के जिलाध्यक्ष सालगराम परिहार सहित सैकड़ों लोगों ने प्रशंसा करते हुए सभी का धन्यवाद किया।

'आशा की चमक' कक्षा-कक्ष भेंट

रामावि गोपाल मील चाली कॉलोनी, कोटा जंक्शन की राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत शिक्षिका श्रीमती रजिया खान ने अपनी 25 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्णता के अवसर पर शाला के नन्हें मुन्नों के लिए स्वप्रेरणा से 'ग्लो ऑफ होप' यानी आशा की चमक नाम रखते हुए एक सुन्दर कक्षा-कक्ष का तोहफा दिया। समारोह के दौरान बच्चों को अतिथियों द्वारा पाठ्य सामग्री, खेल सामग्री, वाटर बोतल, जूते-मौजे, बैग देकर नई बैंचों पर बैठाया तो चेहरे खुशी से दमक रहे थे। समस्त कक्षा कक्ष का फर्नीचर, स्मार्ट श्याम पट्ट, दीवारों पर गिनती पहाड़े, वर्णमाला के अक्षर, महापुरुषों के सदवाक्य व सूचना परक चित्र अंकित करवाये गये थे। इस कक्ष को आशा अनुरूप बनाने में प्रारम्भिक तौर पर लगभग 75000 रु. का व्यय स्वेच्छा से रजिया खान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा शहर के काजी अनवर अहमद साहब, विशिष्ट अतिथि-अति.जि.शि.अ. नरेन्द्र गहलोत, प्रांत सचिव रामेश्वर प्रसाद ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि श्रीमती रजिया खान द्वारा कच्ची बस्ती व मजदूर वर्ग के बच्चों को स्मार्ट क्लास का उपहार अद्भुत है। खान ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे बच्चों को पब्लिक स्कूल जैसा वातावरण देकर इनमें छुपी प्रतिभाओं को तराशने का माध्यम बनना चाहती है। ताकि वे अपने सपने पूरे कर सके। वे अपने सद्प्रयासों का श्रेय बड़ों के आशीर्वाद, संस्थाप्रधान व साथियों तथा परिवारजनों को देना चाहती है। अन्त में प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुषमा धींगरा ने शाला की ओर से श्रीमती रजिया खान को स्मार्ट कक्षा-कक्ष 'आशा की चमक' के लिए बधाई दी। समारोह में पधारे सभी अतिथियों एवं अभिभावकों आदि का धन्यवाद दिया। समारोह में प्रमुख समाजसेवी श्री जी.डी. पटेल, प्रख्यात पर्यावरणविद् डॉ. एल.के. दाधीच, वरिष्ठ साहित्यकार श्री भगवती प्रसाद गौतम एवं सम्पूर्ण विद्यालय परिवार की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार डॉ. अतुल चतुर्वेदी ने किया।

माउन्ट आबू से किया एडवान्स कोर्स

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ सिणधरी बाड़मेर के दो स्काउट लीडर मांउट आबू से स्काउट यूनिट लीडर एडवांस कोर्स व थानाराम गोदारा स्वतंत्र रोवर क्रू के बेसिक कोर्स उत्तीर्ण कर सिणधरी लौटने पर संघ व विद्यालय द्वारा स्वागत किया गया। संघ सचिव गोरधन राम ने बताया कि राउप्रावि सिणधरी के छात्र दूदाराम चौधरी व रामावि अमरपुरा के रमेश कुमार ने सफलतापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रधान लक्ष्मणदास ने बधाई देते हुए कहा कि स्काउट दल के लिए सौभाग्य की बात है कि अब हमारा स्काउट दल उच्च योग्यता से युक्त यूनिट लीडर के नेतृत्व में और अधिक सक्रियता से सेवा कार्य सर्वहित में कर सकेगा। इस अवसर पर बालचरों ने भी हार्दिक स्वागत किया।

'झलक' में दिखाई विद्यालय की झलक

राआउमा विद्यालय वरदा (डूंगरपुर) की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि प्रवेशोत्सव के तहत शाला ने एक फोल्डर का विमोचन किया। इस फोल्डर में अपने विद्यालय में प्रवेशोत्सव के तहत आयोजित की गई गत सत्र की उपलब्धियों एवं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाओं एवं लाभों को दर्शाया गया है। इस फोल्डर को 'झलक' शीर्षक नाम दिया गया तथा इसे ग्रामवासियों एवं

अभिभावकों को पढ़ने हेतु वितरित किया गया जिससे वे निर्णय कर सके कि अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए कौनसा विद्यालय चयन किया जाये।

पक्षी रेस्टोरेन्ट बनाकर किया भेंट

राउमावि गांगल्यावास ने पक्षी दिवस के उपलक्ष में पक्षी रेस्टोरेंट की स्थापना कर नवाचार किया। पक्षी संरक्षण में पेड़ों की न्यूनता आड़े नहीं आये अतः विद्यालय के एक छोर में मूक पक्षियों के लिए चुग्गा, पानी व झूला व घोंसले की सुविधा युक्त रेस्टोरेंट बनाया। पक्षियों ने चुग्गा व पेयजल ग्रहण कर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने विद्यालय से 21 पक्षी परिण्डे प्राप्त कर ग्राम जेबला खुर्द के घरों के आगे पेड़ों पर बांधकर जलापूर्ति की एवं नियमित भरते रहने का संकल्प किया। प्रधानाचार्य शिवशंकर प्रजापति ने बताया कि पक्षी रेस्टोरेन्ट लोहे की पाइप का फुटबाल के पोलनूमा एक मॉडल है। इसके ऊपरी दोनों सिरों पर दो छोटे पाइप जोड़कर पाइप के चारों छोरों पर मिट्टी के बने 4 परिण्डे लटकें है। मॉडल के अन्दर की तरफ दो चुग्गा ट्रे लगाई गई है। ट्रे के बीच में सांकल एवं पतली टहनी को एक पक्षी झूला बनाकर टांगा गया और ठीक मध्य में घोंसला लगाया गया है। रंग रोगन से सुसज्जित यह पक्षी रेस्टोरेंट एक अभिनव नवाचार प्रयोग है। पक्षी इस पर कलरव कर वातावरण को संगीतमय कर धन्यवाद अर्पित कर रहे है।

प्रतिभाओं को अध्यापकों ने गोद लिया

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीनोली (सवाई माधोपुर) के राज्यस्तरीय पुरस्कृत शिक्षक व प्रधानाध्यापक बाबूलाल बैरवा ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक पैम्पलेट छपवाकर सरकार की ओर से देय विशेष सुविधाओं को बताने हेतु पेम्पलेट का प्रकाशन कर बंटवाया। जो सत्र 2010-11 से चला आ रहा है। बैरवा ने निर्धन व अनाथ बेटियों को गोदस्वरूप लेकर उनका शिक्षण का समर्पण खर्च वहन स्वेच्छा से किया है। इसी से प्रेरित होकर कुमारी सीमा बैरवा पुत्री श्री मांगीलाल बैरवा ने रामावि गंभीरा, सवाई माधोपुर को सत्र-12-13 व 13-14 में कक्षा 9 व 10 की छात्राओं का पूरा शिक्षण शुल्क स्वेच्छा से वहन किया है। इसी क्रम में दिनांक 3.5.16 को राउमावि पीपलवाड़ा, बौली की 2 अनाथ बालिकाएँ शिक्षा बैरवा 7वीं, रचना बैरवा 8वीं को गोदस्वरूप लेते हुए (2-2 स्कूल ड्रेस, शिक्षण सामग्री, बैग व जूते) संस्थाप्रधान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किये। आगे कक्षा 12 तक का समस्त खर्च वहन करने की जिम्मेदारी श्री बैरवा ने लेने की घोषणा की।

राआउमावि गोलूवाला, श्रीगंगानगर के स्टाफ ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को गोद लेकर एक नई पहल की है। जो विद्यार्थी कक्षा एक से ग्यारह तक अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे है, विद्यालय स्टाफ उनका स्थानीय शुल्क, बोर्ड परीक्षा शुल्क, स्टेशनरी, विद्यालयी गणवेश, स्वेटर, जूते आदि पर आने वाले समस्त व्यय को वहन करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सहयोग भी शाला स्टाफ ने करने का एक स्वर में निर्णय लिया। उक्त योजना के तहत सत्र 2016-17 के लिए कक्षा एक में पूजा, 2 में शीला, 3 में अजय, 4 में सोनू, 5 में सौरभ राय, 6 में नीतू कुमारी, 9 में पूजा व 11 वीं में विज्ञान वर्ग में पूनम तथा एकता तथा कला वर्ग में सविता का चयन किया गया है। प्रधानाचार्य मनोहरलाल बिस्सू ने बताया कि अध्यापकों का यह कार्य अनुकरणीय व प्रेरणादायी होने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक भी है। समस्त स्टाफ को सहयोग करने लिए बधाई व शुभकामनाएं दी।

जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम

वित्तीय जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रवेशोत्सव 2016 में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें मिट्टी के पोट पर डिजाइन बनाने व रंग रोगन करने व सजाने की कार्यशाला का राआउमावि खाजूवाला, बीकानेर में आयोजन किया। कार्यक्रम सहयोग श्रीमती कमला गोदारा व मघाराम गोयल ने बच्चों को हस्तकला कौशल की दक्षता का विकास किया जिसमें उरमूल संस्थान लूनकरणसर का सहयोग रहा। व्याख्याता नवनीत वर्मा प्रहलाद व प्रभारी लेखराम गोदारा ने हाथ के हुनर को लघु बचत की प्रेरणा बताई। अन्त में श्रीमती कमला गोदारा ने शाला को प्रवेशोत्सव में गतिविधि आयोजन पर आभार व्यक्त किया। शाला के प्रधानाचार्य मोहम्मद फारूक ने अपने उद्बोधन में बताया कि हाथ के हुनर का सदुपयोग कर जीवन विकास की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। हर छात्र-छात्रा को किसी न किसी कला में प्रवीण होना ही चाहिए।

-नारायण दास जीनगर
(प्रकाशन सहायक)

विद्यार्थी जीवन के लक्षण

❒ विश्वप्रसाद पारीक

विद्यार्थी का मतलब है विद्या अर्जित करके कुछ हासिल करना। विद्या का अर्थ होता है अध्ययन करना या दूसरे शब्दों में मेहनत करके कुछ उपलब्धि हासिल करना। इस संसार में विद्यार्थी ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक पड़ाव होता है। विद्यार्थी को जीवन में एक लक्ष्य स्थापित करके आगे बढ़ना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। लक्ष्य के आधार पर ही अध्ययन एवं मेहनत होती है। विद्यार्थी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पाँच बातें बतलाई हैं जो इस प्रकार है।

1. **कौए की तरह चेष्टा**: जिस प्रकार एक कौआ किसी चीज को देखता रहता है कि किसी का ध्यान इधर-उधर हुआ कि झपट कर तुरन्त उस कार्य को अंजाम दे देता है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी को मेहनत करके अवसर पाते ही कार्य को अंजाम देना चाहिए।
2. **बगुले की तरह ध्यान** : बगुले का ध्यान ऋषि मुनियों की तरह बताया गया है जैसे ईश्वर प्राप्ति के लिए एक संत ध्यान करता है वैसे विद्यार्थी को अध्ययन में लग जाना चाहिए।
3. **श्वान निद्रा** : विद्यार्थी को जितना शरीर के लिए आवश्यक है उससे थोड़ा कम निद्रा लेनी चाहिए। ज्यादा निद्रा लेने से स्वास्थ्य में आलस्य आता है इसलिए विद्यार्थी को कुत्ते की नींद सोने का मतलब अल्प निद्रा से है। विद्यार्थी जीवन का पहला पड़ाव सही होता है। तो पूरा जीवन खुशनुमा बनता है। विद्यार्थी यदि अपने जीवन में मेहनत व लगन से अध्ययन करता है तो बाकी जीवन उसका अच्छा होगा। विद्यार्थी ही जीवन को आगे भविष्य के लिए अपनी मेहनत से तैयार करता है। इसलिए आज से ही पूरी मेहनत एवं लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खूब अध्ययन करें। ये ही उम्र सीखने एवं मेहनत करके आगे बढ़ने की है। इसी उम्र में मानव अपने किए हुए मेहनत का परिणाम ताउम्र पाता है।
4. **गृहत्यागी**: गृहत्यागी का मतलब गुरुकुल में जाकर अध्ययन करने से है। घर से दूर जाकर आज के युग में छात्रावास में अध्ययन अधिक होगा।
5. **अल्पाहारी**: भोजन कम करने से शरीर में आलस्य कम आता है। तथा फुर्ती अधिक रहती है। जो कि विद्यार्थी के लिए आवश्यक है।

बी-298, करनी नगर, बीकानेर 9571891074

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

उत्तकों को लेजर किरणों से गुजारा जाकर कैंसर दो घंटे में हो जायेगा खत्म

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई विधि ईजाद की है। इसमें दावा किया गया है कि कैंसर का ट्यूमर अब सिर्फ दो घंटे में 95 फीसदी तक ठीक हो जाएगा।

द जर्नल ऑफ क्लीनिकल ऑकोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, नई विधि से रोगी के शरीर में मौजूद कैंसर के उत्तक में सबसे पहले सीधे 'नाईट्रोबेंजल्डिहाइड यौगिक' दिया जाएगा । उसके बाद उत्तकों को लेजर की किरणों से गुजारेंगे जिससे उत्तक अम्लीय होकर अपने आप नष्ट हो जाएंगें। टेक्सास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता मैथ्यू गोटविन ने कहा कि इस विधि से हर तरह के कैंसर में फायदा होगा।

कीमोथेरेपी से भी छुटकारा

इससे मस्तिष्क, धमनियों और रीढ की हड्डी के कैंसर का इलाज भी आसान हो जाएगा। कैंसर पीड़ित मरीज को कीमोथेरेपी से भी छुटकारा मिलेगा। उन बच्चों के लिए भी यह फायदेमंद रहेगा जिन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही कैंसर हो जाता है और इलाज के बावजूद यह अपना रूप बदलता रहा है। दवाएँ इन मामलों में असर नहीं करती।

गोडविन ने इस नई विधि की प्रामाणिकता के लिए स्तन कैंसर के अति संवेदनशील मामलों पर यह परीक्षण किया। इस यौगिक के सिर्फ एक बार इस्तेमाल से ट्यूमर बढ़ना रुक गया। अभी यह परीक्षण चूहों पर किया गया है, गोडविन के अनुसार यह इंसानों पर कारगर है। उन्होंने इस विधि का पेटेंट हासिल किया है। उम्मीद है कि डॉक्टर कैंसर प्रभावित जिन हिस्सों का इलाज नहीं कर पाते उनके लिए यह प्रक्रिया लाभकारी है।

गौमूत्र में सोना खोजने का दावा

जूनागढ़। गौमूत्र में सोना ढूंढने का दावा करने वाले गुजरात के एक वैज्ञानिक ने कहा कि आयन के स्वरूप में पाया जाने वाला यह जैविक सोना चिकित्सकीय गुणों से भरपूर है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय , गुजरात के बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख बी.ए. गोलकिया ने कहा कि गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के गिर में पाई जाने वाली गायों के मूत्र में प्रति लीटर 3 से 10 मिलीग्राम तक सोना होने की पुष्टि हुई है। यह सोना चिकित्सकीय गुणों के मामले में सामान्य स्वर्ण भस्म से आगे है। (एजेन्सी)

पृथ्वी जैसा ही था मंगल ग्रह: नासा

वाशिंगटन। नासा के क्यूरोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई मंगल के पत्थरों से लाल ग्रह पर भारी मात्रा में मैग्नीज ऑक्साइड होने की पुष्टि हुई है। इस तरह मंगल पर कभी भारी मात्रा में ऑक्सीजन की मौजदूगी भी सिद्ध होती है। इसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा ही था।

वैज्ञानिक नीना लांजा बताती है कि मंगल पर मैग्नीज ऑक्साइड का मिलना इसको बल देता है कि यहाँ ऑक्सीजन मौजूद था।

गाय के कार्टिलेज से बनेगी थ्रीडी पट्टी

वाशिंगटन। आर्थराइटिस के मरीजों के घिस चुके जोड़ों के लिए अब गाय के कार्टिलेज से थ्रीडी पैच (पट्टी) तैयार की जाएगी। वैज्ञानिकों के थ्रीडी प्रिंटिंग प्रक्रिया के लिए गाय के कार्टिलेज को बायोइंक के रूप में इस्तेमाल किया है। पेनसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर इब्राहिम टी. ओज्बोलॉट ने कहा, हमारा उद्देश्य पैच डिजाइन करना या एक ऐसा उत्तक बनाना है जो बड़ी संख्या में घिसे हुए उत्तकों को बदल सके।

10 साल पहले ही पता चल सकेगा हृदयघात का खून जांच के माध्यम से

नॉरवेगियन यूनीवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 'एनटीएनयू' के वैज्ञानिकों ने कोलेस्ट्राल की मात्रा, बॉडी मास ईन्डेक्स, धूम्रपान की लत और रक्तचाप की स्थिति से किसी भी व्यक्ति के भविष्य में दिल की बीमारी के खतरे का पता लगाया जा सकेगा। शोध के दौरान 'नार्ड-ट्रोंडेलैग हेल्थ स्टडी-2' के लिए 1996 में लिए गए 212 रक्त नमूनों का दस साल तक अध्ययन किया गया। इस दौरान 179 सूक्ष्म आर एन ए (राइबोन्यूलिक एसिड) को परखा गया। इनमें जिन लोगों को दस साल के दौरान दिल का दौरा पड़ा उनके खून के नमूनों का अध्ययन किया गया। इसके परिणाम के बाद वैज्ञानिकों ने बीमारी का पूर्वानुमान कर पाने में सफलता हासिल करने का दावा किया।

एनटीएनयू की एंजा बॉय कहती हैं कि पाँच अलग-अलग सूक्ष्म आरएनए के संयोजन को मापने और व्यक्ति के धूम्रपान की आदत, रक्तचाप तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का अध्ययन कर भविष्य में होने वाली दिल की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।

पौधों के रस से बना मरहम कैंसर में प्रभावी

सेंटियागो। कुछ पौधों के रस से एक ऐसा मरहम बनाया गया है, जो खतरनाक त्वचाकैंसर के उपचार में प्रभावी हो सकता है। इस कैंसर को मेलेनोमा कहा जाता है। इस मरहम का निर्माण चिली स्थित सैंटियागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। फिलहाल यह परीक्षण के शुरुआती दौर में है। इस मरहम के निर्माण में जुटी टीम का नेतृत्व करने वाले सोफिया माइकलसन और क्लाडियों अकुना ने बताया कि जानवरों पर इसका इस्तेमाल किया गया और यह मेलेनोमा का प्रभावी समाधान करने में सफल रहा। इस मरहम का इस्तेमाल करने के बाद मेलेनोमा से पीड़ित जानवरों की जीवन प्रत्याशा दोगुनी से ज्यादा हो गई जबकि पारंपरिक दवाओं के इस्तेमाल का ऐसा असर नहीं दिखा।

अच्छे ढंग से सीखने के लिए हाथ से लिखना जरूरी

लंदन। हाथ से लिखना बेहतर तरीके से चीजों को सीखने-समझने में मददगार होता है। विशेषज्ञों ने पाया है कि अक्षरों को हाथ से लिखने का अभ्यास करने से पढ़ने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया बेहतर तरीके से विकसित होती है।

शोधकर्ताओं ने पाया, हाथ से लिखना बच्चों को ध्यान एकाग्र करने और भाषा को समझने में अपेक्षाकृत अधिक मददगार होता है। फ्लोरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर लाउरा के अनुसार जिन बच्चों की हस्तलिपि अच्छी होती है, उनका शैक्षणिक ग्रेड खराब हस्तलिपि वाले बच्चों से अच्छा होता है।

-नारायण दास जीनगर

हमारे भामाशाह

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-वरिष्ठ संपादक**

नागौर

रा.उ.मा.वि. टूँकलियाँ प.स.-मेड़ता को राम कुमार जांगिड़ से लोहे की आलमारी एक लागत-10,500 रुपये तथा एक कम्प्यूटर मय प्रिन्टर लागत-34,900 रुपये, श्री गजेंद्र सिंह राजपुरोहित से लोहे की टेबिल-स्टूल (सैट 25) लागत 27,000 रुपये, सर्वश्री रूपाराम प्रजापत हरदीन राम प्रजापत, प्रेमाराम प्रजापत, भंवरलाल प्रजापत द्वारा विद्यालय हेतु भूमि, चारदिवारी व मुख्य द्वार लागत 25,000 रुपये। **रा.आदर्श. उ.मा.वि. तंवरा जायल** को श्री जगदीश प्रसाद सैन द्वारा विद्यालय को एक कम्प्यूटर सैट लागत 30,000 रुपये तथा एक फोटो स्टेट मशीन लागत 12,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि. डांगावास** को 80 राज्य कर्मचारियों एवं भामाशाहों से 1,00,000 रुपये इकट्ठे करके 100 सैट लोहे के टेबल व स्टूल विद्यालय को सप्रेम भेंट। **रा.उ.मा.वि. राजोद (डेगाना)** को ग्रामवासियों से चन्दा इकट्ठा कर 75 टेबल स्टूल लागत 93,750 रुपये विद्यालय को सप्रेम भेंट। **रा.मा.वि., मेहरवास तह. जायल** को सर्वश्री भंवरलाल बेनीवाल, पूर्णाराम (शा.शि.) डूकिया, सुखाराम प्रजापत, मनोज कुमार, प्रकाशचन्द चौहल व सुनील गजराज से एक कम्प्यूटर व प्रिन्टर लागत 34,000 रुपये, सर्वश्री कानाराम दंतुसलिया, लालाराम रिणवा, चुनाराम दन्तुसलिया, नारायण सिंह यादव व चतुर्भुज शर्मा से एक-एक आलमारी गुमानाराम दन्तुसलिया से एक प्र.अ. टेबल लागत 6,000 रुपये, श्री प्रेमजी स्वामी से एक कम्प्यूटर टेबल व कुर्सी, श्री मोहन राम दंतुसलिया, तिलोक राम, रूकमा देवी, सम्पत राम शर्मा से 5-5 कुर्सी सैट, श्री नानूराम जांगिड़ से 5 पंखें, सर्व श्री नारायण रामनायक, श्री नरसीराम यादव, सोहन लाल शर्मा, चुनाराम, गिरधारी लाल, आंचूनाथ, डूंगर शर्मा से एक-एक छत पंखे, ठेकेदार जगदीश चौधरी द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 50-50 रुपये नकद प्रोत्साहन दिया। भोमाया जी नवयुवक मण्डल ने पानी की टंकी व विद्युत मोटर लागत 70,000 रुपये विद्यालय को सप्रेम भेंट। **रा.आदर्श उ.मा. वि. गंठीलासर** को श्री फतेहसिंह से 11 कुर्सी श्री डूंगराराम सुथार व कैलाश सुथार से एक-एक लोहे की अलमारी सर्व श्री हजारीराम सुथार, जयराम सणेल, पुखराज सुथार से 10-10 कुर्सी, कैलाश चन्द्र सोनी से 16 पंखे, श्री फताराम व श्री पूनमचंद्र शर्मा से लोहे का बड़ा बक्सा एक-एक विद्यालय को सप्रेम भेंट, श्री गणपत राम सुथार व सुखराम सैन से 5-5 कुर्सी, श्री आदूराम सुथार से 4 टेबल व 4 कुर्सी विद्यालय को सप्रेम भेंट। **रा.बा.उ.प्रा.वि. लाडपुरा** को श्री छीतरमल शर्मा से पानी की टंकी 500 लीटर मय नल लागत 3,500 रुपये। **रा.उ.मा.वि. गवारड़ी** को श्री शंकरराम तेतरवाल से एक कम्प्यूटर लागत-25,000 रुपये। **रा.मा.वि. खिंवताना (डेगाना)** को श्री दुर्गाराम चौधरी द्वारा 150 टेबिल स्टूल लोहा लागत 1,50,000 रुपये व अन्य जनसहयोग द्वारा फोटो मशीन विथ प्रिन्टर लागत 15,000 रुपये, लेपटॉप HP लागत-29,000 रुपये, लैक्चर स्टेण्ड 03 लागत 7,500 रुपये, ग्रीन बोर्ड 10 लागत 25,000 रुपये, आटा चक्की 1 फ्रेश लागत 8,500 रुपये, छत पंखा 3 लागत 4,500 रुपये, खेल सामग्री 5,100 रुपये, पानी टांका मरम्मत लागत 21,000 रुपये।

पाली

रा.आदर्श उ.मा.वि.साण्डिया में श्री माणकचन्द सिलोड़ा द्वारा विद्यालय चारदीवारी जो 900 फीट लम्बी है जिसे 3 फीट ऊँची करवा कर उपर तारबंधी करवाई जिसकी लागत 3,07,000 रुपये, 7 कमरों मय बरामदा कर प्लास्टर तोड़ कर पुन: करवाया, सम्पूर्ण विद्यालयों का रंग रोगन करवाया गया, सात कमरों मय बरामदा जिसकी छत तोड़कर पुनः निर्माण करवाया गया जिसकी 9,92,530 रुपये। **रा.उ.मा.वि. जवाली** को श्री खीमराज जैन से 21 सैट 10 ग्रीन बोर्ड लागत- 25,000 रुपये, श्री जुगराज जैने 21 सैट 2 टेबल-स्टूल, श्रीमती पिस्ताबाई जैन, मदनराज जैन, रामलाल देवासी, सोहन सिंह से प्रत्येक से 11-11 सेट टेबल स्टूल, सर्व श्री पूनम सिंह, भीकसिंह, अशोक मेन्सन, श्रीमती मानी बाई प्रत्येक से 5-5 सेट टेबल-स्टूल प्राप्त हुए अर्थात् 85 सेट स्टूल व टेबल जिसकी लागत 93,500 रुपये, ठा. श्री रघुवीर सिंह मेड़तिया द्वारा एक लेजर प्रिन्टर लागत 9,100 रुपये, श्री केवल चन्द गाँधी द्वारा एक D.T.H. लागत 1,500 रुपये। **रा.मा.वि. बागड़िया** को श्री अनिकेत मरड़िया से 31 गर्म स्वेटर, श्री सतपाल एवं श्री रोशनलाल से स्केनर विद्यालय को सप्रेम भेंट। **रा.आ.मा.वि. विरमपुरा तह. बाली** को श्री थानसिंह सोलंकी से पोषाहार के गेहूँ व चावल रखने हेतु तीन लोहे की कोठी लागत 6,200 रुपये, श्री अशोक कुमार एवं किस्तुरचन्द धांची की तरफ से सरस्वती मूर्ति भेंट लागत 5,100 रुपये। **रा.उ.प्रा.वि. छोड़ा तह. देसूरी** को श्री रामदेव मित्र मण्डल से एक वाटर कूलर लागत 25,000 रुपये, श्री रूपसिंह जी राजपुरोहित व चमना राजपुरोहित द्वारा एक कक्ष का निर्माण करवाया गया है जिसकी लागत 1,50,000 रुपये। **रा.उ.प्रा.वि. मीणों का झूपा, सादड़ी देसूरी** को कारफूर ग्रुप फ्रांस द्वारा 10 प्लास्टिक की कुर्सियां प्राप्त हुई।

बारां

रा.आदर्श उ.मा.वि. चरड़ाना को ग्राम चरड़ाना-अरड़ाना, निवासियों द्वारा विद्यालय को 50 सैट स्टूल टेबल लागत 50,000 रुपये, श्री कुलदीप शर्मा द्वारा एक सोफा सेट लागत-8,000 रुपये।

बीकानेर

रा.उ.मा.वि. उदयरामसर में श्री सागर मल्ल एवं विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री दिलीप कुमार भार्गव के द्वारा संयुक्त रूप से लगभग 3 लाख 36 हजार रुपये की लागत से विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया तथा से.नि. अध्यापक श्री जेठाराम साध द्वारा विद्यालय के दीवारों पर रंग रोगन करवाया गया। **रा.बाठिया बा.उ.मा.वि., भीनासर** में श्री सुमतिलालजी बाँठिया पुत्र शाला संस्थापक सेठ चम्पालाल बाँठिया ने अपनी माताजी श्रीमती तारा देवी की पुण्य स्मृति में 3 लाख 50 हजार की लागत से एक कमरा व पार्किंग शेड का निर्माण करवाया तथा श्री तरुण सेवा समिति के श्री जगदीश सारडा द्वारा एक लाख पचास हजार रुपये की लागत से पानी पीने की प्याऊ का निर्माण करवाया गया। **रा.आदर्श उ.मा.वि., कीतासर** (तह. डूंगरगढ़) को इस विद्यालय को गाँव के भामाशाहों ने निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की है जो इस प्रकार है- 203 जोड़े टेबल स्टूल+32 पाटे लागत-2,41,780 रुपये, रंग-रोगन मय मजदूरी लागत-16080 रुपये, कली-रामरंज मय मजदूरी लागत-20,235 रुपये, बकाया बिजली बिल-13,800 रुपये प्रिन्टर, स्केनर, फोटोकॉपी मशीन लागत 13,100 रुपये, विद्यालय में 980 ट्रॉली रेत-मिट्टी भराई लागत-2,94,000 रुपये, दीवार निर्माण लागत-75,000 रुपये, पंखे 15 लागत-22,500 रुपये। **रा.उ.मा.वि., मोमासर** (तह. श्री डूंगरगढ़) को सर्व श्री पन्नालाल विनोद कुमार नाहटा द्वारा 44 सैट लोहे के स्टूल/टेबल लागत 51,000 रुपये, सर्वश्री रूपचंद, राजेन्द्र, महेन्द्र, नरेन्द्र द्वारा 50 सैट टेबल स्टूल लागत-51000 रु. तथा सर्व श्री करणीदान, किसनलाल नाहटा द्वारा 50 सैट टेबल स्टूल लागत-51,000 रु. विद्यालय को सहयोगार्थ भेंट। **रा.मा.वि., डण्डी** प.स. खाजूवाला को श्री जफर अहमद (व.अ.) से एक कार्यालय मेज विद्यालय को सप्रेम भेंट, जिसकी लागत-7,000 रुपये। **रा.बा.मा.वि. चाचा नेहरु नोखा** को श्री मेघराज फलोदिया से 5 दरियाँ, 20 कुर्सियाँ, 2 पंखे, श्री धनराज गोलछा से एक कम्प्यूटर प्रिन्टर, स्केनर, फोटो स्टेट मशीन, श्री ओमप्रकाश मूंदड़ा से एक आलमारी बड़ी, श्री जगन्नाथ नाई से दो छोटी आलमारियाँ, शाला स्टाफ की तरफ से एक पंखा, श्रीमती विजय कुमारी वर्मा एवं विजयलक्ष्मी राठौड से एक-एक पंखा विद्यालय को सप्रेम भेंट।

संकलन-**रमेश कुमार व्यास** प्रकाशन सहायक

शिविरा पत्रिका (मासिक) : जुलाई 2016 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : प्रकाश चन्द जाटोलिया, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

22वाँ राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह-2016

स्थान : बिड़ला सभागार, जयपुर

दिनांक : 28 जून, 2016

गार्ड ऑफ ऑनर

दीप प्रज्ज्वलन

गरिमामय मंच

लोकार्पण : प्रशस्तियाँ

उद्‌बोधन

भामाशाह, प्रेरक एवं गणमान्य नागरिक

सम्मानित भामाशाह

सम्मानित प्रेरक

डाक पंजीयन संख्या Jaipurcity408/2014-16 शिविरा पत्रिका (मासिक) ● जुलाई, 2016 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 12 जुलाई, 2016 पृष्ठ 56 (पञ्चाङ्ग सहित) ● प्रेषण : इस माह की 16 तारीख

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

गागरोन दुर्ग : झालावाड़

गागरोन का किला झालावाड़ नगर से उत्तर की ओर 4 कि.मी. दूर आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित है। इस किले का अपना गौरवमयी इतिहास है। किले का निर्माण डोड राजा बीजलदेव ने बारहवीं सदी में करवाया था और 300 साल तक यहाँ खींची राजा रहे। यहाँ 14 युद्ध और 2 जौहर हुए हैं।

गागरोन दुर्ग, उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है इस कारण यह जलदुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। सामान्यतया सभी किलों के दो ही परकोटे होते हैं जबकि इसके तीन परकोटे हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा किला भी है जिसे बगैर नींव के तैयार किया गया है। इसकी बुर्ज पहाड़ियों से मिली हुई है।

अचलदास खींची मालवा के इतिहासप्रसिद्ध गढ़ गागरोन के अंतिम प्रतापी नरेश थे। मध्यकाल में गागरोन की सम्पन्नता एवं समृद्धि पर मालवा में बढ़ती मुस्लिम शक्ति की गिद्धदृष्टि सदैव लगी रहती थी। आक्रमणकारी होशंगशाह की विशाल सेना तथा उन्नत अस्त्रों के सामने जब अचलदास को अपनी पराजय निश्चित जान पड़ी तो उन्होंने आत्मसमर्पण के स्थान पर राजपूती परम्परा में वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना श्रेयष्कर माना। यहाँ की सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर (स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देना) किया था।

यह शानदार धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है।

■ **गोमाराम जीनगर**, सहायक निदेशक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। मो. 9413658894

पत्रिका अवितरित होने की स्थिति में इस पते पर भेजें : **वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर–334001**

शिक्षा विभाग, राजस्थान

पञ्चाङ्ग 2016-17

राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/CBSE/CISCE से सम्बद्ध विद्यालयों/अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2016–2017 का यह शिविरा पञ्चाङ्ग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करें । जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) मांग के औचित्य की जाँच करेंगे तथा उनकी अनुशंसा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

सामान्य निर्देश : **1.** शिक्षण सत्र: 2016–17 दिनांक 1 मई, 2016 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 26 अप्रैल, 2016 से आरम्भ हो चुकी है। कक्षा 8 व 10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश बोर्ड परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल पश्चात दिया जाकर दिनांक 1 अप्रैल से आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ग्रीष्मावकाश उपरांत पुन: नियमित शिक्षण कार्य 20 जून, 2016 से आरम्भ है। **2.** प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2016 रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु) **3.** मध्यावधि अवकाश 22 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2016 तक रहेगा। **4.** शीतकालीन अवकाश 24 दिसम्बर, 2016 से 7 जनवरी, 2017 तक रहेगा। **5.** ग्रीष्मावकाश 10 मई, 2017 से 19 जून, 2017 तक रहेगा। **6.** केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दूरदर्शन/समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। **7.** यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्शन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा। **8.** यदि किसी वर्ग/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेवानल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश सभी विद्यालयों में लागू नहीं होगा। **9.** शिविरा पञ्चाङ्ग एवं राजस्थान सरकार के पञ्चाङ्ग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पञ्चाङ्ग की तिथि को सही मानते हुए इस पञ्चाङ्ग में वैसा ही संशोधन माना जाए। **10.** सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पञ्चाङ्ग में निर्धारित तिथियों में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा। **11.** साप्ताहिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक आइरन की पिंक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली (ब्लू) गोली मध्याह्न भोजन उपरान्त दी जाए।

प्रवेश : **1.** कक्षा–1 में प्रवेश के समय नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार बालकों की आयु 6 वर्ष निर्धारित है। **2.** राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अनुसार बालक का विद्यालय में प्रवेश वर्षपर्यन्त हो सकेगा। **3.** राज्य कर्मचारी/माता–पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा। **4.** यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किए जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। **5.** सत्र 2015–16 में ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बच्चों के लिए संचालित आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के बालक–बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान प्रतिमाह इनकी ट्रेकिंग कर सूचना प्रेषित करें। **6.** चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में चिह्नित शेष रहे ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। **7.** ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नि:शुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमवेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गए बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। **8.** शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाएं जो अनामांकित श्रेणी के हैं तथा जिन्हें कक्षा 1 से विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है, उनके लिये विद्यालय में एक पृथक कक्षा का गठन कर उसे समय विभाग चक्र में प्रदर्शित कर कालांशवार शिक्षकों को उस कक्षा में भिजवाकर उनको संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करवाना। **9.** विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक आजीविका कमाने हेतु पलायन करते हैं, इनकी पलायन अवधि के लिए माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन किया जाएगा। **10.** कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित एवं ड्रापआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। नोडल प्रधानाध्यापकों की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं को उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाएगा। **11.** कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु परिषद कार्यालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीट में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जावे। **12.** ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा।

प्रार्थना सभा : प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधियाँ–राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है। प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान का अभ्यास कराया जाए और योगासन के माध्यम से एक आसन का अभ्यास पूरे सप्ताह तक करवाया जाए।

विद्यालय प्रबन्धन : विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी :–**1.** एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट, जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ जैसे चॉक, डस्टर, स्टेशनरी, परीक्षा संबंधित कार्य, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती है। इस राशि में से शौचालय/मूत्रालयों की साफ–सफाई हेतु प्रतिमाह 150 रु. का उपयोग कर इनका उपयुक्त रखरखाव सुनिश्चित किया जाए (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए)। जिला परियोजना समन्वयक (एसएस एवं आरएमएसए) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयो को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से 5000 रुपये वार्षिक 10 माह हेतु शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा के रखरखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है। **2.** प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

कालांशवार समय विभाजन : प्रतिदिन 8 कालांश में से कालांशवार समय विभाजन चक्र में 6 कालांश 40 मिनट एवं अंतिम 2 कालांश 35 मिनट के होंगे। प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर अवकाश 25 मिनट का होगा। विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु कुल शाला समय 6 घंटे 5 मिनट होगा।

समय सारिणी : एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र. सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय (संस्था प्रधान हेतु)	7:50 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)	9:20 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)
3	विद्यालय समय (शिक्षकों हेतु)	8:00 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)	9:30 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)
4	विद्यालय समय (विद्यार्थियों हेतु)	8:05 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)	9:35 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)
5	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	8:05 बजे से 8:35 बजे तक (30 मिनट)	9:35 बजे से 10:05 बजे तक (30 मिनट)
6	प्रथम कालांश	8:35 बजे से 9:15 बजे तक (40 मिनट)	10:05 बजे से 10:45 बजे तक (40 मिनट)
7	द्वितीय कालांश	9:15 बजे से 9:55 बजे तक (40 मिनट)	10:45 बजे से 11:25 बजे तक (40 मिनट)
8	तृतीय कालांश	9:55 बजे से 10:35 बजे तक (40 मिनट)	11:25 बजे से 12:05 बजे तक (40 मिनट)
9	चतुर्थ कालांश	10:35 बजे से 11:15 बजे तक (40 मिनट)	12:05 बजे से 12:45 बजे तक (40 मिनट)
10	मध्यान्तर	11:15 बजे से 11:40 बजे तक (25 मिनट)	12:45 बजे से 01:10 बजे तक (25 मिनट)
11	पंचम कालांश	11:40 बजे से 12:20 बजे तक (40 मिनट)	01:10 बजे से 01:50 बजे तक (40 मिनट)
12	षष्ठम कालांश	12:20 बजे से 01:00 बजे तक (40 मिनट)	01:50 बजे से 02:30 बजे तक (40 मिनट)
13	सप्तम कालांश	01:00 बजे से 01:35 बजे तक (35 मिनट)	02:30 बजे से 03:05 बजे तक (35 मिनट)
14	अष्टम कालांश	01:35 बजे से 02:10 बजे तक (35 मिनट)	03:05 बजे से 03.40 बजे तक (35 मिनट)

नोट: शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छ: कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा–खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध–लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव मंडल उपनिदेशक को **15 जुलाई, 2016** तक प्रस्तुत करेंगे तथा मंडल उपनिदेशक मंडल के समेकित प्रस्तावों को **31 जुलाई, 2016** तक निदेशालय (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) को प्रेषित करेंगे। संबंधित मंडल उपनिदेशक निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही विद्यालय को दो पारी में चलाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

2. दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :–

क्र.सं.	अवधि	विद्यालय संचालन का समय
1.	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रात: 7.00 से सायं 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)
2.	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रात: 7.30 से सायं 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे)

3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रात: 10.00 से सायं 5.00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वेच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। **4.** समस्त संस्था प्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनिवार्यत: विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2016 से मार्च , 2017 तक स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2.40 बजे से 3.00 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जाएगा। **5.** राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो, अत: रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जावे। **6.** राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएँ एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएँ निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए :–

1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएंगी।

सहशैक्षिक गतिविधियाँ : **1.** समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए। **2.** सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'चाइल्ड राइट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब एवं रोड सेफ्टी क्लब' की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। **3.** विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाए। बाल सभा में बच्चों को बालसंरक्षण से संबंधित मुद्दों पर बाल चलचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण आदि के माध्यम से उनमें बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी प्रकार बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है, को बुलाकर उनसे संबोधन कराया जाए। विद्यालय में बाल सभाओं व उत्सवों के आयोजन का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों मे सम्मिलित किया जाए। **4.** शनिवारीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार बाल सभा आयोजन हेतु प्रत्येक शनिवार को समस्त आठ कालांश में से 5–5 मिनट कम करते हुए अंतिम कालांश पश्चात् बाल सभा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नांकित विवरणानुसार कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

प्रथम शनिवार	किसी महापुरुष के जीवन पर प्रेरक प्रसंग की जानकारी
द्वितीय शनिवार	शिक्षाप्रद प्रेरक कहानियों का वाचन
तृतीय शनिवार	राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों की समीक्षा एवं किसी महापुरुष अथवा स्थानीय संत–महात्मा का उद्बोधन
चतुर्थ शनिवार	सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन
पंचम शनिवार	प्रेरक नाट्य का मंचन और विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र भक्ति गीत गायन (माह में पाँचवा शनिवार होने पर)

उपर्युक्त निर्देशित कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार बाल सभा से पृथक् रूप से प्रार्थना सभा पश्चात् शून्य कालांश में आयोजित किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। **5.** सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2016 तक मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/एसयूपीडब्ल्यू शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा–उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2016 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह ही आयोजित किए जा सकते हैं। **6.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। **7.** समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक सत्र में चार बार जुलाई, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में अमावस्या तिथि (यथा सम्भव परख/परीक्षा समाप्ति पश्चात्) को आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार समस्त विद्यालयों मे विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन आयोजित की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ के प्लान के अनुसार एसएमसी की पांच बैठकों को समुदाय जागृति दिवस के रूप में अंतिम चार कालांश के रूप में मनाया जाए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक यथासंभव अमावस्या के दिन आयोजित की जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो, तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। **8.** विद्यालय प्रबंधन समिति के दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण माह अगस्त से अक्टूबर के दौरान नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित करवाए जाएंगे। 11 नवम्बर 2016 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं बाल समारोह सभी राजकीय विद्यालयों में आयोजित किए जाएं।

शिक्षण तंत्र का प्रबोधन एवं प्रबन्धन : **1.** एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1–12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएँ, यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान यू–डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें। **2.** कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसेलिटी ग्राण्ट/मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो–दो कालांश प्रति कक्षा लगवायी जाए एवं विद्यालय में उपलब्ध ई–कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) से सम्बलन किया जावे।

उत्सव एवं अवकाश : **1.** प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यत: मनाए जाएं। **2.** उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो, तो उसे एक दिन पहिले/बाद में मनाया जाए। उत्सव के दिन आठों कालांश में शिक्षण कार्य करवाया जाए। उत्सव आयोजन हेतु प्रत्येक कालांश में से 5–5 मिनट अवधि घटाकर आठवें कालांश के पश्चात् शेष रहे समय में उत्सव मनाया जाए। **3.** 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। **4.** मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी विद्यालयों में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य समस्त कार्य दिवसों में विद्यालय समय में नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। **5.** प्रत्येक संस्था प्रधान इस पञ्चाङ्ग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहिले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2016 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि महत्त्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें। **6.** जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

मूल्यांकन एवं परीक्षा : **1.** समस्त कक्षाओं की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएँ (कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर) इस पञ्चाङ्ग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 29 अप्रैल, 2017 शनिवार को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। **2.** परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे। **3.** सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमश: एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार अथवा अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा। **4.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए। **5.** एसआईक्यूई/सीसीई संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा। **6.** विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक प.14 (3) प्रारि/आयो/2014 जयपुर दिनांक 27.10.2014 की पालना की जाए।

पूरक परीक्षा : माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 6 से 8 मई, 2017 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 9 मई, 2017 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिए जाएं।